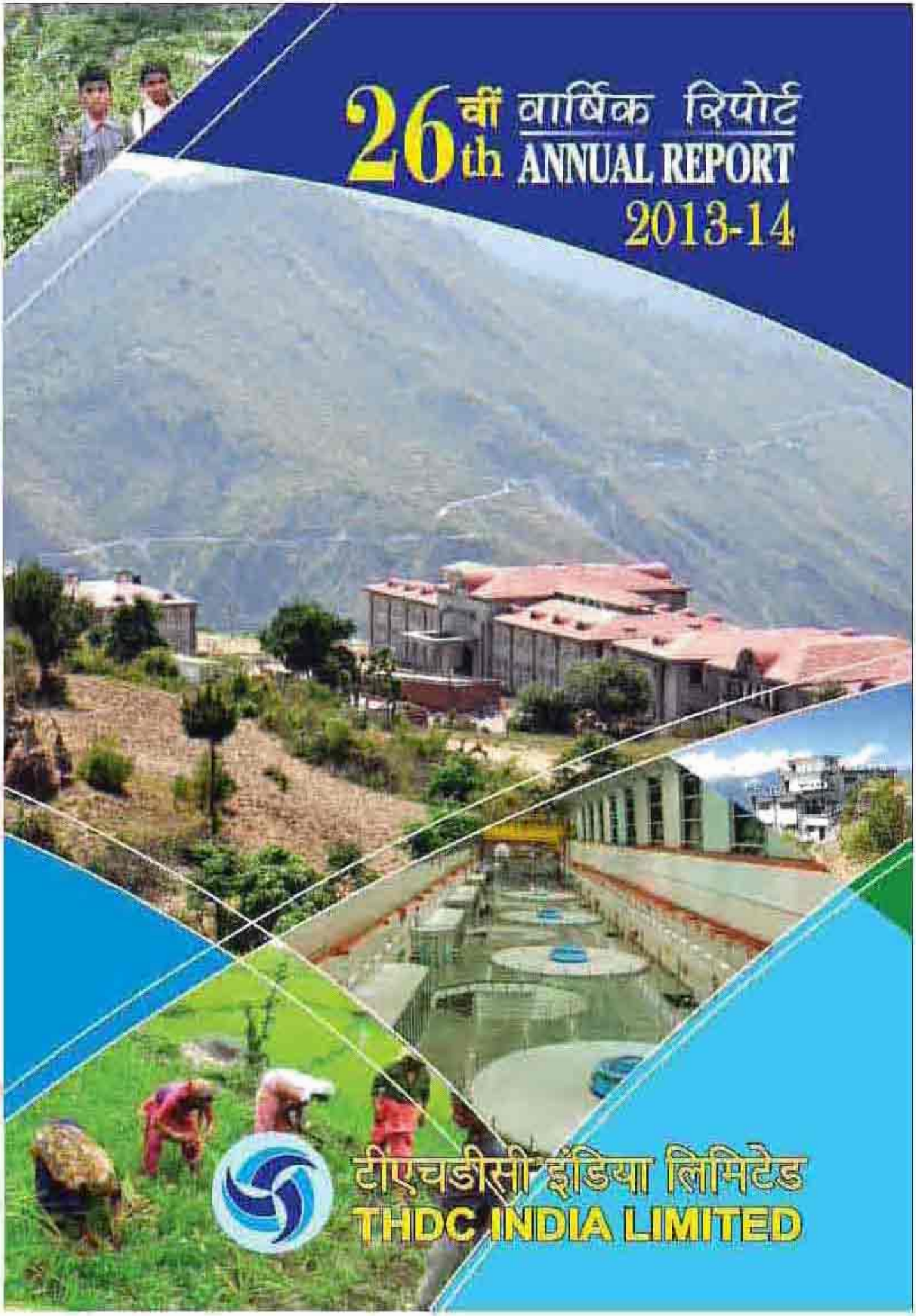

26वीं वार्षिक रिपोर्ट
26th ANNUAL REPORT
2013-14

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

विषय सूची
Contents

- निदेशक मंडल / Board of Directors — 3
- अध्यक्ष का अभिभाषण / Chairman's Address — 5
- निदेशकों की रिपोर्ट / Directors' Report — 9
- कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सततता की रिपोर्ट / Report on Corporate Social Responsibility & Sustainability — 29
- कारपोरेट सुशासन के संबंध में रिपोर्ट / Report on Corporate Governance — 38
- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां / Significant Accounting Policies — 70
- तुलन – पत्र / Balance Sheet — 74
- स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट / Independent Auditor's Report — 111
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां / Comments of C & AG of India — 116

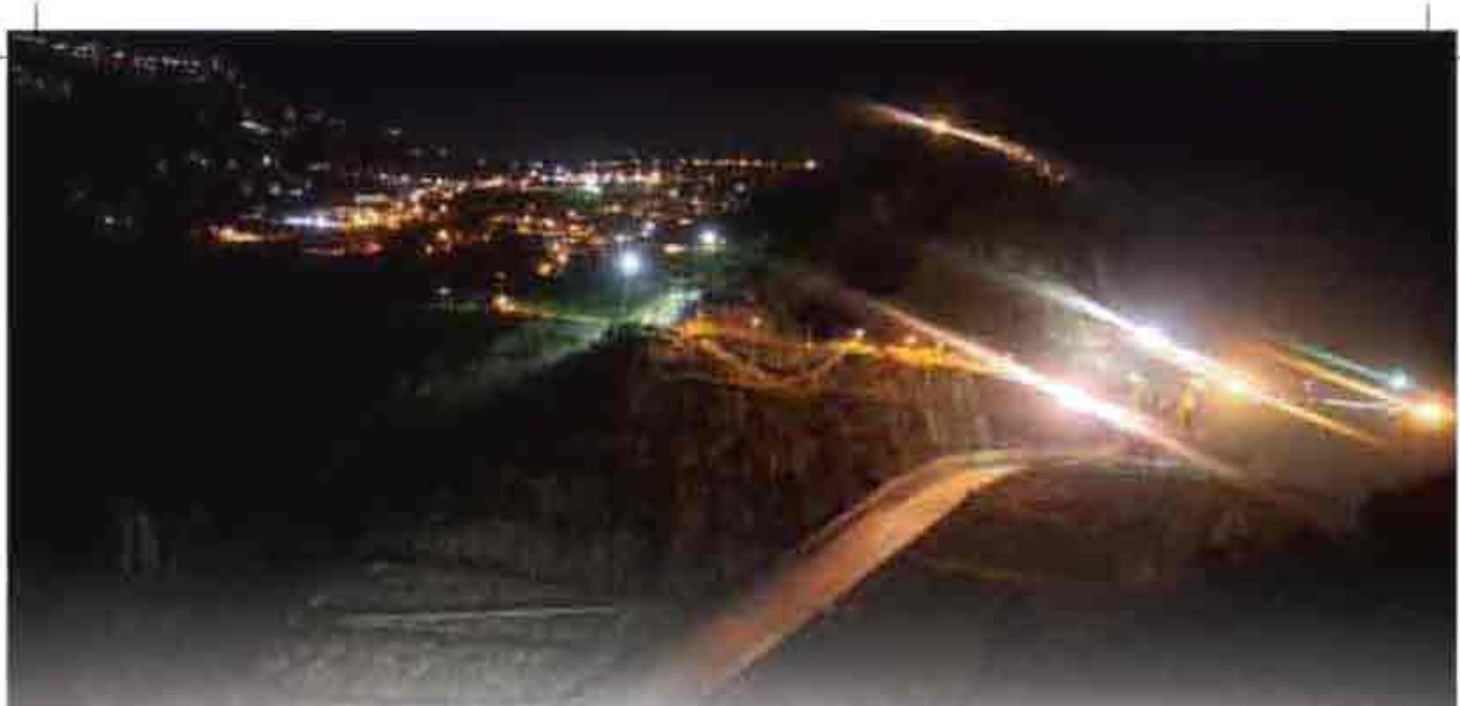

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की आम सभा की 26वीं वार्षिक बैठक टीएचडीसीआईएल, प्रथम तल, ईस्ट टावर, एनबीसीसी टावर, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली–110003 (दूरभाष 011–24368117) में दिनांक 27.09.2014 को सायं 5:00 बजे आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाएंगे:-

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ–साथ लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना।
2. 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक नियत करना।

विशेष कार्य

3. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक नियत करना।
4. प्रदत्त पूंजी तथा स्वतंत्र आरक्षिती से अधिक बोर्ड के उधार लेने की शक्ति को अनुमोदित करना।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
के निदेशक मंडल के आदेश से

(एस.क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव
मो. 9412998458

सेवा में,

– टीएचडीसीआईएल के सभी सदस्य
–श्रीमती अंजू भल्ला, निदेशक (हाइडल–1), विद्युत मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001, दूरभाष– 011–23714160
–श्री एस.एल. गुप्ता, मुख्य अभियंता (गंगा), सिंचाई विभाग, निकट जल चुंगी चौराहा, साकेत, मेरठ (उ.प्र.) दूरभाष सं. 0121–2642736
–टीएचडीसीआईएल के सभी निदेशक
–सांविधिक लेखापरीक्षक– मैसर्स भाटिया एंड भाटिया, सनदी लेखाकार, 12, सेंट्रल लेन, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली–110001

नोट : बैठक में भाग लेने और मत देने का हकदार कंपनी का सदस्य प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार होगा जो उसके स्थान पर बैठक में भाग लेकर मत दे सकेगा। प्रॉक्सी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। प्रॉक्सी फार्म और व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।

स्थान : ऋषिकेश
दिनांक : 27.09.2014

पंजीकृत कार्यालय

भागीरथी भवन (टॉप टेरिस), भागीरथीपुरम,
टिहरी (गढ़वाल) – 249001 (उत्तराखण्ड)

अन्य कार्यालय

ऋषिकेश
प्रगतिपुरम, बाई–पास रोड, ऋषिकेश – 249201 (उत्तराखण्ड)

एनसीआर
प्लाट नं. 20, सेक्टर – 14, कौशाम्बी, गाजियाबाद – 201010 (उत्तर प्रदेश)

देहरादून
28, ईसी रोड, देहरादून–248001 (उत्तराखण्ड)

लखनऊ
101, राज अपार्टमेंट, 7 जॉपलिंग रोड, लखनऊ – 226001 (उत्तर प्रदेश)

पुणे
अरुण प्लाजा, द्वितीय तल, गली नं. 19/3, हिंजेवाडी रोड,
डांगे चौक, तिरगांव, पुणे – 411033 (महाराष्ट्र)

बीपीएचईपी
अलकनंदापुरम, सियासैन, पीपलकोटी, जिला – चमोली (उत्तराखण्ड)

भूटान
प्रथम तल, पेल्खी सेंटर, पैल्खिल लाम, फुएंटशोलिंग, भूटान

कम्पनी सचिव

श्री एस. क्यू. अहमद

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स भाटिया एंड भाटिया
सनदी लेखाकार
12, सेंट्रल लेन, बंगाली मार्किट, नई दिल्ली–110001

बैंकर

पंजाब नेशनल बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
भारतीय स्टेट बैंक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

यह रिपोर्ट 27.09.2014 को कंपनी की 25वीं वार्षिक आम सभा में पारित की गई।

निदेशक मंडल
27.09.2014 के अनुसार

श्री आर.एस.जी. शाई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री दीपक सिंघल
प्रमुख सचिव (सिंचाई), उ.प्र. सरकार
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री संजय अग्रवाल
प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ.प्र. सरकार
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री राज पाल
आर्थिक सलाहकार, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री डी.जी. सिंह
निदेशक (तकनीकी)

श्री एस.के. बिस्वास
निदेशक (कार्मिक)

श्री श्रीधर गात्रा
निदेशक (वित्त)

प्रोफेसर (डॉ.) एस. सी. सक्सेना
स्वतंत्र निदेशक

श्री राजीव शेखर साहू
स्वतंत्र निदेशक

श्री ओ. पी. गढ़वेरा
स्वतंत्र निदेशक

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC India Limited

हमारी अभिदृष्टि

विद्युत क्षेत्र में एक बड़ी विश्वस्तरीय भूमिका, पर्यावरणीय, पारिस्थितिकीय तथा सामाजिक मूल्यों की प्रतिबद्धता के साथ गुणवत्तापूर्ण, समर्थपूर्ण तथा धारणीय विद्युत उपलब्ध कराना।

व्यवसायिकीकरण तथा उत्कृष्टता की उपलब्धि के द्वारा विकास की कार्य संस्कृति सृजित करना।

हमारा मिशन

कमीशनिंग की अवधारणा से जल विद्युत तथा अन्य ऊर्जा संसाधनों की योजना बनाना, उन्नतीकरण करना, विकास करना तथा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखते हुए बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग को प्राप्त करने के लिए विद्युत स्टेशनों का परिचालन करना, जिससे राष्ट्रीय समृद्धता में वृद्धि हो सके।

मानवीय दृष्टि से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन सहित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को स्वीकार करना।

गत्यात्मक परिवर्तित व्यावसायिक परिवेश चुनौतियों का सामना करना तथा वैश्विक बेंचमार्क निर्धारित करना।

पारस्परिक लाभ एवं उन्नति के लिए अंशधारकों से धारणीय और मूल्य आधारित संबंध बनाना।

संगठनात्मक ज्ञान एवं आपसी विश्वास के परिवेश में समर्पित कार्यबल को प्रोत्साहित करते हुए उत्कृष्ट निष्पादन प्राप्त करना।

अध्यक्ष का अभिभाषण

देवियों और सज्जनों,

मैं आपकी कंपनी की 26वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। वर्ष 2013–14 के लिए वार्षिक लेखापरीक्षित लेखों के साथ–साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निदेशक मंडल की रिपोर्ट पहले से ही आपके पास है और आपकी अनुमति से मैं यह मान लेता हूँ कि आपने उन्हें पढ़ लिया होगा।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ष के दौरान टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के प्रचालनात्मक संयंत्रों अर्थात 1000 मे.वा. के टिहरी एचपीपी और 400 मे.वा. के कोटेश्वर एचईपी ने अच्छा निष्पादन किया है। वर्ष के दौरान दोनों संयंत्रों से संयुक्त विद्युत उत्पादन 8,582 मि.यू. था जो कि अभी तक का उच्चतम विद्युत उत्पादन दर्ज किया गया है और यह उत्कृष्ट विद्युत उत्पादन लक्ष्य से 35 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार पीएएफ (संयंत्र उपलब्धता कारक) जो विद्युत उत्पादक संयंत्रों की प्रचालनात्मक दक्षता का मिश्रण है, वह मानक आंकड़ों से काफी ऊपर था।

टिहरी बांध ने जून, 2013 की बाढ़ को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और भागीरथी नदी में आई बाढ़ के जल के बड़े भाग को रोककर देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार के आउटस्ट्रीम क्षेत्रों में इसके प्रभाव को कम कर दिया था।

विद्युत क्षेत्र परिदृश्य एवं व्यवसायिक दृष्टिकोण

गत वर्ष विद्युत क्षेत्र में काफी चुनौतियां देखी गई हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए हालिया कानून भूमि अधिग्रहण में संभावित मुश्किलों के अतिरिक्त विद्युत परियोजनाओं की लागत एवं व्यवहार्यता को प्रभावित करेगा। जल विद्युत परियोजनाओं की तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता, पारिस्थितिकीय प्रवाह में वृद्धि और दो उत्तरवर्ती जल विद्युत परियोजनाओं के बीच मुक्त नदी प्रवाह के विस्तार के संबंध में शर्तों से भी काफी प्रभावित हुई है। उत्तराखंड में परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरियों पर उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश ने विकास के विभिन्न चरणों में अनेक परियोजनाओं के प्रारंभ को संदेह में डाल दिया है। जहां तक टीएचडीसीआईएल का प्रश्न है, इसकी दो परियोजनाएं, जिनके लिए डीपीआर/एफआर तैयार किए जा चुके हैं, प्रभावित हुई हैं।

यहां पर यह उल्लेखनीय है कि शेष जल विद्युत हिमालयन बेल्ट की ऊपरी पहुंच में, अत्यधिक ऊंचाई/बर्फ से ढके क्षेत्रों में स्थित है जहां पर पहुंच सीमित है। इन क्षेत्रों में से अधिकांश पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों के समान वर्गीकृत हैं और वर्तमान व्यवस्थाओं के तहत कभी भी मंजूरियों के लिए पात्र नहीं होंगे। पर्यावरण और

पारिस्थितिकी पर वर्तमान धारणाओं की पृष्ठभूमि में जल विद्युत क्षमता की व्यावहारिक साध्यता के पूर्ण पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है।

पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दे, स्वभावतः उच्च पूंजीगत लागत और लंबी उत्पादक अवधि, जल विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। जल विद्युत क्षेत्र में स्वाभाविक बाधाओं को देखते हुए आपकी कंपनी ने ताप एवं गैर–परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में विविधिकरण करने का जागरूक निर्णय लिया है। विविधिकरण के लिए सतत वृद्धि सुनिश्चित करना और कंपनी के अंश मूल्यांकन के साथ–साथ इसके संसाधनों–वित्त एवं मानवशक्ति दोनों का प्रभावशाली उपयोग करना भी तर्कसंगत है।

सरकार के एजेंडा में यह वास्तव में खुशी की बात है कि सरकार विद्युत क्षेत्र में बदलाव लाने और सबके लिए 24x7

वर्ष 2012-13 के लिए श्री आर.एस.टी. साई, अ. एवं प्र. नि., टीएचडीसीआईएल माननीय गृहमंत्री भारत सरकार की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति से इन्दिरा गांधी राजभाषा का प्रथम पुरस्कार ग्रहण करते हुए

विद्युत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के बारे में प्रतिबद्ध है। जबकि जल विद्युत से बिजली के अधिकतम उत्पादन करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, पर्यावरण मंजूरियों में तेजी लाने सहित, कोयला उत्पादन में वृद्धि करने और कोयला लिंकेज में युक्तिकरण जैसे उपायों के साथ कोयला क्षेत्र के लिए ठोस प्रयास करने होंगे। सौर और पवन ऊर्जा के विकास पर भी जोर देना होगा।

व्यापारिक निष्पादन

• वाणिज्यिक निष्पादन और लाभप्रदता

आपकी कंपनी के प्रचालन केंद्रों ने गत वर्ष के दौरान उत्पादित 4,228 मि.यू. की तुलना में 32% की वृद्धि दर्शाते हुए 5,582 मि.यू. का उत्पादन किया है। वर्ष के दौरान सकल बिक्रियां गत वर्ष के दौरान 2026.53 करोड़ रु. की तुलना में 2043.77 करोड़ रु. हुई थी। आपकी कंपनी का शुद्ध लाभ गत वर्ष के दौरान 531.38 करोड़ रु. की तुलना में 12% की वृद्धि के साथ 596.32 करोड़ रु. हुआ है।

चल रही परियोजनाएं अर्थात 1000 मे.वा. टिहरी पीएसपी और 444 मे.वा. विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी के लिए नगदी की स्थिति और आवश्यक इक्विटी के लिए निधि की आवश्यकता के आधार पर, आपकी कंपनी ने चल रही परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए अधिशेष को बरकरार रखने का प्रस्ताव किया है और लाभांश की घोषणा नहीं की है। यह आपकी कंपनी के दीर्घावधि हित में है।

आपकी कंपनी के लेखा परीक्षा परिणामों के आधार पर इस वर्ष की एमओयू रेटिंग गत वर्ष के लिए "बहुत अच्छा" की तुलना में "उत्कृष्ट" मूल्यांकित की गई है।

• परियोजनाएं

1000 मे.वा. की पीएसपी के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि भूमिगत उत्खनन के दौरान सामना की गई भूगर्भ दशाओं के कारण कार्य शुरूआत में प्रभावित हुए थे जिससे विद्युत गृह ले–आउट में बड़े संशोधन करना अनिवार्य था। परियोजना के निष्पादन के लिए अधिकांश मोर्चे अब उपलब्ध हैं और प्रगति में सुधार आना संभावित है। खदान के प्रचालन के लिए अनुमति मिलने में देरी अभी भी चिंता का कारण बनी हुई है।

444 मे.वा. की विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी के लिए आपकी कंपनी ठोस प्रयासों से वन भूमि अंतरण कराने में सक्षम रही है। वन भूमि की उपलब्धता होने से प्रमुख सिविल कार्यों के पैकेज जनवरी, 2014 में अवार्ड किए गए थे और परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

झांसी, उत्तर प्रदेश में 24 मे.वा. की ढुकवां एसएचपी का कार्यान्वयन आगले कुछ माह के दौरान सिविल कार्यों, जो अभी प्रक्रियाधीन हैं, का ठेका अवार्ड होने के बाद शुरू होना संभावित है।

अलकनंदा बेसिन में झेलम तमक एचईपी के लिए, मुक्त नदी बहाव विस्तार और पारिस्थितिकीय प्रवाह में वृद्धि की दशाओं के कारण घटाई गई क्षमता के साथ परियोजना की डीपीआर तैयार की गई थी और सीईए को प्रस्तुत की गई थी। पर्यावरणीय मंजूरी का प्रस्ताव भी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

कंपनी की 26वीं वार्षिक आम सभा का दृश्य

के विचाराधीन था। इसी प्रकार घटाए गए आकार के साथ भलेरी झेलम एचईपी की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार हो गई थी और सीईए द्वारा मंजूर कर दी गई थी। यह दो परियोजनाएं हालांकि अगस्त, 2013 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण प्रभावित हुई हैं। आपकी कंपनी इन दोनों परियोजनाओं के संबंध में आदेश की समीक्षा करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक याचिका दर्ज करने के लिए कदम उठा रही है।

1320 मे.वा. की खुर्जा एसटीपीपी पर उत्साहवर्धक प्रगति हुई है। यूपीएसआईडीसी के द्वारा पहले ही अधिग्रहीत की गई परियोजना के लिए 1200 एकड़ भूमि के अंतरण के लिए विभिन्न साधनों को स्थापित करने के लिए यूपीएसआईडीसी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भूमि का मूल कब्जा लेने के लिए अनुग्रह के रास्ते अतिरिक्त प्रतिपूर्ति का भुगतान किए जाने को लेकर जिला प्रशासन/यूपीएसआईडीसी और किसानों के बीच किसी नतीजे पर पहुंचे हैं। भूमि के बीच से गुजरने वाले एनएच 91 का मार्ग परिवर्तन करने के लिए अनुमोदन भी एनएचएआई से प्राप्त हो गया है जो भावी संवर्धन के लिए भूमि की अतिरिक्त उपलब्धता को सक्षम करेगा। लंबे समय से प्रतीक्षित जल प्रतिबद्धता पत्र भी उ.प्र. सरकार से प्राप्त हो गया है। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रति किया जाने वाला अग्रिम व्यय के लिए भारत सरकार से निवेश अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी सतत आजीविका को प्रोत्साहित करने, समग्र विकास और अपने व्यापार के प्रचालनात्मक क्षेत्र में लक्षित समुदायों की भलाई के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों के लिए मार्गदर्शन के कर पश्चात लाभ का 2% निर्धारित किया था। सीएसआर परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कंपनी द्वारा प्रायोजित गैर सरकारी संगठन (सीबीओ/एनजीओ/एम) नामत: सेवा-टीएचडीसी और टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस) जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हैं, प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं। सीएसआर को और प्रभावशाली बनाने के लिए आपकी कंपनी ने स्टेकहोल्डर्स के साथ द्विमार्गीय संदेशवाहन और "यू हट विद कम" की प्रयोग की रूपरेखा के साथ सीएसआर संचार रणनीति विकसित की है।

क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए आपकी कंपनी ने टिहरी में आधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं युक्त इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी स्थापित किया है जो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। अंतिम वर्ष की कक्षाओं के लिए शैक्षिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो गया है।

जून, 2013 में उत्तराखंड में हालिया बाढ़ के दौरान आपकी कंपनी और इसके कर्मचारी प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने के लिए आगे आए थे। प्रभावित लोगों को भोजन एवं चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए टिहरी एवं विष्णुगाड पीपलकोटी परियोजनाओं में शिविर बनाए गए थे। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन दान दिया था। उत्तराखंड राज्य में पीएसयूज द्वारा वित्तपोषित किए जाने वाले सहायता और पुनर्स्थापन कार्यों के लिए सभी विद्युत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की ओर से विद्युत मंत्रालय द्वारा आपकी कंपनी को नामित किया गया था। आपकी कंपनी ने प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्स्थापन कार्यों

को करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्य किया है।

सतत विकास

आपकी कंपनी सतत विकास के लिए गहराई से जागरूक है। व्यापार एवं सीएसआर गतिविधियां पर्यावरण, पारिस्थितिकीय और सामाजिक मूल्यों की प्रतिबद्धता के साथ चलाई जाती हैं।

सततता रिपोर्टिंग अब एक आवधिक अभ्यास है और 5वीं सततता रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय जीआरआई मापदंडों को शामिल करते हुए कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के आधार पर प्रकाशित की गई है।

सततता रिपोर्टों को पारदर्शिता और लगातार सुधार लाने में सक्षम करने हेतु फीडबैक देने के लिए वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। यद्यपि आपकी कंपनी अभी सूचीबद्ध नहीं है फिर भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए वार्षिक रिपोर्ट में अच्छा कारपोरेट सुशासन के भाग के रूप में व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) और प्रबंधन निर्णय तथा विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर) के एक अध्याय को शामिल किया गया है।

कारपोरेट सुशासन

आपकी कंपनी कारपोरेट सुशासन के उच्चतम पैमानों को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध रहती है और अपने सभी स्टेकहोल्डरों के लिए मूल्य स्थापित करने के लिए पारदर्शी और पेशेवर तरीके से कार्य करती रहेगी। स्टेकहोल्डरों का विश्वास एवं भलाई का प्रधान महत्व है और आपकी कंपनी इसका संरक्षण, सुरक्षा और वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भावी दृष्टिकोण

कंपनी के उद्देश्यों के क्रम में, आपकी कंपनी अगले 10 वर्षों के लिए कारपोरेट और वित्तीय योजना स्थापित करने के लिए कार्य योजना बना रही है। जल विद्युत क्षेत्र के साथ जुड़े रहने में काफी मुश्किलें हैं, हालांकि, कंपनी सभी मुश्किलों से पार पाने तथा आगे बढ़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है।

आपकी कंपनी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में क्षमता अभिवृद्धि के लिए आवश्यक कदम भी उठा रही है। पवन संभाव्य राज्यों में से किसी एक में 50 मे.वा. पवन फार्म स्थापित करने की योजना है। उ.प्र. में 100 मे.वा. क्षमता के सौर संयंत्र के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिए यूपीएनईडीए (उ.प्र. के लिए राज्य नोडल एजेंसी) से वार्ताएं भी कर रही है।

आभार

आपकी कंपनी की सफलता में निरंतर प्रयास, प्रतिबद्धता, ऊर्जा और 2060 उच्च समर्पित कर्मचारी बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं। मुझे विश्वास है कि आप उन सभी के प्रति सम्मान प्रकट करने में मेरे साथ हैं। मैं वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं तथा अन्य सभी स्टेकहोल्डरों का भी उनके सहयोग एवं कंपनी की प्रगति में योगदान के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं कंपनी के विकास के लिए बोर्ड के सभी सदस्यों, विद्युत मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, उ.प्र. सरकार, उत्तराखंड सरकार, महाराष्ट्र सरकार, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान, सीईए, सीडब्ल्यूसी तथा अन्य सभी सरकारी गैर–सरकारी एजेंसियों से प्राप्त, सहायता और सहयोग के लिए आभारी हूं। मैं इस अवसर पर हमारे सभी स्टेकहोल्डरों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया और अपनी निरंतर सहायता दी है।

मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचार आपके सम्मुख रखने का अवसर दिया है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले वर्षों में काफी चुनौतीपूर्ण और लाभदायी होने वाली इस मनोरंजक यात्रा में आपका निरंतर सहयोग एवं प्रोत्साहन मिलता रहेगा।

जय हिंद

(आर.एस.टी. साई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.08.2014

निदेशकों की रिपोर्ट–2013–14

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण, सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी की 26वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रचालनों के वित्तीय परिणाम संक्षेप में नीचे दिए जा रहे हैं:–

(₹ मिलियन में)

विवरण	2013-14	2012-13
आय		
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	20667	19561
अन्य आय	1157	704
सकल आय (क)	21824	20265
व्यय		
कर्मचारियों के हितलाभ से जुड़े व्यय	1886	1932
वित्तीय लागतें	5303	6051
मूल्यह्रास	4812	4744
उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	1537	1519
प्रावधान	0	2
प्रशुल्क समायोजन (विनियामक देनदारी)	1519	0
पूर्वावधि से संबंधित समायोजन	107	42
कुल व्यय (ख)	15164	14290
कर पूर्व लाभ (क–ख)	6660	5975
कर	707	661
करोपरांत लाभ	5953	5314
जोड़ें: पूर्व वर्ष का अग्रेनीत अधिशेष शेष	22261	16947
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि	28214	22261
विनियोजन		
लाभांश		
अंतरिम	0	0
प्रस्तावित अंतिम	0	0
लाभांश पर कर		
अंतरिम	0	0
प्रस्तावित अंतिम	0	0
तुलन पत्र में ले जाया गया शेष	28214	22261

वित्तीय निष्पादन

राजस्व

कंपनी को वर्ष 2013–14 के दौरान 21824 मिलियन ₹ की आय हुई है (गत वर्ष 20265 मिलियन रु.) जिसके कारण 1559 मिलियन ₹ की अतिरिक्त आय हुई है जो वर्ष के दौरान 7.69 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाता है।

1000 मेगावाट भूमिगत विद्युत गृह, टिहरी एचपीपी का एक दृश्य

लाभ

गत वर्ष के 6314 मिलियन ₹ की तुलना में कंपनी ने वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान 6963 मिलियन ₹ का करोपरांत (पैट) लाभ अर्जित किया है। सकल आय के प्रतिशत के रूप में करोपरांत लाभ (पैट) 27.16 प्रतिशत (गत वर्ष) से बढ़ कर चालू वर्ष के दौरान 28.84 प्रतिशत हो गया है जो 1.68 प्रतिशत की वृद्धि है। गत पांच वर्षों का निवल लाभ का ग्राफिक प्रस्तुतीकरण नीचे दर्शाया गया है:

लाभांश

वर्तमान में वीपीएचईपी और टिहरी पीएसपी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जिनमें काफी अधिक नगदी प्रवाह शामिल है। तरलता की स्थिति संतोषजनक न होने तथा चल रही परियोजनाओं को धन प्रदान करने के लिए लाभ प्राप्त करने की अति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी ने आंतरिक संसाधनों को बनाए रखने की प्राथमिकता प्रदान की जिससे प्रति शेयर निवल मूल्य में वृद्धि होगी। तदनुसार आपकी कंपनी वर्ष 2013–14 के लिए लाभांश नहीं दे सकी है।

पूंजी ढांचा

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 40000 मिलियन ₹ है। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 34731 मिलियन ₹ है। वर्ष के दौरान कंपनी को टिहरी पीएसपी की इक्विटी के लिए भारत सरकार से 300 मिलियन ₹ प्राप्त हुए हैं।

प्रचालनात्मक निष्पादन

- **टिहरी तथा कोटेश्वर विद्युत संयंत्रों से उत्पादन**

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान आपकी कंपनी ने टिहरी और कोटेश्वर विद्युत संयंत्रों में रिकार्ड ऊर्जा उत्पादन तथा संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) प्राप्त किया है। ब्यौरे नीचे दिए जा रहे हैं–

संयंत्र का नाम	मि. यू. में उत्पादन		पीएएफ की प्रतिशतता	
	एमओयू में निर्धारित लक्ष्य (उत्कृष्ट)	उपलब्धि	एमओयू में निर्धारित लक्ष्य (उत्कृष्ट)	उपलब्धि
टिहरी एचपीपी (1000 मेगा.)	3937 मि.यू.	4000 मि.यू.	85%	87.028%
कोटेश्वर एचईपी (400 मेगा.)	1213 मि.यू.	1222 मि.यू.	67%	70.380%

- **मानसून, 2013 के दौरान टिहरी बांध द्वारा बाढ़ से बचाव**

मानसून की बारिश जल्दी शुरू हो जाने तथा उत्तराखंड में जून, 2013 में लगातार बारिश होने से सभी नदियां उफान पर थीं। 16/17 जून को टिहरी के भागीरथी में भारी मात्रा में 7000 क्यूमेक्स तक पानी का बहाव रिकार्ड किया गया। इन दो दिनों में टिहरी बांध के रिज़र्वायर में भागीरथी नदी का 580 मिलियन घन मी. पानी इकट्ठा रहा। टिहरी बांध से 7000 क्यूमेक्स के स्थान पर केवल 500 क्यूमेक्स पानी छोड़े जाने से देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे निचले इलाकों में स्थिति बदतर नहीं होने दिया गया। टिहरी बांध से इतना कम पानी छोड़े जाने के बावजूद हरिद्वार में 15000 क्यूमेक्स पानी की मात्रा रिकार्ड की गई जो बाढ़ आ सकती थी क्योंकि अलकनंदा से अनियमित पानी का बहाव आ रहा था। गंगा नदी खतरे के निशान से 1.9 मीटर ऊपर बह रही थी। यदि भागीरथी की बाढ़ का भंडारण टिहरी में नहीं किया गया होता तो हरिद्वार के जल स्तर में अनुमानतः 2.5 से 3.0 मीटर तक वृद्धि हो गई होती। इस प्रकार टिहरी बांध ने देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार और हरिद्वार स्थित गंगा के निचले मैदानों में बाढ़ रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वाणिज्यिक निष्पादन

गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के वाणिज्यिक निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(₹ मिलियन में)

विवरण	2013-14	2012-13
बिक्री	20667	19561
देर से भुगतान करने का अधिभार	985	162
अनशिड्यूल्ड इंटर चेंज	136	177
नगदी वसूली	25807	15603

माननीय सीईआरसी ने वर्ष 2013–14 की अवधि के लिए कोटेश्वर एचईपी के लिए अनंतिम प्रशुल्क आदेश जारी किया है। इस आदेश के प्रभाव पर वित्त वर्ष 2013–14 के तुलन पत्र में विचार किया गया है। टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट) का वर्ष 2009–14 तक अवधि का अंतिम प्रशुल्क आदेश तथा कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) का वर्ष 2011–14 का अंतिम प्रशुल्क आदेश माननीय सीईआरसी से प्रतीक्षित है।

कंपनी ने लाभग्राहियों को सर्वोत्तम संभव सेवाएं प्रदान की हैं। सभी लाभग्राहियों ने कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए उत्कृष्ट श्रेणी देते हुए फीलबैक देकर अपना संतोष प्रकट किया है।

परियोजना के लिए ऋण प्रदान करना

कंपनी ने वर्ष के दौरान विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी के लिए विश्व बैंक से (अमेरिकी डालर 648 मिलियन) तथा टिहरी पीएसपी के लिए एसबीआई कंसोर्टियम से (1500 करोड़ ₹) का ऋण करार किया है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने टिहरी पीएसपी के लिए 450 मिलियन ₹ तथा विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी के लिए 13.89 मिलियन अमेरिकी डालर ऋण प्राप्त किया है।

निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति और स्तर (स्टेटस)

• टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट)

1000 मेगावाट की टिहरी पीएसपी में 250–250 मेगावाट की रिवर्सिबिल 04 इकाइयां होंगी। व्यस्त समय न होने के कारण परियोजना द्वारा ऊर्जा का उपयोग निचले रिजर्वायर (कोटेश्वर) से ऊपरी रिजर्वायर (टिहरी) में पंप द्वारा पानी पहुंचाने के लिए किया जाएगा। इस प्रकार एकत्र किए गए जल का उपयोग व्यस्त समय के दौरान विद्युत उत्पादन के लिए किया जाएगा। उत्तरी क्षेत्र के चार राज्यों में पहले ही पीपीए मौजूद है ताकि व्यस्त समय न होने के कारण जाने वाली ऊर्जा की आपूर्ति की जा सके। परिवर्तन की जाने पर हुई हानियों का समायोजन कर समतुल्यी व्यस्त समय की बिजली की खरीददारी की जा सके। व्यस्त समय न होने पर बचने वाली ऊर्जा से पम्पिंग प्रचालन चलाने के लिए 1,712 मि.यू. ऊर्जा की जरूरत होगी। व्यस्त समय में परियोजना 1,268 मि.यू. बिजली प्रयोग में लाई जा सकेगी। जुलाई, 2011 में ईपीसी संविदा एवार्ड की जाने के बाद अनेक प्रकार से परियोजना संबंधी कार्य किए जा रहे है। मई, 18 तक परियोजना के प्रारंभ हो जाने की आशा है।

• विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी (4X111 मेगावाट)

यह परियोजना रन ऑफ द रिवर परियोजना का हिस्सा है। इसमें 65 मीटर ऊंचे कंक्रीट बांध की परिकल्पना की गई है ताकि चमोली जिले की अलकनंदा नदी में कुल 237 मी ग्रॉस

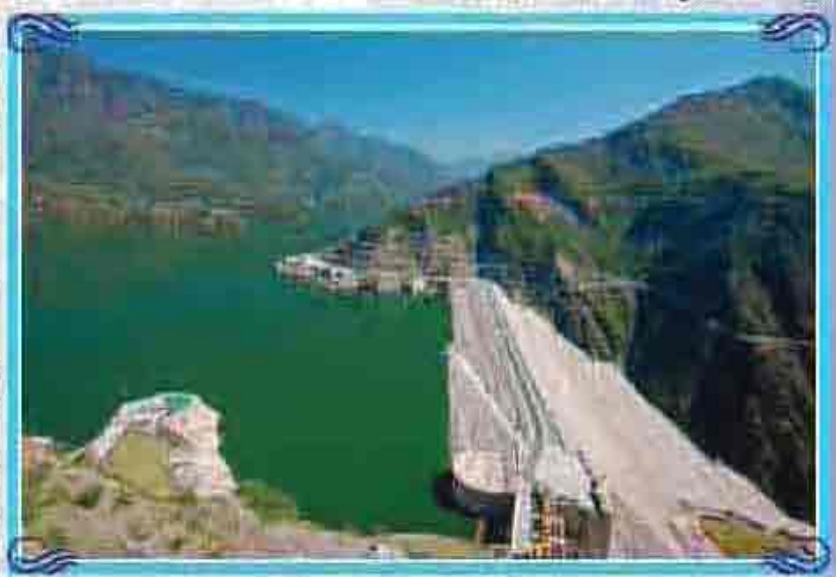

टिहरी बांध एवं जलाशय का विहंगम दृश्य

हैड को गति दी जा सके। इससे प्रति वर्ष 1,874 मि.यू. (90 प्रतिशत आश्रित वर्ष) यूनिट का उत्पादन होगा। कुल उत्पादित बिजली में से 12 प्रतिशत बिजली गृह राज्य उत्तराखंड को निःशुल्क दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उत्पादित बिजली के 01 प्रतिशत का उपयोग स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए किया जाएगा। सिविल और एचएम पैकेजों के लिए मैसर्स एचसीसी लिमिटेड, मुंबई के साथ संविदा पर हस्ताक्षर दिनांक 17.01.2014 को किए गए। ठेकेदार ने अनेक प्रकार के कार्यों से संबंधित सामान जुटा लिया है तथा कार्य प्रगति पर है।

परियोजना इस प्रकार बनाई गई है कि इसे जुलाई, 2018 तक प्रारंभ किया जा सके।

- **डुकवां लघु जल विद्युत परियोजना (24 मेगावाट)**

डुकवां लघु जल विद्युत परियोजना को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की बेतवा नदी पर मौजूद डुकवां आंशिक रूप से चिनाई किए गए तथा आंशिक रूप से कच्चे बांध के सिरे के अंत में निर्माण करने का विचार किया गया है। 24 मेगावाट (3 x 8 मेगावाट) की संस्थापित क्षमता से युक्त परियोजना, बेतवा नदी की विद्युत क्षमता के समग्र विकास का हिस्सा है। पूरा हो जाने पर परियोजना से प्रति वर्ष 97.82 मि.यू. बिजली का उत्पादन होगा। अप्रैल, 17 तक परियोजना के प्रारंभण की योजना बनाई गई है।

भूटान में परियोजनाओं का विकास

- **संकोश एचईपी (2585 मेगावाट)**

संकोश एचईपी में (8 x 312.5 मेगावाट) का संस्थापन कर और 5,949.05 मि.यू. बिजली का उत्पादन कर और

टिहरी बांध से निकलने का दृश्य

(3 x 28.33 मेगावाट) का संस्थापन कर और 416.34 मि.यू. बिजली उत्पादन कर मुख्य बांध के डैम के डाउनस्ट्रीम को विनियमित कर मुख्य बांध के दो (तले) में दो बिजली घरों (पावर हाउस) (बायां किनारा और दाहिना किनारा) का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है। 215 मीटर की आरसीसी (रोलर कंपैक्टिड कंक्रीट) बांध की इष्टतम ऊंचाई सहित संकोश एचईपी के डीपीआर सीईए/सीडब्ल्यूसी में जांच की जा रही है।

- **बुनाखा एचईपी (180 मेगावाट)**

वर्ष में 1,812.12 मि.यू. ऊर्जा के उत्पादन सहित उर्ध्वाधर फ्रांसिस टर्बाइन (3 x 60 मेगावाट) की स्थापना का तथा संकरण बांध और दो पावर हाउस का निर्माण कर बुनाखा एचईपी की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना की निर्माण अवधि 87 माह (अवसंरचना विकास के लिए 01 वर्ष की अवधि को छोड़कर) है। फरवरी, 14 के दौरान, भूटान सरकार ने बुनाखा एचईपी के कार्यान्वयन के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया। भारत सरकार और भूटान की शाही सरकार के बीच कार्यान्वयन के लिए अंतर्सरकारी करार (आईजीए) पर अप्रैल, 2014 में हस्ताक्षर किए गए।

थर्मल उत्पादन

- **खुर्जा सुपर थर्मल पावर स्टेशन–1320 मेगावाट**

उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में कोयले पर आधारित 1320 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 31 दिसम्बर, 2010 को एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया। यूपीएसआईडीसी द्वारा इस परियोजना के लिए पहले ही भूमि (1200 एकड़) अधिग्रहीत की जा चुकी है। यूपीएसआईडीसी द्वारा टीएचडीसीआईएल को भूमि के हस्तांतरण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। भूमि के लिए अधिक मुआवजे की मांग के कारण राज्य के प्राधिकरण/ यूपीएसआईडीसी किसानों को दिए जाने वाले अतिरिक्त मुआवजे को अंतिम रूप दे रहे हैं। आपकी कंपनी का प्रस्ताव है कि राज्य प्राधिकरणों/ यूपीएसआईडीसी द्वारा मुआवजे को अंतिम रूप दिए जाने के बाद भूमि अधिग्रहण के संबंध में किए जाने वाले अग्रिम व्यय के लिए सरकार की मंजूरी प्राप्त की जाए।

परियोजना के लिए डीपीआर तथा ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। अधिग्रहीत भूमि से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग–91 का रास्ता बदलने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिए जाने के उपरांत तथा उत्तरवर्ती चरण में अतिरिक्त यूनिट का प्रावधान रखने के लिए संयंत्र के ले आउट में संशोधन कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 53 क्यूसेक पानी छोड़े जाने संबंधी वचन–पत्र प्राप्त हो चुका है। 275 मीटर ऊंची चिमनी के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त हो चुकी है। टीएचडीसीआईएल ने दीर्घकालिक कोल लिंकेज प्राप्त

करने के लिए मई, 2011 में कोयला मंत्रालय को आवेदन किया है। आपकी कंपनी परियोजना के लिए कोयला ब्लॉक के आबंटन के लिए भी अनुसरण कर रही है।

कोटेश्वर बांध का अपस्ट्रीम दृश्य

ऊर्जा के अन्य क्षेत्रों में विविधीकरण

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम

आपकी कंपनी अपने विविधीकरण उद्देश्यों के भाग के रूप में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में प्रवेश करने का प्रयास कर रही है।

- **पवन ऊर्जा उत्पादन**

80 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए परामर्श देने हेतु पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी–वेट) को परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। कंपनी ने उत्तर प्रदेश के बिजौरिया गांव में 80 मीटर का पवन निगरानी मस्तूल संस्थापित किया है। 80 मीटर का दूसरा मस्तूल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के लखीमपुर खीरी गांव में संस्थापित किया गया है। पवन की क्षमता वाले राजस्थान/मध्यप्रदेश/गुजरात/महाराष्ट्र जैसे राज्यों में से किसी राज्य में उपयुक्त स्थान पर 20 वर्षों के व्यापक प्रचालन और अनुरक्षण सहित 80 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

- **सौर ऊर्जा उत्पादन**

मध्य प्रदेश सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने सितम्बर, 2013 में नीमच (मध्य प्रदेश) जिले के चीताखेड़ा में 20 मेगावाट क्षमता की एक सौर ऊर्जा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पंजीकरण पत्र आबंटित कर जारी किया है। जालौन जिले (उत्तर प्रदेश) में ग्रिड से जुड़े 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए यूपीएनईडीए (उत्तर प्रदेश राज्य की नोडल एजेंसी) तथा टीएचडीसी आईएल के बीच संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

इंजीनियरिंग परामर्श

जल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में परामर्शी और सलाहकारी सेवा प्रदान करने के लिए आपकी कंपनी ने इंजीनियरिंग परामर्शी विभाग की स्थापना की है। पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य शुरू किए गए थे:

- दो लघु जल विद्युत परियोजनाओं का अंतर्निहित क्षमता अध्ययन तथा ईएंडएम अध्ययन।
- ओडिशा हाइड्रो पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के लिए तीन परियोजनाओं के लिए पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में परामर्श कार्य।
- पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना के तहत छह लघु

कोटेश्वर बांध का डाउनस्ट्रीम दृश्य

टिहरी एचपीपी से बिजली निकासी

जल विद्युत परियोजनाओं की विद्युत क्षमता का अध्ययन तथा ईएंडएम अध्ययन।

- श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएनवीजीएसबी) द्वारा दिया गया कटरा तथा श्री माता वैष्णो देवी जी के मंदिर के बीच के असुरक्षित क्षेत्रों के ढालों के स्थिरीकरण कार्यों के लिए डिजाइन तथा इंजीनियरी परामर्श कार्य।
- लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले उत्तराखंड राज्य के विभिन्न सड़कों के बीस पुराने भू-स्खलन क्षेत्रों की रक्षा के लिए परामर्श।

प्रौद्योगिकी का विलयन, अनुकूलन और नवाचार

आपकी कंपनी ने प्रौद्योगिकी के विलयन, अनुकूलन और नवाचार के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है:

- मैसर्स पावर मशीन रूस द्वारा टिहरी एचपीपी को आपूर्ति किए गए जनरेटर के पुर्जों को स्वदेश में विकसित किया गया है। इससे पुर्जों के लिए विदेशी विनिर्माताओं पर निर्भरता कम हो गई है।
- मैसर्स एल्स्टोम टी एंड डी इंडिया लिमिटेड के माध्यम से टिहरी एचपीपी का संरक्षण समन्वय अध्ययन तथा कोटेश्वर एचईपी की तृतीय पक्ष संरक्षण लेखा परीक्षा की गई है ताकि प्रणाली की कमियों की पहचान की जा सके तथा सुरक्षात्मक उपकरणों में समन्वय किया जा सके और प्रणाली की चयनात्मकता, विश्वसनीयता और स्थिरता बनाई रखी जा सके।
- विद्युत संयंत्रों केईएम-उपस्करों की स्थिति का आंकलन करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं ताकि मशीनों की उपलब्धता, विश्वसनीयता और जीवन अवधि में सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जा सके।
- मैसर्स सेन्ट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैंगलुरू द्वारा कोटेश्वर एचईपी के जनरेटर ट्रांसफार्मर तथा स्विचयार्ड के सभी सर्किट ब्रेकरों की स्थिति की मानीटरिंग की गई।
- कंपनी, उत्पादन करने वाले संयंत्रों में वार्षिक आधार पर समय-समय पर मॉक ब्लैक स्टार्ट एक्सरसाइज द्वारा ग्रिड की पुनर्बहाली के लिए आवश्यक आकस्मिक

टिहरी एचपीपी में भूमिगत पावर हाउस की कंप्यूटरीकृत नियंत्रण प्रणाली

सहायता भी प्रदान कर रही है।

- टिहरी एचपीपी के लिए बाढ़ के बारे में पूर्वानुमान नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है ताकि आवाह क्षेत्र में हुई वर्षा के आधार पर प्रवाह/बाढ़ के संबंध में अग्रिम सूचना प्राप्त की जा सके। यह प्रणाली कंपनी को जलाश्य से पानी को नियंत्रित ढंग से छोड़ने में मदद करेगी।

श्री आर.एस.टी. साई, अ. एवं प्र. नि. टीएचडीसीआईएल तथा श्री पी.के. सिन्हा, सचिव (ऊर्जा), भारत सरकार वर्ष 2014-15 के समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान करते हुए

अनुसंधान और विकास

आपकी कंपनी ने ऋषिकेश में एक पूर्ण विकसित अनुसंधान और विकास विभाग की स्थापना की है। वर्ष 2013–14 के दौरान अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

- हाइड्रो पावर स्ट्रक्चर के लिए सेल्फ कंपैक्टिंग कंकरीट का विकास–प्रायोगिक कार्यों को पूर्ण करना।
- टिहरी जलाशय के आवाह क्षेत्र से सेडीमेंट यील्ड का आंकलन–कल्पना तथा क्षेत्र से सत्यापन के आधार पर सभी आंकड़ों को प्राप्त करना।
- जीरो ब्रिज से कोटेश्वर के बीच सड़क की ढाल को स्थिर बनाने के लिए व्यापक समाधान–समस्याओं का प्रतिपादन/पहचान।
- केएचईपी के 02 जनरेटर ट्रांसफार्मरों की हालत की निगरानी।
- टिहरी क्षेत्र के चारों ओर भूकंपीय नेटवर्किंग।
- एयर गैप तथा कंपन मानीटरिंग प्रणाली।

वर्ष 2013–14 के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए बजट आबंटन 3.36 करोड़ रु. प्रस्तावित किया गया था जो वर्ष 2012–13 के लिए 0.63 प्रतिशत करोपरांत लाभ (पैट) था। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए वार्षिक बजट आबंटन पूर्ववर्ती वर्ष के करोपरांत लाभ (पैट) का न्यूनतम 0.5 प्रतिशत होगा। वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास पर किया गया वास्तविक व्यय 2.49 करोड़ था जो "पैट" का 0.46 प्रतिशत है।

गुणवत्ता आश्वासन

आपकी कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के लिए गुणवत्ता नीति, पर्यावरण नीति और पेशागत स्वास्थ्य तथा सुरक्षा नीति स्थापित किया है। निम्नलिखित प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त किए गए हैं:

- नवम्बर, 2013 से तीन वर्षों के लिए कोटेश्वर परियोजना को आईएसओ 9001 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणन तथा आईएसओ 14001 (पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणालियां) दिया गया है।
- सितम्बर, 2013 से तीन वर्षों के लिए कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश को आईएसओ 14001 और ओएचएसएएस 18001 (पेशागत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियां) प्राप्त हुआ है।
- वीपीएचईपी, पीएसपी, टिहरी एचपीपी, केएचईपी तथा ऋषिकेश में ओएचएसएएस 18001 (पेशागत स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियां) लागू की जा रही हैं।
- ओएचएसएएस 18001 प्राप्त होने पर आपकी कंपनी की सभी निर्माण परियोजनाएं पावर स्टेशन और कारपोरेट कार्यालय आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और ओएचएसएएस प्रमाण पत्र युक्त हो जाएंगे।

ऊर्जा संरक्षण के उपाय

आपकी कंपनी बिजली के कार्यकुशल प्रयोग में विश्वास करती है ताकि मांग में कमी लाई जा सके। कंपनी के भीतर ऊर्जा के कार्यकुशल कार्यक्रमों के संबंध में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। कंपनी ने संयंत्र क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली को लगाया है।

आवासीय और कार्यालय परिसर की ऊर्जा लेखापरीक्षा पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन द्वारा करवाई गई थी। ऊर्जा के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- छात्रावासों तथा अतिथि गृहों में सौर हीटर लगाए गए हैं।
- कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए लगभग 231 एयर कंडीशनरों के स्थान पर स्टार रेटेड एयर कंडीशनर लगाए गए हैं।
- ऊर्जा की बचत करने के लिए परंपरागत स्ट्रीट लाइटों के स्थान पर कार्यकुशल प्रकाशपुंज (लाइट इमीनिसीज) लगाए जा रहे हैं।
- पुराने सीलिंग फैन के स्थान पर फाइव स्टार रेटेड सीलिंग फैन लगाए जा रहे हैं।
- टीएचडीसीआईएल परिसर में लगे हुए पंपिंग स्टेशन काफी पुराने थे और उनमें परंपरागत स्टार्टर लगे हुए थे। उनके स्थान पर 55 हार्स पावर के ऊर्जा की दृष्टि से कार्यकुशल मोटर पंप लगाए जा रहे हैं।
- ऋषिकेश परिसर में स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपनी तरह का अद्वितीय 100 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है जिससे प्रति वर्ष लगभग 1,83,000 यूनिट का उत्पादन किया जाएगा और कुल मिलाकर ऊर्जा की खपत में 6.66 प्रतिशत की कमी आएगी।
- अपशिष्ट प्रणाली 500 कि.ग्रा. जैव अपशिष्ट के लिए तैयार की गई है। इस सिस्टम से उत्पादित गैस का उपयोग टीएचडीसीआईएल कैंटीन के लिए किया जा रहा है तथा प्रतिदिन लगभग 7 से 8 किलोग्राम एलपीजी की बचत की जा रही है।
- ऋषिकेश की टाउनशिप के लिए 500 केएलडी क्षमता के जल मल उपचार संयंत्र की योजना बनाई गई है जिससे बीओडी सीमा 30 तक गंदे पानी को साफ किया जा सकेगा। उपचार के बाद 100–150 केएल पानी का उपयोग टीएचडीसी परिसर में बागवानी के प्रयोजन से किया जाएगा तथा शेष उपचारित पानी नदी में बहा दिया जाएगा। इससे अंततः ऊर्जा की बचत होगी क्योंकि पंपिंग स्टेशनों के पम्पिंग घंटों में कमी की जा सकेगी।

विश्व पर्यावरण दिवस समारोह का दृश्य

पर्यावरण प्रबंधन

आपकी कंपनी पर्यावरण की रक्षा के प्रति वचनबद्ध है। कंपनी ने टिहरी बांध परियोजना के नकारात्मक प्रभाव का आंकलन करने के लिए वीएसआई, एनईईआरआई, जेएनएसआई आदि जैसी प्रमुख संस्थाओं के माध्यम से अनेक अध्ययन करवाए थे। इन अध्ययनों के परिणाम के आधार पर कंपनी ने पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव कम करने के लिए विस्तृत न्यूनीकरण योजनाएं तैयार की हैं।

कंपनी ने पर्यावरण पर परियोजना द्वारा डाले जाने वाले सभी प्रतिकूल प्रभावों की पहचान करने के लिए व्यापक पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ईआईए) अध्ययन किया है। इस आंकलन के आधार पर नकारात्मक प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं (ईएमपी) तैयार की जा रही हैं। विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी के लिए अलग से एक संपूर्ण पर्यावरणात्मक आंकलन और प्रबंधन रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

वर्ष के दौरान पर्यावरण की रक्षा के उपाय के रूप में टिहरी परियोजना के जलागम क्षेत्र में 17000 पौधे रोपे गए हैं। लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए 5 जून, 2014 को जैव विविधता का संरक्षण विषय पर ऋषिकेश में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया जिसमें प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों, वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों, शैक्षिक संस्थाओं तथा स्कूली बच्चों ने भाग लिया।

आपकी कंपनी ने कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश, टिहरी एचपीपी चरण-I, कोटेश्वर एचईपी, टिहरी पीएसपी तथा वीपीएचईपी के लिए सफलतापूर्वक आईएसओ 14001:2004 (पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणन प्राप्त किया है।

श्री आर.एस.टी. साई, अ. एवं प्र. नि. टीएचडीसीआईएल माननीय मंत्री, एमओईए, शाही सरकार, भूटान का टिहरी प्रोजेक्ट में स्वागत करते हुए

कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और सततता

आपकी कंपनी लाभप्रदता, प्रतिस्पर्धा और बाजार शेयर में सुधार लाने के अतिरिक्त सभी अंशधारकों के सतत विकास के प्रति वचनबद्ध है। कंपनी का सतत विकास मिशन का लक्ष्य है– सतत विकास से जुड़े सभी पक्षों पर ध्यान देना तथा पर्यावरण प्रबंधन, सामाजिक दायित्व तथा आर्थिक निष्पादन (ट्रिपिल बाटम लाइन एप्रोच) को बढ़ावा देना।

कंपनी, अच्छे कारपोरेट सुशासन दर्शन के भाग के रूप में अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रही है। कंपनी की सीएसआर गतिविधियां, सीएसआर तथा सततता नीति, 2013 के अनुसार कार्यान्वित की जा रही हैं जिसे सीएसआर तथा सततता के संबंध में नए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है।

वर्ष 2013–14 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर कुल 10.62 करोड़ रु. व्यय किया गया है जो वित्त वर्ष 2012–13 के करोपरांत लाभ (पैट) का 2 प्रतिशत है। नीति के अनुसार सीएसआर तथा सतत विकास गतिविधियों के लिए बोर्ड स्तर की तथा बोर्ड स्तर से नीचे की समितियां गठित की गई हैं।

माननीय मंत्री, एमओईए, शाही सरकार, भूटान एवं भारतीय शिष्टमंडल की उपस्थिति में श्री पी.के. सिन्हा, सचिव (ऊर्जा) भारत सरकार, सचिव, एमओईए, आरजीओबी के साथ भूटान में एमओयू दस्तावेज का आदान-प्रदान करते हुए

सभी सीएसआर गतिविधियां, कंपनी द्वारा प्रायोजित गैर सरकारी संगठन (कांगो) और टीएचडीसी एजुकेशन सोसाइटी (टीईएस) जिनका गठन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत किया गया है, द्वारा चलाई जाती हैं। सीएसआर स्कीमों में प्रमुख रूप से कंपनी के मुख्य व्यवसाय वाले क्षेत्रों के आस-पास स्थित क्षेत्रों में सामुदायिक विकास के मुद्दों का समाधान किया जाता है।

जोशीमठ में आर एंड डी केन्द्र का उद्घाटन

कंपनी मुख्य रूप से परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता, बौद्धिक विकास, पर्यावरण, कौशल विकास, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सतत आधार पर विभिन्न सीएसआर स्कीमों को कार्यान्वित करती जा रही है। लोगों को आगे आकर सीएसआर कार्यक्रमों का स्वामित्व लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय गैर–सरकारी संगठनों को अंततः सेवा–टीएचडीसी का सहयोगी/साझेदार बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

भूतपूर्व वर्ष में सतत विकास के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

- टिहरी जिले के दीन गांव प्रताप नगर ब्लॉक के दूरदराज के 10 गांवों की सतत आजीविका की पारिस्थितिकीय बहाली के संबंध में गतिविधियों के लिए अनुसंधान केन्द्र का विकास।
- समेकित विकास दृष्टिकोण अपना कर टिहरी बांध जलाशय के 30 रिम क्षेत्र के गांवों का सशक्तिकरण तथा आजीविका में वृद्धि।
- कृषि प्रणाली अनुसंधान निदेशालय (पीडीएफएसआर), मोदीपुरम के माध्यम से टिहरी जिले में कृषि प्रणाली दृष्टिकोण द्वारा आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना।

सीएसआर के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न है।

जोखिम की पहचान सहित जोखिम प्रबंधन नीति का विकास और कार्यान्वयन

जल विद्युत का विकास करने वाली कंपनी के नाते आपकी कंपनी, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के मामले में कुछ महत्वपूर्ण सेक्टर विशिष्ट और भौगोलिक स्थान विशिष्ट जोखिमों के अध्यधीन है। कंपनी ने जोखिम प्रबंधन मैनुअल को अपनाया है जो बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित है। इस मैनुअल में जोखिम की पहचान करने, जोखिम से बचने और व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न जोखिमों, जिसमें दैनिक आधार पर निर्माण और प्रचालन शामिल है, के लिए विस्तृत तंत्र उपलब्ध करवाया गया है।

जोखिम प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया पर समय–समय पर विचार करने की प्रणाली प्रचलन में है। इसके लिए परियोजना स्तर पर समितियां गठित की गई हैं।

मानव संसाधन प्रबंधन

मानव पूंजी का इष्टतम प्रयोग वह अंतिम उद्देश्य है जिसके लिए आपकी कंपनी की मानव संसाधन टीम कंपनी की कुल जनशक्ति के लिए प्रयास कर रही है। दिनांक 31.03.2014 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी की कुल जनशक्ति 2063 है जिसमें 805 कार्यपालक, 124 पर्यवेक्षक तथा 1134 कामगार हैं। आपकी कंपनी के संगठनात्मक विकास का उद्देश्य ऐसी प्रणाली विकसित करना है जिससे उत्पादकता अधिक से अधिक बढ़ाई जा सके। संगठनात्मक सततता प्राप्त करने के लिए प्रतिभाओं का प्रबंधन करना और उन्हें बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

आपकी कंपनी ने कर्मचारियों की संतुष्टि का सर्वेक्षण किया तथा यह सुधारी कदम उठाने के प्रति वचनबद्ध है। आपकी कंपनी ने मेधावी तथा योग्य कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए एक मजबूत, पारदर्शी तथा उचित निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) का कार्यान्वयन किया है तथा उनको

ऋषिकेश में टीएचडीसीआईएल के 27वें स्थापना दिवस का आयोजन

पुरस्कृत करने तथा मान्यता प्रदान करने की एक नई नीति स्वीकार की है।

कंपनी को विश्व एचआरडी कांग्रेस के व्यापार के तर्ज पर सर्वोत्तम मानव संसाधन रणनीति के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किया गया तथा सर्वोत्तम मानव संसाधन नीतियों के लिए 'स्कोप' योग्यता प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ।

मानव संसाधन विकास

वर्ष के दौरान नियोजित मानव संसाधन विकास (एचआरडी) हस्तक्षेपों के अधीन कंपनी ने चिह्नित प्रशिक्षण जरूरतों के आधार पर प्रशिक्षण और विकास से जुड़ी अनेक गतिविधियां आयोजित कीं। प्रबंधन को बेहतर अंतर्दृष्टि से युक्त करने के लिए ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के रूप में क्षमता मापन के अभ्यास किए गए। आईआईएम, एफओआरई स्कूल आफ मैनेजमेंट, एएससीआई, पीएमआई, ईएससीआई, सीबीआईपी, एनपीटीआई आदि जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से बाहरी और आंतरिक अध्यापकों को शामिल कर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें मुख्य बल तकनीकी प्रबंधकीय और व्यवहार संबंधी पक्षों पर है। वर्ष 2013–14 के समझौता ज्ञापन लक्ष्यों के तर्ज पर उत्कृष्टता रेटिंग (विदेश शिक्षण कार्यक्रम) प्राप्त करने के लिए कुल 5,776 कार्य दिवस के प्रशिक्षण दिए गए हैं जबकि लक्ष्य 5,700 दिनों का प्रशिक्षण देने का था। प्रतिष्ठित संस्थाओं/ व्यक्तियों के माध्यम से चलाए गए कुछ महत्वपूर्ण परंपरागत कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

- 'फोर' स्कूल आफ मैनेजमेंट, नई दिल्ली के माध्यम से प्रबंधकीय प्रभावकारिता बढ़ाना।
- सूचना प्रौद्योगिकी में कुशलता, कंपनी के भीतर ही सूचना प्रौद्योगिकी संस्कृति विकसित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा के संबंध में जानकारी।
- जोखिम प्रबंधन और प्रशमन उपाय।
- आंतरिक संकाय के विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रशिक्षण देना।
- आटो कैड सिविल 2 डी और 3 डी तथा स्टैंड–प्रो साफ्टवेयर।
- भूमिका में परिवर्तन के लिए समूह (क्लस्टर) परिवर्तन कार्यक्रम।
- परियोजना प्रबंधन में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम ।
- विधिक संविदा प्रबंधन में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम।

प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों को निष्पादन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ दिया गया है ताकि पाठ्यक्रम में समर्पण बढ़ाया जा सके तथा निष्पादन बेहतर किया जा सके।

आपकी कंपनी में कर्मचारियों की औसत आयु 46 वर्ष है। संगठनात्मक विकास और विविधीकरण की आकांक्षाओं से गति बनाए रखने के लिए और विशेषकर तकनीकी क्षेत्र में उम्रदराज जनशक्ति को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी के अंतरण तथा जेन वाई को शामिल कर प्रतिभाओं को प्राप्त किया जा रहा है।

आपकी कंपनी एक विशेष एजेंसी के माध्यम से वीपीएचईपी परियोजना के लिए क्षमता निर्माण और संस्थागत सुदृढ़ीकरण के लिए कौशल अंतराल विश्लेषण तथा आरंभिक नैदानिक अध्ययन करेगी।

कर्मचारी संबंध

वर्ष के दौरान सभी टीएचडीसीआईएल परियोजनाओं/ स्टेशनों/इकाइयों में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और मधुर

अ० एवं प्र० नि०, टीएचडीसीआईएल माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की उपस्थिति में
खुर्जा एसटीपीपी के लिए भूमि हस्तांतरण के एमओयू दस्तावेज का आदान-प्रदान करते हुए

बने रहे। इस अवधि के दौरान किसी प्रकार की हड़ताल या तालाबंदी की रिपोर्ट नहीं मिली। प्रबंधन और कामगारों तथा कार्यपालकों के शीर्ष मंच के बीच लगातार बातचीत चलती रही। वर्ष के दौरान विभिन्न स्तरों पर वार्ताएं आयोजित की गईं जिनमें निष्पादन और उत्पादकता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। कामगारों के प्रतिनिधियों को संयुक्त प्रबंधन परिषद में भाग लेने की अनुमति दी गई जिनमें समान संख्या में कर्मचारियों तथा प्रबंधन के प्रतिनिधियों ने रचनात्मक विचार–विमर्श में भाग लिया।

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान कल्याण से जुड़ी अनेक गतिविधियां आयोजित कीं जिनमें ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन खेलकूद शामिल थे। कार्यपालक तथा गैर कार्यपालक क्लब ने भी अपनी गतिविधियों के क्षेत्र का विस्तार किया है। क्लब के भवन को जिम तथा अन्य मनोरंजनात्मक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। टीएचडीसीआईएल परिवार के सदस्यों के बीच संबंध बनाने के लिए समय–समय पर सामुदायिक महोत्सव आयोजित किए गए।

अ.जा./अ.ज.जा तथा निःशक्त व्यक्तियों संबंधी पहल

आपकी कंपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से निःशक्त उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती, पदोन्नति आदि में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने का प्रयास करती है। आपकी कंपनी ने अ.जा./अ.ज.जा. कार्मिकों के कल्याण तथा उनकी शिकायतों से संबंधित सरकारी दिशानिर्देशों का तत्वतः और भावतः कार्यान्वयन किया। आंतरिक पदोन्नति और भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से बकाया रिक्तियों को भरने के लिए सतत प्रयास किए जाते हैं।

निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र समझौते के कार्यान्वयन का अनुपालन करते हुए कंपनी ने अपने अधिकांश भवनों में रैम्प बनाकर उनकी पहुंच आसान बना दी है। आपकी कंपनी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के कर्मचारियों को नामित करती रही है।

राजभाषा का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रचार और सफल कार्यान्वयन के लिए जोरदार प्रयास किया है। वर्ष के दौरान परियोजनाओं तथा कारपोरेट कार्यालय में हिंदी कार्यशालाएं तथा प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं ताकि कर्मचारियों को सरकारी कार्य में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। सभी कार्यालय आदेश, प्रपत्र और परिपत्र हिंदी में भी जारी किए

टिहरी प्रोजेक्ट में अफगानिस्तान सरकार के शिष्टमंडल का भ्रमण

गए। महत्वपूर्ण विज्ञापन तथा गृह पत्रिकाएं द्विभाषी रूप-हिंदी और अंग्रेजी में जारी की गईं।

वर्ष के दौरान राजभाषा अनुभाग द्वारा 24 कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें 513 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया था। कर्मचारियों की पढ़ने की आदत बढ़ाने के लिए पुस्तकालय में बहुत सी पुस्तकें खरीदी गईं। कंप्यूटरों/लैपटाप में द्विभाषी रूप में काम करने की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हिंदी सॉफ्टवेयर/फॉंट लगाए गए हैं। कर्मचारियों को अपना काम हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रोत्साहन स्कीम भी शुरू की गई है। अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की गईं।

ऋषिकेश में टीएचडीसी हाई स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा 'गणतंत्र दिवस परेड'

20 मार्च, 2014 को हिंदी "कवि सम्मेलन" आयोजित किया गया था। हिंदी की गृह पत्रिका 'पहल' का प्रकाशन किया जा रहा है। हिंदी पखवाड़ा मनाए जाने के दौरान अन्य बहुत से आयोजन किए गए।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार देश के नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए आपकी कंपनी ने संगठित प्रयास किए हैं। टीएचडीसीआईएल की अधिकृत वेबसाइट पर वे सभी सूचनाएं उपलब्ध हैं जो अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के तहत प्रकाशित की जानी आवश्यक हैं। कंपनी के अपीलीय प्राधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी के ब्यौरे तथा सूचना मांगने, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से सूचना मांगने से संबंधित सभी प्रपत्र, टीएचडीसीआईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सूचना मांगने वालों से प्राप्त किए गए सभी आवेदन-पत्रों का निपटान, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में सन्निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है तथा उन पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2013-14 के दौरान देश भर के नागरिकों से कुल 152 आवेदन पत्र प्राप्त किए गए थे जिनमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मांगी गई थीं और उन्हें समय पर सूचनाएं उपलब्ध करवाई गई थीं। वर्ष के दौरान प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 10 अपीलें प्राप्त की गई थीं और जांच पड़ताल के बाद अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इन सभी अपीलों का निपटान किया जा चुका है। इतना ही नहीं 04 अपीलों पर कार्रवाई केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी), नई दिल्ली द्वारा शुरू की गई थी तथा उनका निपटान आयोग द्वारा किया गया।

पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन

आपकी कंपनी ने टिहरी एचपीपी की परियोजना प्रभावित परिवारों की पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना में बेंचमार्क स्थापित किया है। टिहरी जलाशय के रिम के आस-पास के क्षेत्रों की साथ बेहतर संपर्क उपलब्ध करवाने के लिए सड़क संपर्कता, जन सुविधाओं की पुनर्स्थापना, केबल कार का प्रबंध तथा फेरीबोट आदि सुविधाओं की व्यवस्था जैसे अतिरिक्त उपायों का कार्यान्वयन किया गया। डोबरा गांव के निकट भागीरथी नदी पर एक 440 मीटर विस्तृत भारी मोटर वाहन पुल भी बनाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त चिन्यालीसौड़ के पास भागीरथी नदी पर एक हल्के मोटर वाहन पुल तथा दूसरे घोंटी के पास पिपलोगाना पर एक हल्के मोटर वाहन पुल का भी निर्माण किया जा रहा है ताकि अलग-थलग पड़ गए क्षेत्रों में और संपर्कता बढ़ाई जा सके। इसमें क्रमशः खर्च होने वाले 38.00 करोड़ रु. और 22.40 करोड़ रु. की कुल लागत में राज्य सरकार और टीएचडीसीआईएल/भारत सरकार 50:50 के अनुपात में धन उपलब्ध करवाएंगी। इस धन में से टीएचडीसीआईएल का हिस्सा पहले ही राज्य सरकार को प्रदान किया जा चुका है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों से प्राप्त अभ्यावेदनों के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र पहले से ही कार्यरत है।

आपकी कंपनी ने संबंधित पणधारियों से परामर्श कर वीपीएचईपी सहित सभी भावी परियोजनाओं के लिए एक आकर्षक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति तैयार की है। इस नीति में परियोजना से प्रभावित परिवारों के भूमि, मकानों, अन्य संसाधनों तथा आजीविका के साधनों की हानि से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जाता है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति तैयार करते समय एनपीआरआर–2007 के प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है तथा कुछ प्रावधानों में सुधार किया गया है। वीपीएचईपी के आरएपी कार्यान्वयन के तृतीय पक्ष मानीटरिंग तथा मूल्यांकन के लिए पहले 24 महीनों की अवधि के लिए एक परामर्शदात्री संस्था की सेवाएं शुरू की गई थीं। चूंकि पुनर्स्थापन और पुनर्वास गतिविधियां अभी भी चल रही हैं इसलिए आगे और 02 वर्षों के लिए मेहनताने के एवज में किसी बाहरी परामर्शदात्री एजेंसी की सेवाएं लेने पर विचार चल रहा है।

परियोजना से प्रभावित परिवारों तथा आसपास के समुदायों के सामुदायिक कल्याण की दिशा में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए भावी परियोजनाओं के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन शीर्ष के अंतर्गत परियोजना लागत अनुमान में परियोजना लागत के 0.5 प्रतिशत का प्रावधान किया जा रहा है।

कारपोरेट संचार

एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में आपकी कंपनी अपने पणधारियों तक पहुंचने के लिए संचार के विविध साधनों का प्रयोग करने में दृढ़ विश्वास रखती है। कंपनी ने जून, 2013 में एक अधिकृत फेस बुक पेज और ट्विटर एकाउंट खोला है। कारपोरेट फिल्म का निर्माण चल रहा है जिससे कंपनी की उपलब्धियों तथा भावी परिप्रेक्ष्य को दर्शाने में मदद मिलेगी।

पूरी कंपनी में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं को शामिल कर गृह पत्रिका "गंगावतरणम" प्रभावी ढंग से संचार का माध्यम बनी हुई है। राजभाषा को बढ़ावा देने की क्षेत्र में योगदान को स्वीकार करते हुए परिवर्तन जनकल्याण समिति ने 27.09.2013 को दिल्ली में पत्रिका को "हिंदी प्रचार प्रसार" श्री पुरस्कार प्रदान किया।

आपकी कंपनी ने "टीएचडीसी आईएल के 25 गौरवपूर्ण वर्ष की उपलब्धियां" विषय को दर्शाते हुए आईआईटीएफ–2013 में भाग लिया। कंपनी ने उत्तराखंड राज्य की नोडल एजेंसी के रूप में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की ऊर्जा संरक्षण–2013 से संबंधित राष्ट्रीय अभियान के तहत ऊर्जा संरक्षण पर राज्य स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया।

कारपोरेट सुशासन

• कंपनी का सुशासन दृष्टिकोण

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम / डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक अच्छे, कारपोरेट सुशासन की पद्धतियों को अपनाने का प्रयास किया है। हालांकि यह असूचीबद्ध है और सूचीबद्ध करार के खंड 49 का अनुपालन आवश्यक नहीं है।

आपकी कंपनी में कारपोरेट सुशासन तंत्र पारदर्शिता और निष्पक्षता, समय से और संतुलित प्रकटन, मूल्यवर्धन के लिए बोर्ड की संरचना, बोर्ड की भूमिका और जिम्मेदारियां, वित्तीय रिपोर्टिंग करने में निष्ठा, पर्यावरण के प्रति नैतिक और जिम्मेदारीपूर्ण निर्णय लेने की बाध्यता, पणधारियों के

ऋषिकेश में आयोजित 'कवि सम्मेलन'

अधिकार और हित, अनुपालन आदि पर आधारित है। कारपोरेट सुशासन से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए कंपनी को डीपीई द्वारा वर्ष 2012–13 के लिए उत्कृष्ट दर्जा प्रदान किया गया है।

लेखापरीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति और बोर्ड स्तर की अन्य समितियों के कार्य और विस्तार क्षेत्र सहित कारपोरेट सुशासन के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट इसके साथ **अनुलग्नक–II** के रूप में संलग्न है।

- **प्रबंधन के संबंध में विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट**

कारपोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसरण में प्रबंधन संबंधी विचार–विमर्श और विश्लेषण के बारे में अलग से एक रिपोर्ट **अनुलग्नक–III** के रूप में दी गई है।

- **सचिवालयी लेखापरीक्षा**

आपकी कंपनी ने वर्ष 2013–14 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा पीएसआर मूर्ति से करवायी है जो अच्छे कारपोरेट सुशासन प्रैक्टिस में कार्यरत कंपनी सचिव हैं। कंपनी ने सभी सचिवालयी प्रावधानों का संकलन किया है और चूक के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है। सचिवालयी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट **अनुलग्नक–IV** के रूप में संलग्न है।

- **व्यापारिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट**

अच्छे कारपोरेट सुशासन प्रैक्टिस के भाग के रूप में व्यापारिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट पर **अनुलग्नक–V** के रूप में अलग से एक खंड दिया गया है।

सतर्कता

सतर्कता विभाग का मुख्य जोर, प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर तथा वेबसाइट के प्रभावी उपयोग के जरिए पारदर्शिता बढ़ाकर सतर्कता प्रशासन में सुधार लाने पर है। ई–निविदा की प्रक्रिया का कार्यान्वयन कर निवारक सतर्कता को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई थी। वर्ष के दौरान किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ई–टेंडरिंग में भाग लेने के लिए वैंडरों को पंजीकृत करने की आनलाइन पंजीकरण प्रणाली। ई–भुगतान पद्धति शुरू की गई है तथा उसका पालन किया जा रहा है।
- छानबीन और जांच–पड़ताल (अन्वेषण) करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा का कुल मिलाकर पालन किया गया।
- सतर्कता विभाग द्वारा नियमित और औचक निरीक्षण किए गए।
- आनलाइन शिकायत हैंडलिंग प्रणाली प्रचालन में है।
- 28 अक्तूबर से 02 नवम्बर, 2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह– 2013 मनाया गया।

विनिवेश प्रक्रिया

आपकी कंपनी की शेयर पूंजी में अपनी 10 प्रतिशत संपत्ति विनिवेश करने का भारत सरकार का प्रस्ताव है। विनिवेश विभाग (डीओडी) द्वारा अनेक बैठकें आयोजित की गई हैं। कंपनी ने एमओए तथा एओए में संशोधन करने के लिए कार्रवाई शुरू की है जो विनिवेश के लिए पूर्व शर्त है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के खंड 'ग' के अनुसार आपके निदेशकों का कथन इस प्रकार है:

(i) वार्षिक लेखाओं को तैयार करते समय लागू सभी लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है तथा जहां कहीं भी उल्लेखनीय विचलन हुआ है वहां उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

(ii) कंपनी ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए और अनुमान लगाए हैं जो इतने तर्कसंगत और विवेकसम्मत हैं कि उनसे 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी के मामलों के बारे में सत्य

आईआईटी परिसर, रुड़की के मूक एवं बधिर विद्यालय में 'टेक-टीएचडीसी मिल' का आयोजन

ऋषिकेश में 'ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम' का आयोजन

और निष्पक्ष तस्वीर सामने आ सके तथा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि लेखे की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

(iii) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितता से बचाव करने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है।

(iv) ये लेखाएं चालू कारोबार आधार पर तैयार की गई हैं।

(v) कारगर प्रचालन के लिए सभी लागू कानूनों के प्रावधान सहित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई है और यह प्रणाली पर्याप्त थी।

निदेशक मंडल

पिछली आम सभा की बैठक के समय अर्थात 31 अक्तूबर, 2013 से भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री पी. साई प्रसाद निदेशक के पद से हट गए हैं और भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार श्री राजपाल दिनांक 01.11.2013 से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री दीपक सिंघल, प्रधान सचिव (सिंचाई) तथा संजय अग्रवाल, प्रधान सचिव (ऊर्जा) उत्तर प्रदेश सरकार को टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में नामित किया है।

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स आर. जे. गोयल एंड कंपनी, लागत और प्रबंधन लेखाकार, नई दिल्ली तथा मैसर्स चंद्रा वाधवा एंड कंपनी, लागत और प्रबंधन लेखाकार को भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233ख के अंतर्गत वित्त वर्ष 2013-14 के लिए क्रमशः कोटेश्वर इकाई और टिहरी इकाई के लागत और लेखाकार रिकार्डों की लेखा परीक्षा करने के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में मंजूरी दी है।

सांविधिक लेखापरीक्षक

आपकी कम्पनी सरकारी कंपनी है, इसलिए भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक के दिनांक 13.8.2013 के पत्र संख्या सीए-V/सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट, टिहरी-एच (1)/407 द्वारा मैसर्स भाटिया एंड भाटिया, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, 12 पेट्रोल लेन, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली-110001 को कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 224 (8) (कक) के अंतर्गत यथासम्मत सांविधिक लेखापरीक्षक को देय पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए एक प्रस्ताव विचार किए जाने के लिए वार्षिक आम सभा की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जा रहा है।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के

टिहरी में टीएचडीसी हाइड्रो इंजीनियरिंग कालेज परिसर का विहंगम दृश्य

तहत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुपूरक के रूप में भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां संलग्न है। नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) ने वार्षिक लेखाओं के संबंध में शून्य टिप्पणियां दी हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के संबंध में प्रबंधन का उत्तर तथा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी), की टिप्पणियां

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्त वर्ष 2013–14 के लिए कंपनी की लेखाओं के संबंध में संपूर्ण अनापत्तिजनक (अनक्वालिफाइड) रिपोर्ट दी है। नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियां 'शून्य' हैं इसलिए कंपनी की टिप्पणियां भी शून्य हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत कर्मचारियों का विवरण

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए आज की तारीख तक संशोधित कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के तहत उन कर्मचारियों का ब्यौरा "शून्य" है जो विनिर्दिष्ट पारिश्रमिक से अधिक परिलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी), छुट्टी का नगदीकरण आदि जैसे सेवांत लाभ दिए जाते हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 198 के तहत परिभाषित पारिश्रमिक शब्द पर विचार करते हुए, संपूर्ण सेवा अवधि से संबंधित इन सेवांत लाभों पर इस खंड के प्रयोजनार्थ विचार नहीं किया जाता है।

विदेशी मुद्रा आय तथा व्यय

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने नगद आधार पर 10.6 करोड़ रु. (गत वर्ष 63.51 करोड़ रु.) विदेशी मुद्रा में व्यय किया है। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा की आय शून्य थी। विस्तृत सूचनाएं टिप्पणी संख्या 29 (20) पर लेखा संबंधी टिप्पणियों में दी गई हैं।

आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों विशेषकर विद्युत मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, कारपोरेट कार्य विभाग, विदेश मंत्रालय, भूटान की शाही सरकार से प्राप्त सहयोग के लिए हृदय से उनका आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल, उत्तर प्रदेश

ऊर्जा संरक्षण पर उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के प्रतिभागी

सरकार तथा उत्तराखंड सरकार तथा उनके विभिन्न विभागों विशेषकर टिहरी परियोजना के निदेशक पुनर्वास से प्राप्त समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है। बोर्ड, महाराष्ट्र सरकार तथा न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से प्राप्त समर्थन के लिए उनका भी आभार व्यक्त करता है।

निदेशक गण इस अवसर पर सांविधिक लेखापरीक्षकों, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, अध्यक्ष, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, प्रधान निदेशक तथा लेखापरीक्षा बोर्ड के पदेन सदस्य को वर्ष के दौरान दिए गए बहुमूल्य सुझाव के लिए उन्हें भी धन्यवाद देते हैं।

आपके निदेशक गण कंपनी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए समय से दी गई सहायता और संरक्षण देकर निरंतर विश्वास और भरोसा बनाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं/बैंकों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक गण, कंपनी द्वारा विकास और उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए अनथक प्रयासों तथा उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए उनकी प्रशंसा करते है।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 27.09.2014
स्थान : नई दिल्ली

वित्तीय विशेषताएं

1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14

1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14

350000
345000
340000
335000
330000
325000
320000
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14

16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
11.42%
11.02%
13.30%
13.53%
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14

14.00%
12.00%
10.00%
0.00%
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14

200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14

निवल संपत्ति
(लाख ₹ में)
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
545020
577283
620714
677149
733124
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14

कर पूर्व लाभ
(लाख ₹ में)
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14

निवल लाभ
(लाख ₹ में)
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14

सकल आय (लाख ₹ में)
250000
200000
150000
100000
50000
0
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14

प्रति कर्मचारी मूल्य वर्धित
(लाख ₹ में)
40
30
20
10
0
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सततता की रिपोर्ट

सीएमडी, टिहरी गढ़वाल में सैनिटेशन प्रोजेक्ट हेतु सुलभ इंटरनेशनल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए

आपकी कंपनी परियोजना से प्रभावित लोगों (पीएपी) के कल्याण और विकास के प्रति सतत और कार्यकुशल दृष्टि से वास्तव में समर्पित है। कंपनी के विजन कथन में मानवीय दृष्टि से "पर्यावरण पारिस्थितिकी और सामाजिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता" शामिल है। ट्रिपिल बॉटम लाइन एप्रोच (पीपुल, प्लेनेट एवं प्रॉफिट) के तहत सामाजिक, पर्यावरणीय तथा आर्थिक पहलू सतत रीति से प्रभावित करते हैं जिनमें पणधारियों के हितों का भी ध्यान रखा जाता है। कंपनी भारत सरकार के नियमों और निर्देशों के अनुसार एक विभाग के माध्यम से सीएसआर तथा सततता परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। इस विभाग में महाप्रबंधक (सामाजिक और पर्यावरण) की अध्यक्षता में समर्पित लोगों की एक टीम कार्य करती है। परियोजनाएं, कंपनी द्वारा प्रायोजित गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सेवा–टीएचडीसी के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है जो सोसाइटी अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है।

आपकी कंपनी मुख्य रूप से टीएचडीसीआईएल के प्रचालन स्टेशनों के आस–पास के क्षेत्रों और ग्रामों के बीच अर्थात अ.जा./अ.ज.जा., अ.पि.वर्ग, महिलाओं, बच्चों, निःशक्त लोगों तथा उम्रदराज लोगों पर विशेष ध्यान देते हुए विशेष रूप से उत्तर भारत में मुख्य रूप से सामुदायिक विकास का कार्य कर रही है। परामर्श और सहभागिता के माध्यम से सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को कारगर ढंग से चलाने के लिए संबंधित पणधारियों के साथ समुचित भागीदारी भी स्थापित की जा रही है।

सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन:

सीएसआर और सततता नीति, 2013

कंपनी ने सीएसआर के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार की गई सीएसआर नीति–2013 स्वीकार की है जिसे इसके निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान अपने प्रचालन और व्यापारिक क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए विधिवत अनुमोदित किया है। वित्त वर्ष 2014–15 से कंपनी नए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके नियमों के अनुसार सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन करेगी।

सीएसआर तथा सततता के संबंध में बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति (सीएससी) और बोर्ड स्तर से नीचे के स्तर की समिति (बीबीएलसी)

कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर

परियोजनाओं के कारगर ढंग से कार्यान्वयन के लिए बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति (बीएलसी) गठित की गई है जिसमें सभी स्वतंत्र निदेशक और निदेशक (तकनीकी) शामिल होते हैं तथा स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष होते हैं। कंपनी ने बोर्ड स्तर से नीचे की भी एक समिति (बीबीएलसी) का भी गठन किया है जिसमें सीएसआर से संबंधित कंपनी के कर्मचारी तथा स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल होते हैं। उपर्युक्त सभी गतिविधियों का गठन बोर्ड के अनुमोदन से किया जाता है। बीएलसी तथा बीबीएलसी का कार्य क्षेत्र कंपनी की सीएसआर नीति में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

टिहरी बांध जलाशय के समीप गांव में जल संरक्षण हेतु वर्षा जल संग्रहण टैंक

सभी सीएसआर गतिविधियां कंपनी द्वारा प्रायोजित एक गैर-सरकारी संगठन अर्थात सेवा – टीएचडीसी एजूकेशन सोसाइटी (टीईएस) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। यह स्कीम उन प्रचालनरत विद्युत उत्पादन स्टेशनों, जहां निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, में तथा कंपनी के अन्य व्यापारिक क्षेत्र में "सामुदायिक विकास" के मुद्दे का समाधान करती है।

सीएसआर की अवधारणा का उद्देश्य समाज में व्यापार की भूमिका की छानबीन करना तथा व्यापारिक गतिविधि के सकारात्मक सामाजिक परिणामों को अधिक से अधिक करना है। सीएसआर ऐसा प्रभावी उपकरण है जो सामाजिक उद्देश्यों की सतत वृद्धि और विकास के प्रति सामाजिक जरूरतों और चुनौतियों का समाधान करते हुए अपने व्यापार के लिए मूल्य का सृजन करने के लिए कंपनी के प्रयासों को एक करता है। सीएसआर की मूल अवधारणा यह है कि कंपनी की प्रतिस्पर्धी शक्ति तथा इसके चारों ओर के समुदायों की स्थिति परस्पर निर्भर है।

सीएसआर पहलों की योजना बनाना

किसी भी सीएसआर परियोजना की सफलता में योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीएसआर पहलों की योजना बनाने की शुरूआत कंपनी की अवस्थिति और प्रचालन वाले क्षेत्रों के आस-पास बेसलाइन सर्वेक्षण और जरूरतों के आकलन, जरूरतों को प्राथमिकता/पहचान करने तथा सभी पक्षों को शामिल करने वाले क्षेत्र के लिए विकास योजना की तैयारी से होती है। कंपनी की विशिष्ट सीएसआर रणनीतियां विकसित की जाती हैं जो सीएसआर कार्रवाई योजना (दीर्घकालिक, मध्यमकालिक और अल्पकालिक) का अधिदेश देती हैं। यह आकस्मिक दृष्टिकोण से हटकर दीर्घकालिक दृष्टिकोण बन गया है। सीएसआर योजना में प्रत्येक परियोजना कार्यान्वयन की समयावधि जिम्मेदारियों और प्राधिकारियों के बारे में स्पष्ट उल्लेख, मानीटरिंग और मूल्यांकन और प्रभाव आकलन का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

सरकारी इंटर कालेज, [illegible], देहरादून के लिए प्रश्न पत्रिका

सीएसआर के लिए प्रमुख क्षेत्र

कंपनी ने वर्ष के दौरान सीएसआर पहलों को अनेक क्षेत्रों में अपनाया है ये क्षेत्र हैं: शैक्षणिक विकास, स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा देखभाल, पर्यावरण प्रबंधन, आय उत्पादन, महिला सशक्तिकरण, अवसंरचना विकास, कल्याण गतिविधियां आदि।

संस्थात्मक और वित्तीय तंत्र

आपकी कंपनी ने वर्ष 2013–14 के लिए सीएसआर नीति के लिए करोपरांत निवल लाभ (पैट) का 2 प्रतिशत अर्थात 10,62.00 करोड़ रु. सीएसआर तथा सतता बजट के लिए निर्धारित किया था। सीएसआर स्कीमों के कार्यान्वयन के

सेवा-टीएचडीसी द्वारा पौधारोपण कार्य के जरिए पर्यावरण संरक्षण

लिए सीएसआर तथा सततता गतिविधि कर व्यपगत न होने वाले सीएसआर फंड के रूप में अलग रखा जा रहा है। तथापि दिनांक 01.04.2014 से लागू होने वाले नए कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को ठीक तीन पूर्ववर्ती वर्षों के औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत खर्च करना है। सीएसआर नियम तथा अनुसूची–VII भी अधिसूचित किए जा चुके हैं। डीपीई, नए कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके नियमों/अनुसूचियों के अनुरूप सीएसआर से संबंधित अपने दिशानिर्देशों में परिवर्तन कर रही है। सीएसआर के संबंध में नए डीपीई दिशानिर्देशों के जारी हो जाने पर कंपनी की सीएसआर नीति में परिवर्तन किया जाएगा।

कंपनी द्वारा मुख्य रूप से परियोजना प्रभावित लोगों के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता, शैक्षिक विकास, पर्यावरण, कौशल विकास, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में सतत आधार पर विभिन्न सीएसआर स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। लोगों को आगे आकर सीएसआर कार्यक्रमों का स्वामित्व ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को अंत में सेवा–टीएचडीसी का सक्रिय सहयोगी/साझेदार बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

सीएसआर परियोजनाओं की लेखापरीक्षा

कार्यान्वयन एजेंसियों, सेवा–टीएचडीसी तथा टीईएस के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा संबंधित सोसाइटियों के उप नियमों के अनुसार कार्यरत चार्टर्ड एकाउन्टेंट से करवायी जाती है। प्रबंधन समिति से अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद लेखाओं को वार्षिक आम सभा में सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। संपरीक्षित वार्षिक लेखाओं को सोसाइटियों के रजिस्ट्रार के पास दायर किया जाता है तथा आयकर विवरणी दाखिल की जाती है।

सेवा–टीएचडीसी तथा टीईएस का अंतिम लेखापरीक्षित वार्षिक विवरण टीएचडीसी के लेखा विभाग में प्रस्तुत किया जाता है ताकि अग्रिम खाते का अंतिम समायोजन किया जा सके। इसकी एक प्रति टीएचडीसी वेबसाइट thdc.gov.in पर अपलोड की जाती है ताकि आम जनता आसानी से देख सके।

मानीटरिंग, मूल्यांकन तथा प्रभाव आंकलन

इंजीनियरिंग कॉलेज जैसी बड़ी परियोजनाएं तथा विश्वविद्यालय/विशेषज्ञों द्वारा चलाई जा रही आजीविका

टिहरी बांध के जलग्रहण क्षेत्र में जल प्रबंधन पर काम

से जुड़ी परियोजनाओं की मानीटरिंग नियमित रूप से सीएलसी द्वारा की जाती है तथा 5.0लाख से अधिक की सभी परियोजनाओं का मूल्यांकन किसी स्वतंत्र बाहरी एजेंसी/विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है और मूल्यांकन रिपोर्ट डोजियर में शामिल किया जाता है जिसे आम जनता के लिए टीएचडीसी की वेबसाइट thdc.gov.in पर दर्शाया जाता है।

टीएचडीसी जल विद्युत इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, भागीरथीपुरम, टिहरी

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान विभिन्न सीएसआर गतिविधियां

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान टीएचडीसीआईएल द्वारा शुरू की गई मुख्य सीएसआर पहलें इस प्रकार हैं:

क. स्वास्थ्य और मातृ चिकित्सा देखभाल

- होम्योपैथिक औषधालयों की 02 नियमित इकाइयां गलियाखेत और मोंत्री में चल रही हैं। चालू वित्त वर्ष में कोटेश्वर में दूसरी इकाई शुरू की गई है।
- इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में 19 बहुद्देशीय चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए।
- उपर्युक्त के अतिरिक्त योग्य एलोपैथिक डॉक्टरों के माध्यम से परियोजना प्रभावित परिवारों को छह माह के लिए एक चिकित्सीय सचल सेवा वाहन सुविधा उपलब्ध करवाई गई।

स्वास्थ्य संबंधी हस्तक्षेपों ने परियोजना से प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। औसतन 150 मरीज हमारे 03 औषधालयों से परामर्श प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें निःशुल्क दवाइयां दी जाती हैं। वर्ष के दौरान लगभग 4000 लोगों ने इससे लाभ उठाया। परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के दूरदराज के जिन क्षेत्रों में वर्ष भर डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं उन क्षेत्रों को चलती–फिरती चिकित्सीय सेवा के अंतर्गत शामिल किया गया है। 19 चिकित्सा शिविरों से 3800 से अधिक मरीजों को सीधे लाभ पहुंचा है।

नई टिहरी में डॉ. अम्बेडकर कन्या/बालक छात्रावास

ख. आर्थिक और सामुदायिक विकास

परियोजना से प्रभावित लोगों की आय बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान शुरू की गई कुछ गतिविधियां इस प्रकार हैं:

- 310 कुक्कुट पालन इकाइयां तथा 30 बकरी पालन इकाइयां स्थापित की गई।
- टिहरी में सामुदायिक आजीविका के विकास के लिए मौसमी सब्जियों, मसाला उत्पादन तथा औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित किया गया है।
- टिहरी और चमोली जिले के परियोजना प्रभावित लोगों के लिए प्रायः किसान गोष्ठियों, किसान दौरों का आयोजन किया गया है और कृषि आधारित गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया है।
- टिहरी जिले के 42 बेरोजगार युवकों के लिए एक वर्षीय होटल प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य के क्रमशः बाराबंकी और सुलतानपुर जिलों के हजरतपुर और माझगवां गांवों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में कृषि आधारित समग्र विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

ग. महिला सशक्तिकरण संबंधी पहलें

बेरोजगारों/अल्पसंख्यकों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लाभ और सशक्तिकरण के लिए उत्तर

टिहरी गढ़वाल में मादी फसलों की खेती का संवर्धन

प्रदेश और उत्तराखंड में 16 सिलाई और बुनाई उत्पादन केन्द्र शुरू किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से 600 से अधिक बेरोजगारों/अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर वर्गों को सीधे लाभ पहुंचा।

ख. शैक्षणिक विकास

- टिहरी जिले के राजाखेत, मांसली, पाडागली, कोटेश्वर और देहरादून जिले के डेराखास में अल्पसंख्यक तथा अन्य कमजोर वर्गों के लगभग 200 बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए 06 माह का कंप्यूटर जानकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के स्कूलों को फर्नीचर, कंप्यूटर तथा के–यान उपस्कर (ई–लर्निंग के लिए इनबिल्ट कंप्यूटर सह प्रोजेक्टर) प्रदान किए गए।

ग अवसंरचना विकास

- जीवन शैली की गुणवत्ता तथा शिक्षा में सुधार के लिए टीएचडीसी ने आईटीआई चम्बा में लड़कों के लिए छात्रावास, नई टिहरी में अ.जा./अ.ज.जा छात्रावास, टिहरी जिले के जाखनीधार के चम्बा ब्लॉक में तथा चमोली जिले के एमजे–जेटी में 03 पेयजल स्कीमों का निर्माण किया है।
- टिहरी गढ़वाल जिले के कांडी (थौलधर) कुमायचाली कांसूद (थौलधर), गेवाली देवाल खास (जाखनीधार) गांवों में स्थित मौजूदा सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं (संख्या में कुल 06) का निर्माण किया गया है।
- सार्वजनिक कल्याण स्कीमों के तहत राजाखेत तिराहा और मोनियादा तिराहा, जाखनीधार में 02 यात्री शेडों का निर्माण किया गया है।
- भानियावाला, पुनर्वास बस्ती (अठूरवाला), देहरादून में 50 सौर लाइटें लगाई गई हैं।
- भिलंगना ब्लॉक टिहरी में 05 घराटों का स्तर बढ़ाया गया है तथा इसे प्रचालनरत किया गया है।

उपर्युक्त पहलों के कारण परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के बच्चों ने नई कक्षाओं के लिए कमरों को प्राप्त किया है। लगभग 2000 लोग पेयजल योजना से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। सौर ऊर्जा और घराट पनचक्कियों के जरिए ऊर्जा के संरक्षण और आजीविका के माध्यम से परियोजना से प्रभावित लोगों को सीधे लाभ पहुंचा है।

घ. पर्यावरणीय पहल

पर्यावरणीय पहलों के तहत निम्नलिखित गतिविधियां चलाई गईं:

- टिहरी के परियोजना प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों को भिन्न–भिन्न किस्मों के फलों के 14750 पौधे वितरित किए गए।
- किसान गोष्ठी का आयोजन कर भानियावाला के पुनर्वासित लोगों को फलों के 650 पौधे वितरित किए गए।

ङ. आपदा काल में राहत के उपाय

प्राकृतिक आपदा में राहत उपाय के रूप में जून/जुलाई, 2013 माह के दौरान टिहरी गढ़वाल और

टिहरी गढ़वाल के कुल्हन गांव में कृषि का संवर्धन

चमोली जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, कंबल तथा टैंट आदि के रूप में सहायता प्रदान की गई।

ग. अन्य कल्याणकारी गतिविधियां

- जोशीमठ से चमोली जिले के तमक/द्रोलम/मलारी तक ग्रामीणों को लाने–ले जाने के लिए 07 सीटों वाली जीप चलाई गई। अठूरवाला ग्राम सभा (विस्थापित क्षेत्र) को कुर्सी और दरी आदि उपलब्ध करवाया गया। सिविल अस्पताल, टिहरी में भर्ती मरीजों के तीमारदारों के लिए दाल भात योजना हेतु वित्तीय सहायता दी गई।
- नई टिहरी स्थित गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में संस्कृति और खेलकूद को बढ़ावा देने, भानियावाला, देहरादून तथा एनजे–जेटी एचईपी जिला चमोली के परियोजना प्रभावित लोगों के लिए वित्तीय सहायता।
- वर्ष 2013–14 के दौरान कुल 241 कर्मचारियों को सीएसआर तथा सततता के बारे में संवेदनशील बनाया गया। प्रबंधन से जुड़े शीर्ष स्तर के लोगों, कार्यपालकों तथा कर्मचारियों ने इस प्रशिक्षण में सक्रियतापूर्वक भाग लिया तथा इससे लाभ उठाया। बाह्य पणधारियों विशेषकर परियोजना से प्रभावित लोगों (पीएपी) को भी टिहरी, कोटेश्वर तथा वीपीएचईपी (चमोली) में संवेदनशील बनाया गया। 2400 लोगों को सीएसआर नीति गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई।

सेवा–टीएचडीसी द्वारा वाणिज्यिक फलीय पौधों का संवर्धन

ड. दीर्घकालिक सततता सीएसआर कार्यक्रम

कंपनी, उत्तर प्रदेश राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तथा कुछ अन्य पिछड़े क्षेत्रों में समग्र विकास शुरू करने के प्रति वचनबद्ध है। कुछ परियोजनाएं जो सरकार की शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थाओं द्वारा सततता की रीति–नीति से शुरू की गई हैं, वे इस प्रकार हैं:–

1) समेकित विकास के दृष्टिकोण के जरिए टिहरी बांध जलाशय के रिम क्षेत्र के गांवों का सशक्तिकरण तथा आजीविका का संवर्धन

सेवा–टीएचडीसी और भूगोल विभाग, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से "समेकित विकास के दृष्टिकोण के जरिए टिहरी बांध जलाशय के रिम क्षेत्र के गांवों का सशक्तिकरण तथा आजीविका का संवर्धन" नामक परियोजना को कार्यान्वयन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत टिहरी गढ़वाल जिले के प्रताप नगर ब्लॉक के रिम क्षेत्र के 30 गांवों को शामिल किया गया है। इसमें प्रारंभिक बल प्राकृतिक संसाधनों के पुनःसृजन और प्रबंधन द्वारा महिलाओं की दयनीय स्थिति में सुधार लाना और उनके तनाव को कम करना है। इनमें ग्रामीणों के लिए अनेक आजीविका गतिविधियां शुरू की गई हैं जैसे बकरी पालन, मुर्गीपालन, एचवाईवी बीज, कीटनाशी, पोली हाउस तथा तकनीकी मार्गदर्शन आदि के वितरण के माध्यम से कृषि गतिविधियां जिनमें आय का सतत स्रोत विकसित करने पर बल होता है।

दोनगांव, टिहरी गढ़वाल में कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

सेवा-टीएचडीसी द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण केन्द्र

ii) किरोड़ीमल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के माध्यम से टिहरी जिले के दीन गांव में सतत आजीविका तथा संसाधन प्रबंधन के लिए ग्रामीण समुदायों के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण तथा पारिस्थितिकीय पुनः बहाली संबंधी कार्यक्रम

यह टिहरी क्षेत्र के दूरदराज के 10 गांवों के समग्र विकास कार्यक्रम पर आधारित 5 वर्षों का दीर्घकालिक कार्यक्रम है। दीन गांव केन्द्र पर शुरू की गई मुख्य गतिविधियों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक पैदावार देने वाले बीजों की किस्मों का वितरण।
- महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सिलाई केन्द्र खोले गए ताकि उन्हें आत्म–निर्भर बनाया जा सके।
- स्थानीय युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया।
- गांवों में नगदी फसलों को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण के लिए किसान दौरे आयोजित किए गए।
- 06 गांवों में धारे तथा फलों के पौधे रोपने का कार्य किया गया है।
- शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, बागवानी, संस्कृति, ऊर्जा आदि के क्षेत्र में लगभग 26 से 30 बड़े और छोटे कार्यक्रम शुरू किए गए।
- गांवों में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ईको हट मॉडल निर्मित किए गए।
- स्थानीय उत्पाद को फारवर्ड लिंकेज के रूप में बढ़ावा देने के प्रयास किए गए।
- समुदाय के कल्याण के लिए नियमित चिकित्सा शिविर लगाए गए।

उपर्युक्त पहलों के कारण दूर–दराज के 10 गांवों के समग्र विकास में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हम लोग स्थानीय जनता में विश्वास बहाल करने में सफल हुए हैं। आने वाले वर्षों में और गतिविधियां शामिल की जाएंगी तथा विभिन्न सरकारी स्कीमों से जुड़ने के प्रयास किए जाएंगे। भविष्य में समुदाय के लोग स्व–सहायता समूह (एसएचजी) तथा गैर– सरकारी संगठनों (एनजीओ) का गठन के माध्यम से स्वयं जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार होंगे।

iii) टिहरी जिले में कृषि प्रणाली दृष्टिकोण के माध्यम से आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना

सेवा–टीएचडीसी तथा कृषि प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय, (पीडीएफएसआर) मोदीपुरम, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अधीन एक संस्था है, टिहरी जिले के 02 समूहों (कुल 20 गांवों) में नागराः कोटेश्वर बांध क्षेत्र तथा कांडीसौड़ (थौलधर ब्लॉक) प्रत्येक में 10–10 गांव में कृषि प्रणाली दृष्टिकोण के माध्यम से आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है।

फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की उन्नत किस्म के बीजों (वीएलडब्ल्यू–89) के बारे में जानकारी दी गई। पशु पालन के क्षेत्र में किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए अनेक कदम उठाए गए। वर्ष 2013–14 के दौरान किसान गोष्ठी तथा जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं तथा ग्रामीणों में एचवाईवी बीज, उर्वरक,

टिहरी परियोजना क्षेत्र के ग्रामीणों हेतु निःशुल्क नेत्र जांच शिविर

दूरस्थ गांवों में बकरी पालन का संवर्धन

कीटनाशक और कृषि उपस्कर/औजारों का वितरण किया गया है।

ञ. टीएचडीसी शिक्षा सोसाइटी (टीईएस)

कंपनी, टीएचडीसी शिक्षा सोसाइटी (टीईएस) के तत्वावधान में दो स्कूल चला रही है। इनमें से एक भागीरथीपुरम, टिहरी में स्थित है जहां कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की शिक्षा दी जाती है। दूसरा स्कूल प्रगतिपुरम, ऋषिकेश में चल रहा है जहां कक्षा 01 से कक्षा 10 तक की शिक्षा दी जाती है। इन दोनों स्कूलों में आस–पास के क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे पिछड़े तथा अ.जा/अ.ज.जा. के बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जा रही है।

वर्ष के दौरान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनेक पहल की गई हैं। इन दोनों स्कूलों में सैनिक/केन्द्रीय स्कूलों के अनुभवी प्रधानाचार्यों को संविदा आधार पर नियुक्त किया गया है ताकि प्रभावी अधीक्षण तथा प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके। समय–समय पर ग्रीष्मकालीन शिविर, शैक्षिक भ्रमण आदि जैसी पाठ्येतर गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। छात्रों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा महोत्सवों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। टीईएस द्वारा की गई पहलों से इन दोनों स्कूलों में छात्रों की संख्या टिहरी में (159 छात्र) तथा ऋषिकेश में (482 छात्र) वृद्धि हुई है। अध्यापकों के कौशल में सुधार लाने के लिए उन्हें समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ट. टीएचडीसीआईएल हाइड्रोपावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट

आपकी कंपनी ने उत्तराखंड राज्य के टिहरी नामक स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोपावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना को प्रायोजित किया। यह संस्थान 20 एकड़ से भी अधिक जमीन में फैला हुआ है जहां प्रशासनिक ब्लॉक, शैक्षणिक ब्लॉक, प्रयोगशाला, कर्मशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, कैंटीन आदि जैसी अत्याधुनिक और उन्नत अवसंरचनात्मक सुविधाएं विद्यमान हैं। पांच विषयों अर्थात सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स तथा संचार और कंप्यूटर साइंस में प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की कक्षाएं चलाने के लिए अवसंरचनात्मक तथा सज्जित करने का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। चौथे वर्ष के शैक्षणिक ब्लॉक के निर्माण का कार्य चल रहा है तथा अगस्त, 2014 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है।

टीएचडीसी–इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोपावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए महिला छात्रावास के निर्माण हेतु टीएचडीसीआईएल तथा आरईसीएल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। करार के अंतर्गत आरईसीएल 524.00 लाख रु. की कुल लागत में से सेवा–टीएचडीसी को 400.00 लाख रु. की सहायता दे रहा है। विभागीय साधनों से कार्य प्रगति पर है तथा अप्रैल, 2015 के दौरान इसके पूरा हो जाने की संभावना है।

कंपनी द्वारा अब तक सृजित सभी अवसंरचनात्मक सुविधाएं तृतीय वर्ष तक के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रयोग में लाई जा रही हैं।

टिहरी गढ़वाल के पुराने घराटों (पनचक्की) का विकास

वर्ष 2013–14 के दौरान (31.03.2014 तक) किया गया कुल खर्च लगभग 10.05 करोड़ रु. है। उत्तराखंड के राज्य विभाग को सौंपने से पूर्व संस्थान में चौथे वर्ष की कक्षाएं चलाने के लिए आगे की सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से सृजित की जाएंगी।

ङ. जून, 2013 में उत्तराखंड में आई आपदा से प्रभावित लोगों के लिए विद्युत क्षेत्र के केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किए गए राहत उपाय

जून, 2013 में उत्तराखंड में आपदा आने के बाद राहत कार्य तथा बुनियादी सुविधाओं के पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य के लिए आपकी कंपनी को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि उत्तराखंड में बुनियादी सुविधाओं के पुनर्निर्माण के लिए विद्युत क्षेत्र के केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम संयुक्त रूप से 25 करोड़ रु. का योगदान करेंगे। सहायता के लिए धन उपलब्ध करवाने के लिए चुनी गई परियोजना के बारे में निर्णय उनकी आवश्यकताओं, प्राथमिकता और आवश्यकता के आधार पर राज्य सरकार के परामर्श से लिया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) विद्युत क्षेत्र के केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों तथा राज्य सरकार के बीच इस मामले में समन्वय कर रहा है। निर्णय लेने के लिए एनडीएमए के सचिव की अध्यक्षता में विद्युत क्षेत्र के केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की एक कोर समिति भी गठित की गई है जिसमें टीएचडीसीआईएल संयोजक है। कार्य के निष्पादन की जिम्मेदारी सेवा–टीएचडीसी को सौंपी गई है।

ऋषिकेश में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ टीईएस हाई स्कूल की नई इमारत

उत्तराखंड की राज्य सरकार ने राहत कार्य के लिए 19 अति प्रभावित गांवों की पहचान की है। राज्य सरकार द्वारा भेजी जा रही परियोजनाओं को देने (एवार्ड करने) के संबंध में प्रगति की मानीटरिंग करने तथा निर्णय लेने के लिए एनडीएमए में नियमित बैठकें की जा रही हैं। आज की तारीख तक कुल 12.50 करोड़ रु. प्राप्त किए गए हैं और शेष राशि अभी एनटीपीसी तथा पीजीसीआईएल द्वारा भेजी जानी शेष है। पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन कार्यों पर कुल 2.23 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

टीईएस हाई स्कूल, ऋषिकेश में बैग एवं अध्ययन सामग्री का वितरण

कारपोरेट सुशासन के संबंध में रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,

आपके निदेशकों को आपके समक्ष कारपोरेट सुशासन पर कंपनी की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। कंपनी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है। लोक उद्यम विभाग द्वारा कारपोरेट सुशासन के बारे में जारी किए गए दिशानिर्देश आपकी कंपनी पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक कारपोरेट सुशासन की अच्छी पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रयासरत और महत्वाकांक्षी रही है। आपकी कंपनी, डीपीई द्वारा जारी सभी कारपोरेट सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है। कारपोरेट सुशासन से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए डीपीई द्वारा आपकी कंपनी को वर्ष 2012–13 के लिए उत्कृष्ट दर्जा प्रदान किया गया है। डीपीई को प्रस्तुत की गई ग्रेडिंग रिपोर्टों के आधार पर कंपनी वर्ष 2013–14 के लिए भी इसी प्रकार की रेटिंग की अपेक्षा कर रही है।

कारपोरेट सुशासन के संबंध में कंपनी की विचारधारा

आपकी कंपनी में कारपोरेट सुशासन तंत्र निम्नलिखित मानकों पर आधारित है:

- पारदर्शिता और निष्पक्षता।
- समय से और समुचित प्रकटन।
- मूल्यवर्धन में बोर्ड की भूमिका तथा जिम्मेदारियां।
- वित्तीय रिपोर्टिंग में सत्यनिष्ठा।
- नीतिपरक तथा उत्तरदायी निर्णय लेने को बढ़ावा देना।
- पर्यावरण के प्रति दायित्व।
- पणधारियों के अधिकार और हित।
- अनुपालन।

रणनीतिक योजना, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय योजनाएं और बजट, आंतरिक नियंत्रण तथा रिपोर्टिंग की सत्यनिष्ठा, कंपनी के प्रचालनों के विभिन्न पहलुओं संबंधी पारदर्शिता और पूर्ण प्रकटन पर जोर देने सहित सभी सांविधिक/विनियामक आवश्यकताओं सहित इसका पूर्ण अनुपालन और इनका वित्तीय तथा समग्र अनुपालन संबंधी प्रणालियां न केवल सैद्धांतिक रूप में बल्कि वास्तविक रूप से भी विद्यमान हैं।

2. निदेशक मंडल

2.1 बोर्ड का आकार

आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है जिसमें 75 प्रतिशत इक्विटी शेयर होल्डिंग भारत के राष्ट्रपति की है तथा 25 प्रतिशत इक्विटी शेयर होल्डिंग उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की है। कंपनी के कारोबार का अधीक्षण निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति समय-समय पर कंपनी के निदेशकों की संख्या तय करते हैं जो चार से कम और पन्द्रह से अधिक नहीं होगी।

2.2 बोर्ड की संरचना

वर्तमान में बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, प्रकार्यात्मक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। कंपनी के निदेशक मंडल में दस निदेशक शामिल हैं जिनमें अध्यक्ष सहित चार प्रकार्यात्मक निदेशक एक भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक दो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा तीन स्वतंत्र निदेशक हैं। निदेशक बोर्ड में व्यापक अनुभव और कौशल प्रदान करते हैं। निदेशकों का संक्षिप्त परिचय (प्रोफाइल) वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

2.3 निदेशकों की आयु–सीमा तथा कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले हो, तक के लिए की जाती है।

सरकार द्वारा नामित अंशकालिक निदेशक भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पदेन हैसियत से काम कर रहे हैं और उस मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग का कार्मिक न रह जाने पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, भारत सरकार द्वारा आमतौर पर तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाती है।

2.4 बोर्ड की बैठकें तथा उपस्थिति

कंपनी, आईसीएसआई द्वारा जारी की गई बैठकों के संबंध में सचिवालयी मानकों का अनुसरण कर रही है।

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान बोर्ड की छह बैठकें आयोजित की गईं। बैठक की तारीख, बोर्ड की सदस्य संख्या और उपस्थित निदेशकों की संख्या से संबंधित ब्यौरा तालिका–1 में दिया गया है:

तालिका 1: वर्ष 2013–14 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों के ब्यौरे

क्र.सं.	बोर्ड की बैठक की सं.	बोर्ड की बैठकों की तारीख	बोर्ड की सदस्य संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	165	18 अप्रैल, 2013	8	6
2.	166	8 जुलाई, 2013	8	8
3.	167	25 सितम्बर, 2013	8	8
4.	168	24 दिसम्बर, 2013	8	8
5.	169	27 मार्च, 2014	8	8

वर्ष 2013–14 के दौरान निदेशकों की श्रेणियों, बोर्ड की ऐसी बैठकों की संख्या जिनमें निदेशक उपस्थित थे, पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति, अन्य निदेशकों / समिति सदस्यों की संख्या से संबंधित ब्यौरा तालिका–2 में दिया गया है:

तालिका 2: निदेशकों की श्रेणियां तथा उनके द्वारा धारित निदेशक पद तथा समिति संबंधी स्थितियां

क्र. सं.	निदेशक गण	बोर्ड की बैठकों की संख्या जिनमें वे उपस्थित थे	पिछली वार्षिक आम सभा की उपस्थिति	अन्यत्र धारित निदेशक पद	अन्य पद	
					अध्यक्ष	सदस्य
	प्रकार्यात्मक निदेशक					
1.	श्री आर.एस.टी.शाई (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	5	उपस्थित	1	—	1
2.	श्री बी.वी.सिंह निदेशक (तकनीकी)	5	उपस्थित	शून्य	—	2
3.	श्री एस.के.बिस्वास निदेशक (कार्मिक) (दिनांक 01.11.2012 से)	5	उपस्थित	शून्य	—	—
4.	श्री सी.पी.सिंह निदेशक (वित्त) (दिनांक 31.7.2013 तक)	2	उपस्थित			
5.	श्री श्रीधर मावा, निदेशक (वित्त) (दिनांक 01.08.2013 से)	3	उपस्थित	शून्य	—	—
	सरकार द्वारा नामित निदेशक					
6.	श्री जी.शाई प्रसाद, संयुक्त सचिव, (एच), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (दिनांक 31.10.2013 तक)	3	उपस्थित	4	—	1
7.	श्री राज पाल, आर्थिक सलाहकार, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली (दिनांक 1.11.2013 से)	3	—			
	स्वतंत्र निदेशक					
8.	श्री ओ.पी.गहरोत्रा पूर्व–अपर मुख्य सचिव (वित्त), महाराष्ट्र सरकार, मुंबई	5	लागू नहीं	7	—	—
9.	श्री राजीव शेखर साहु, प्रैक्टिसिंग सनदी लेखाकार, भुवनेश्वर	4	लागू नहीं	3	—	—
10.	प्रो. (डॉ.) एस.सी.सक्सेना, निदेशक, आईआईटी, रुड़की	5	लागू नहीं	शून्य	—	—

2.6 स्वतंत्र निदेशकों की पारिश्रमिक एवं प्रकटन

आपकी कंपनी सरकारी कंपनी है इसलिए यह विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक के संबंध में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लिया जाता है। इसलिए बोर्ड पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक के बारे में निर्णय नहीं लेता है। सरकार द्वारा पदेन हैसियत में नामित अंशकालिक निदेशकों को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड तथा समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए 20,000 रु. प्रति सीटिंग की दर से शुल्क का भुगतान किया जाता है।

वर्ष 2013–14 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के लिए किए जाने वाले भुगतान का ब्यौरा तालिका 3 में दिया गया है:

तालिका 3: स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के रूप में किए गए भुगतान का ब्यौरा

स्वतंत्र निदेशकों का नाम	बैठक शुल्क (रु. में)				कुल (रु)
	बोर्ड की बैठक	लेखा परीक्षा समिति की बैठक	पारिश्रमिक समिति की बैठक	सीएसआर एवं सततता विकास समिति	
प्रो. (डॉ.) एस.सी.सक्सेना	1,20,000	1,40,000	40,000	80,000	3,80,000
श्री ओ.पी.गहरोत्रा	1,20,000	1,40,000	40,000	80,000	3,80,000
श्री राजीव शेखर साहू	1,00,000	1,20,000	40,000	60,000	3,20,000

कंपनी (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(1) तथा कंपनी (प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 8 के अनुसार निर्धारित वर्ग या वर्गों की प्रत्येक कंपनी को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक रखना होगा। तदनुसार कंपनी ने निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नामोद्दिष्ट किए हैं:

1. श्री आर.एस.टी. शाई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री श्रीधर यात्रा, निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्त अधिकारी
3. श्री एस.वी. अहमद, कंपनी सचिव

2.8 बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया:

(क) निर्णय लेने की प्रक्रिया:

कंपनी ने दिशानिर्देशों का सेट निर्धारित किया है तथा आईसीएसआई द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों के लिए सचिवालय मानकों का अनुसरण करती है ताकि सभी कारपोरेट मामलों को पेशेवर तरीके से किया जा सके। इन दिशानिर्देशों में बोर्ड की बैठकों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को संसूचित तथा कार्यकुशल तरीके से प्रणालीबद्ध बनाने की अपेक्षा की जाती है।

(ख) बोर्ड की बैठकों के लिए कार्यसूची मदों का निर्धारण तथा चयन करना :

- बोर्ड के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद आमतौर पर कम से कम 7 दिनों बाद उपयुक्त रूप से नोटिस देकर बैठकें बुलाई जाती हैं। कार्यसूची की विस्तृत टिप्पणियां, प्रबंधन रिपोर्टें तथा अन्य स्पष्टकारी विवरण आमतौर पर सदस्यों में पर्याप्त समय पूर्व सामान्यतः 7 दिन पूर्व परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठक के दौरान सार्थक, संसूचित और केन्द्रित निर्णयों को लिया जा सके। सुविधा के लिए तथा समय की बचत करने के लिए बोर्ड की कार्यसूची की साफ्ट कापी भी ई–मेल के द्वारा भेजी जाती है।
- अति आवश्यक मामलों में बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता होने पर अल्पावधि की नोटिस पर बैठकें बुलाई जाती हैं या परिचालन द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं।

- जब कार्यसूची के साथ अधिक मात्रा में दस्तावेजों का संलग्न करना व्यावहारिक न हो तो ऐसे कागजात बैठक के दौरान पटल पर रख दिए जाते हैं।
- संबंधित प्रकार्यात्मक निदेशक और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कार्यसूची से संबंधित कागजात परिचालित किए जाते हैं।
- कार्यसूची के मामलों के संबंध में बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुतीकरण दिए जाते हैं ताकि सदस्य गण पर्याप्त जानकारी और सूचना सहित निर्णय ले सकें।

बोर्ड के सदस्य के पास कंपनी की सभी जानकारियां होती हैं। बोर्ड कार्यसूची में ऐसा कोई भी मुद्दा शामिल करने की सिफारिश कर सकता है जिसे वह महत्वपूर्ण समझता है। बोर्ड द्वारा विचार की जाने वाली मदों के संबंध में जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है वरिष्ठ प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए निरपवाद रूप से बुलाया जाता है।

(ग) बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकार्ड करना:

प्रत्येक बोर्ड/समिति की सभी बैठकों की कार्यवाही के कार्यवृत्त को कार्यवृत्त पुस्तिका में विधिवत रिकार्ड किया जाता है। बोर्ड की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त का मसौदा परिचालित किया जाता है जिसके संबंध में 7 दिनों के भीतर बोर्ड के प्रत्येक सदस्य से अपनी टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया जाता है। इसके बाद कार्यवृत्त को अंतिम रूप दिया जाता है जिसमें निदेशकों के सुझाव/सलाह शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार अंतिम रूप दिए गए कार्यवृत्त को पुष्टि किए जाने के लिए निदेशक मंडल की अगली बैठक में पुन: प्रस्तुत किया जाता है। बैठकों के संबंध में आईसीएसआई द्वारा जारी किए गए सचिवालयी मानकों का अनुपालन किया जाता है।

(घ) अनुवर्ती तंत्र:

बोर्ड/समिति के सदस्यों के निर्णयों पर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को प्रस्तुत करने की प्रणाली विकसित की गई है। यह बोर्ड के मामलों के संबंध में कारगर अनुवर्ती कार्रवाई, पुनरीक्षण तथा रिपोर्ट प्रक्रिया के रूप में काम करता है।

(ङ) बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए मामले तथा अनुपालन:

हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि कार्यसूची की मदों पर टिप्पणियां तैयार करते समय कानून, नियम तथा दिशा निर्देशों के मामले में लागू सभी प्रावधानों का पालन किया जाए।

निम्नलिखित मदों को बोर्ड के विचारार्थ बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से रखे जाते है:

- वाणिज्यिक प्रचालन और परियोजना कार्यों की स्थिति।
- वार्षिक प्रचालन योजनाएं और बजट तथा कोई अन्य नवीनतम जानकारी।
- पूंजी बजट तथा कोई अन्य नवीनतम जानकारी।
- प्रमुख संविदाओं को अवार्ड करना।
- चल रही परियोजना की प्रगति की समीक्षा जिसमें वे महत्वपूर्ण मुद्दे तथा क्षेत्र शामिल है जिन पर प्रबंधन द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
- वार्षिक लेखों, निदेशकों की रिपोर्ट आदि।
- कंपनी का तिमाही वित्तीय परिणाम।
- लेखापरीक्षा समिति, सीएसआर समिति, पारिश्रमिक समिति तथा बोर्ड की अन्य समितियों के कार्यवृत्त।
- निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों में उनके द्वारा धारित निदेशक के पद तथा समितियों में उनकी हैसियत के बारे में रुचि का प्रकटन।
- कंपनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम तथा अन्य नीतिगत मामलों में संशोधन।
- विदेशी विनिमय प्रकटनों संबंधी तिमाही रिपोर्ट।
- मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों में अन्य कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे पारिश्रमिक करार पर हस्ताक्षर किया जाना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का कार्यान्वयन आदि।
- पिछली बैठक से वर्तमान बैठक तक की महत्वपूर्ण घटनाओं की झलकियां।
- संयुक्त उद्यम और साझा करार।
- नई परियोजनाओं का कार्यान्वयन और स्थिति।
- दीर्घकालिक/अल्पकालिक ऋणों में वृद्धि तथा अन्य वित्तपोषण मुद्दे।
- अंतरिम लाभांश का भुगतान यदि हो तथा अंतिम लाभांश की घोषणा।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करना।
- मानव संसाधन विकास तथा औद्योगिक विकास से संबंधित मुद्दे।
- कोई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा आदि जिस पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाना आवश्यक हो।

3. निदेशक मंडल की समितियां:

वर्तमान में कंपनी में बोर्ड की निम्नलिखित सात उप-समितियां हैं:

i) लेखापरीक्षा समिति

ii) पारिश्रमिक समिति

iii) सीएसआर तथा सततता संबंधी समिति

सभी स्वतंत्र निदेशक इन समितियों के लिए कार्य करते हैं और उनमें से एक बैठक की अध्यक्षता करता है।

कंपनी सचिव, बोर्ड की सभी उप–समितियों के सचिव के रूप में कार्य करता है।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति की संरचना, गणपूर्ति (कोरम), विस्तार क्षेत्र आदि कंपनी अधिनियम, 2013 तथा लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा कारपोरेट सुशासन के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप होता है। लेखापरीक्षा समिति की शक्तियों तथा विचारार्थ विषय कारपोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.2 और 4.3 में यथाविनिर्दिष्ट तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुरूप है।

3.1.1 लेखापरीक्षा समिति की संरचना

कारपोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में सदस्य के रूप में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे। लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे तथा लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है:

दिनांक 31.03.2014 तक की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति की संरचना तालिका 4 में दी गई है:

तालिका 4: लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणियां

क्र. सं.	सदस्यों के नाम	सदस्यों की श्रेणी
1.	प्रो. (डॉ.) इस. सी. सक्सैना	स्वतंत्र निदेशक–अध्यक्ष
2.	श्री ओ.पी. गहरोत्रा	स्वतंत्र निदेशक–सदस्य
3.	श्री राजीव शेखर साहू	स्वतंत्र निदेशक–सदस्य

निदेशक (वित्त) और मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी विशेष स्थायी विशिष्ट आमंत्रिती हैं।

3.1.2 लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा इसकी वित्तीय सूचनाओं के प्रकटन की निगरानी करना ताकि वित्तीय विवरणों का सत्य और निष्पक्ष होना सुनिश्चित किया जा सके।
- बोर्ड को सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, लेखापरीक्षा शुल्कों तथा अन्य सेवाओं संबंधी शुल्कों के निर्धारण के बारे में बोर्ड को सिफारिश करना।
- बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में प्रबंधन वर्ग के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना:

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशकों की जिम्मेदारी के विवरण में शामिल किए जाने वाले मामले;

(ख) लेखाकरण नीतियों और पद्धतियों में होने वाले परिवर्तन, यदि कोई हों, तथा उसके कारण;

(ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय की कवायद पर आधारित मुख्य लेखाकरण प्रविष्टियां जिनमें अनुमान भी शामिल हैं;

(घ) लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों से उद्भूत होने वाले समायोजनों को वित्तीय विवरणों में शामिल करना;

(ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन;

(च) किसी भी संबद्ध पक्षकार के लेन–देनों का प्रकटन;

(छ) लेखापरीक्षा से जुड़े मामले जैसे कि:

- आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग की अध्यक्षता करने वाले कर्मचारी की परिपक्वता तथा स्टाफिंग, रिपोर्टिंग, संरचना कवरेज तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ किसी भी उल्लेखनीय निष्कर्ष के बारे में चर्चा करना तथा उस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- जिन मामलों में धोखाधड़ी का संदेह हो, अनियमितता की गई हो या आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां उल्लेखनीय ढंग से असफल हुई हों, उन मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना तथा बोर्ड को उसकी जानकारी देना।
- लेखापरीक्षा शुरू होने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति और कार्य क्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों से विचार–विमर्श तथा कोई चिंतनीय क्षेत्र अभिनिर्धारित करने के लिए लेखा–परीक्षा के बाद विचार–विमर्श।

(ज) शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न किए जाने के मामले में) और ऋणदाताओं को भुगतान के मामले में हुई गंभीर चूकों के कारण, यदि कोई हो, का पता लगाना।

(झ) उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया की पर्याप्तता तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और विश्वसनीयता।

3.1.3 बैठकें और उपस्थिति

वर्ष 2013–14 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की छह बैठकें आयोजित की गईं। आयोजित बैठकों से संबंधित ब्यौरे तालिका 5 में दिए गए हैं:

तालिका 5 : वर्ष 2013–14 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के ब्यौरे

क्र. सं.	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की सं.	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की तारीख	सदस्यों की संख्या	उपस्थित सदस्यों की सं.
1.	55	17 अप्रैल, 2013	3	2
2.	56	8 जुलाई, 2013	3	3
3.	57	24 सितम्बर, 2013	3	3
4.	58	23 दिसम्बर, 2013	3	3
5.	59	13 फरवरी, 2014	3	3
6.	60	27 मार्च, 2014	3	3

वर्ष 2013–14 में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा तालिका 6 में दिया गया है।

तालिका 6 : लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा:

क्र. सं.	लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के नाम	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की सं.	भाग ली गई बैठकों की सं.
1.	प्रो. (डॉ.) एस.सी.सक्सेना, स्वतंत्र निदेशक	7	7
2.	श्री ओ.पी. महरोत्रा, स्वतंत्र निदेशक	7	7
3.	श्री राजीव शेखर साहू, स्वतंत्र निदेशक	7	6

निदेशक (वित्त) और मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी ने विशेष आमंत्रिती के रूप में लेखापरीक्षा की बैठकों में निरपवाद रूप से भाग लिया। समय–समय पर अनेक अन्य अधिकारियों तथा लेखापरीक्षकों को भी लेखापरीक्षा समिति की सहायता के लिए बुलाया गया था।

3.2 पारिश्रमिक समिति

डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित सीमा के भीतर वेतन और भत्तों, वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल तथा नीति के बारे में विचार करने तथा निर्णय लेने के लिए एक पारिश्रमिक समिति का निम्न प्रकार से पुनर्गठन किया गया था।

दिनांक 31.03.2014 तक की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक समिति में तीन सदस्य शामिल हैं। सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणी तालिका 7 में दी गई है:

तालिका 7 : पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणियां:

क्र. सं.	सदस्यों के नाम	सदस्यों की श्रेणी
1.	डा. (प्रो.) एस.सी.सक्सेना	स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
2.	श्री ओ.पी. महरोत्रा	स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
3.	श्री राजीव शेखर साहू	स्वतंत्र निदेशक– सदस्य

निदेशक (कार्मिक) समिति के स्थायी विशिष्ट आमंत्रिती हैं।

3.2.2 बैठकें और उपस्थिति

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान पारिश्रमिक समिति की दो बैठकें 23 दिसंबर, 2013 तथा 27 मार्च, 2014 को आयोजित की गईं। पारिश्रमिक समिति की जिन बैठकों में सदस्य गण शामिल हुए थे उनका ब्यौरा इस प्रकार है:

तालिका 8 : पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी उपस्थिति

क्र. सं.	पारिश्रमिक समिति के सदस्य	Position held	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकें	भाग ली गई बैठकों की सं.
1.	डा. (प्रो.) एस.सी.सक्सेना	अध्यक्ष	2	2
2.	श्री ओ.पी. महरोत्रा	सदस्य	2	2
3.	श्री राजीव शेखर साहू	सदस्य	2	2

निदेशक (कार्मिक) तथा निदेशक (वित्त) ने विशेष आमंत्रिती के रूप में बैठक में भाग लिया।

3.3 सीएसआर तथा सततता विकास समिति

नई सीएसआर तथा सततता नीति– 2013 के अनुसार आपकी कंपनी की सीएसआर गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बोर्ड ने बोर्ड स्तर की सीएसआर तथा सततता समिति का गठन किया है। यह नया कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप भी है।

3.3.1 संरचना

आज की तारीख में सीएसआर तथा सततता समिति की संरचना तालिका 9 में दी गई है:

तालिका 9 : सीएसआर तथा सततता समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी श्रेणियां :

क्र. सं.	सदस्यों के नाम	सदस्यों की श्रेणी
1.	प्रो. (डॉ.) एस.सी.सक्सेना	स्वतंत्र निदेशक–अध्यक्ष
2.	श्री ओ.पी. गहरोत्रा	स्वतंत्र निदेशक–सदस्य
3.	श्री राजीव शेखर साहू	स्वतंत्र निदेशक–सदस्य
4	श्री डी.वी.सिंह	प्रकार्यात्मक निदेशक–सदस्य

सीएसआर तथा सततता के महाप्रबंधक, नोडल अधिकारी होने के नाते समिति में स्थायी विशिष्ट आमंत्रिती हैं। बोर्ड स्तर की समिति की बैठकें तीन माह में कम से कम एक बार तथा वर्ष में चार बार होती हैं।

3.3.2 बैठकें तथा उपस्थिति

वित्त वर्ष 2013–14 में सीएसआर तथा सततता की चार बैठकें आयोजित की गई। आयोजित बैठकों का ब्यौरा तालिका 10 में दिया गया है:

तालिका 10 : सीएसआर तथा सततता समिति के सदस्यों के नाम तथा उनकी उपस्थिति:

सीएसआर समिति की बैठकों की सं.	सीएसआर तथा सततता समिति की बैठक की तारीख	सदस्यों की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1	31 मई, 2013	4	3
2	24 सितम्बर, 2013	4	4
3	23 दिसम्बर, 2013	4	4
4	27 मार्च, 2014	4	4

निदेशक (वित्त) ने विशिष्ट आमंत्रिती के रूप में बैठक में भाग लिया।

सीएसआर तथा सततता समिति के कार्य

बोर्ड स्तर की सीएसआर तथा एसडी समिति कंपनी के सीएसआर–एसडी कार्यक्रम/गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग पर नजर रखती है जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- सीएसआर तथा सतत परियोजनाओं/गतिविधियों तथा वार्षिक योजना/बजट पर विचार करना।
- आवधिक सीएसआर–एसडी प्रगति रिपोर्ट/स्थिति रिपोर्ट पर विचार करना।
- सीएसआर : एसडी गतिविधियों की मानीटरिंग करना।
- सीएसआर–एसडी परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार करना।
- अन्य कोई कार्य जिसे आवश्यक समझा जाए।

4. आम सभा की बैठकें

जिस तारीख, समय तथा स्थान पर पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकें आयोजित की गई थीं, उन्हें तालिका 11 में दर्शाया गया है।

तालिका 11 : पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकों के ब्यौरे:

वार्षिक आम सभाएं	28 सितम्बर, 2013 को आयोजित 26वीं वार्षिक आम सभा	27 सितम्बर, 2012 को आयोजित 25वीं वार्षिक आम सभा	29 सितम्बर, 2011 को आयोजित 24वीं वार्षिक आम सभा
समय	दोपहर 12.30 बजे	शाम 5.00 बजे	शाम 5.30 बजे
स्थान	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, प्रथम तल, वेस्ट टावर, एनबीसीसी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, प्लाट नं. 20, सेक्टर नं.14, कौशाम्बी गाजियाबाद (उ. प्र.)	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, प्लाट नं. 20, सेक्टर नं.14, कौशाम्बी गाजियाबाद (उ. प्र.)
विशेष कार्य व्यवहार	शून्य	शून्य	*प्रदत्त पूंजी तथा प्राधिकृत पूंजी बढ़ाने के लिए निदेशक बोर्ड को शक्ति की अनुमोदन प्रदान करना।

5. प्रकटन

5.1 सम्बद्ध पक्षकार का कार्य संव्यवहार

प्रोमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन के साथ उल्लेखनीय प्रकृति का कार्य संव्यवहार नहीं है जिसमें बड़े पैमाने पर कंपनी के हित के साथ बड़ा अंतर्विरोध हो।

6. सचेतक नीति

कर्मचारियों के लिए एक तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से सचेतक नीति अपनाई गई है ताकि वे अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहास्पद जालसाजी या आचरण अथवा आचार नीति संबंधी कंपनी के सामान्य दिशा–निर्देशों के उल्लंघन की जानकारी से प्रबंधन को अवगत करा सकें। कर्मचारियों को उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षोपाय उपलब्ध करवाए गए हैं तथा आपवादिक मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधे मुलाकात करने का प्रावधान भी किया गया है।

- इसमें सद्भावपूर्वक सचेत करने के लिए उत्पीड़न से

कर्मचारियों की रक्षा करने के लिए आवश्यक सुरक्षापायों की व्यवस्था की गई है।

- जानबूझ कर झूठा आरोप लगाने वाले कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सचेतक नीति की प्रति कंपनी की अधिकृत वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

7. शिकायत निवारण तंत्र:

कंपनी ने कर्मचारियों के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र अपनाया है।

शिकायत से तात्पर्य किसी भी प्रकार के असंतोष से है जिसका संगठन में व्यक्ति के सुचारु रूप से कार्य करने के लिए निवारण किया जाना आवश्यक है। व्यापक तौर पर किसी शिकायत को ऐसे असंतोष के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो संगठन के किसी पहलू के प्रति पल रही हो। यह वास्तविक या काल्पनिक हो सकती है, यथार्थ या हास्यास्पद हो सकती है, लिखित रूप में या मौखिक हो सकती है, परंतु इसे किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त किया जाना चाहिए।

8. जोखिम प्रबंधन:

आपकी कंपनी ने किसी व्यापारिक गतिविधि को संभालने में संबद्ध जोखिमों के विभिन्न पक्षों से निपटने के लिए बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित जोखिम प्रबंधन प्रणाली अपनाई है। यह सभी प्रकार की आशंकाओं से उत्पन्न जोखिम से निपटने का स्तरीकृत दृष्टिकोण है तथा इसमें मानवीय गतिविधियों की श्रृंखला जैसे जोखिम की पहचान, जोखिम की मात्रा का निर्धारण, जोखिम के उत्तर का विकास और कार्यान्वयन/प्रबंधकीय संसाधनों का प्रयोग कर जोखिम का उपशमन शामिल होते हैं।

जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, मानव, संगठन तथा राजनीति से जुड़े विभिन्न जोखिमों का उपशमन करना है। जोखिम प्रबंधन से कारपोरेट के उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रभावी योगदान प्राप्त होता है तथा यह कार्यात्मक प्रबंधन क्षेत्रों का अभिन्न अंग बनता है। जोखिम प्रबंधन में, जोखिम विश्लेषण, जोखिम प्रत्युत्तर तथा जोखिम नियंत्रण की सुपरिभाषित प्रणाली शामिल होती है ताकि स्वीकार्य स्तर तक जोखिम को कम किया जा सके।

9. रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली:

टीएचडीसी ने निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिकार्ड प्रबंधन मैनुअल अंगीकार किया है:

- रिकार्डों के उचित परिरक्षण तथा संरक्षण को सुकर बनाना।
- रिकार्डों को शीघ्रता से पुनः प्राप्त कर सुकर बनाना।
- प्रारंभिक स्तर पर रिकार्डों की वृद्धि को नियंत्रित करना।
- समय से छांटने के लिए रिकार्डों को चिह्नित करना ताकि रिकार्डों के रख-रखाव की लागत को न्यूनतम किया जा सके।
- रिकार्डों को बनाए रखने के लिए सांविधिक बाध्यताओं का अनुपालन करना।
- कार्यालय स्थान के उपयोग को न्यूनतम करना इत्यादि।

10. संचार के साधन-प्राधिकृत वेबसाइट

कंपनी अपने अंशधारकों के साथ कंपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठकों तथा प्रकटनों के माध्यम से संपर्क रखती है जिन्हें सरकारी वेबसाइट पर भी डाला जाता है।

कंपनी के संबंध में जानकारी, अद्यतन सूचनाएं तथा घोषणाएं कंपनी की वेबसाइट www.thdc.gov.in पर देखी जा सकती है जिनमें निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं:

- कंपनी की प्रोफाइल।
- निदेशक मंडल तथा बोर्ड की उप-समितियां।
- संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम।
- कंपनी का निष्पादन तथा वार्षिक रिपोर्ट।
- प्रमुख परियोजनाएं।
- कंपनी की विभिन्न नीतियां।
- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी आदि।

11. भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक

आपकी कंपनी, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में आती है तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अंतर्गत इसका संसदीय निरीक्षण भी किया जा सकता है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है जो लेखापरीक्षकों द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा की रीति-नीति के बारे में उन्हें निदेश देता है। भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक को प्राथमिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर टिप्पणी करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, भारत का नियंत्रक व महालेखापरीक्षक आपकी कंपनी की लेखाओं का परीक्षण की दृष्टि से लेखापरीक्षा करता है तथा उस लेखापरीक्षा के परिणामों के बारे में संसद तथा राज्यों के विधान मंडलों को जानकारी देता है।

12. कारपोरेट आचार नीति

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने कारपोरेट सुशासन पहल के भाग के रूप में कारपोरेट आचार नीति को अनुमोदित किया। आचार नीति का प्रयोजन कर्मचारियों और ग्राहकों की अपेक्षाओं को उचित व्यापारिक पद्धति मानने पर बल देना है। यह नीति व्यापारिक एवं व्यवहार को मार्गदर्शन देने का प्रयोजन सिद्ध करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संगठन के लिए कार्य करने वाले सभी लोग व्यावसायिक आचार नीति के उच्चतम मानकों का पालन करते हैं तथा कंपनी के अच्छे सुशासन दिशा में योगदान करना तथा इसकी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता बढ़ाना उनकी जिम्मेदारी है।

आचारशास्त्र नीति कथन निदेशक मंडल के सभी सदस्यों प्रतिनियुक्ति/धारणाधिकार (लियन) रखने वाले कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। बोर्ड के सदस्यों तथा डीजीएम स्तर तक के निगम के वरिष्ठ प्रबंधन से व्यावसायिक आचार संहिता और नीति के अनुपालन के बारे में वार्षिक अभिपुष्टि प्राप्त की जाती है।

13. बोर्ड की आचार संहिता

निदेशक मंडल ने कंपनी के मिशन और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनी के विज़न और नैतिक मूल्यों के अनुरूप बोर्ड के सदस्यों तथा प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए एक पृथक आचार संहिता तथा नीति निर्धारित की है। इसका उद्देश्य कंपनी के मामलों को संचालित करने में आचार नीति पारदर्शिता की प्रक्रिया को बढ़ाना है।

डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.4.2 के तहत यथापेक्षित घोषणा

'बोर्ड के सभी सदस्यों ने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है।'

(आर.एस.टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

14. पत्राचार के लिए पता

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
प्रगतिपुरम, बाईपास रोड, ऋषिकेश–249201
उत्तराखंड

पत्राचार के लिए फोन नं. तथा ई–मेल संदर्भ नीचे दिए गए हैः

कंपनी सचिव	श्री एस.एम्. अहमद
कार्यालय से संपर्क करने के लिए टेलीफोन नं.	0135-2439309, फैक्स- 0135-2439442
ई–मेल	thdccs@yahoo.co.in
सार्वजनिक शिकायतों के लिए	श्री आर.एन. सिंह, अपर महाप्रबंधक (एस. पी), निदेशक, लोक शिकायत, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, प्लाट नं. 20, सेक्टर 14, कौशाम्बी, गाजियाबाद (उ. प्र.)–201010
संपर्क	0120-2776480 मो.- 9899280905
ई–मेल	rnsingh@thdc.gov.in

वर्तमान निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

श्री आर.एस.टी.भाई ने 06.03.2007 को टीएचडीसी इंडिया लि. (टीएचडीसीआईएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्य भार संभाला था। इससे पूर्व आप मई, 2006 से टीएचडीसी में निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यरत थे। इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक श्री शाई इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के सदस्य हैं। आपने आईआईएम, बंगलौर से प्रबंधन में डिप्लोमा किया है तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री भी प्राप्त की है। आपको बैंकिंग, वित्त, वाणिज्यिक, ईपीसी संविदा और संविदा प्रबंधन का 33 वर्ष का व्यापक अनुभव है। आपने आपूर्तिकर्ताओं के क्रेडिट का पारदर्शी निविदा प्रलेखन विकसित किया है तथा दिल्ली मेट्रो में परियोजना को शीघ्र पूरा होने के संबंध में बोनस संबंधी अभिनव प्रक्रिया भी प्रारंभ की थी। निदेशक (वित्त) के रूप में टीएचडीसी में कार्यभार संभालने से पहले श्री शाई ने अलाहाबाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, पावरग्रिड और दिल्ली मेट्रो में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। इस समय वे यूजेवीएनएल में अशंकालिक निदेशक और आईआईटी, रुड़की के गवर्निंग बॉडी के सदस्य भी हैं।

श्री दीपक सिंघल को 28 अगस्त, 2014 से टीएचडीसी इंडिया लि. में उ.प्र. सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। आप 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आप जुलाई, 1997 से अगस्त, 2000 तक उत्तर प्रदेश में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों जैसे– प्रबंध निदेशक, गढ़वाल मंडल विकास निगम, मेरठ विकास प्राधिकरण के प्रशासक एवं उपाध्यक्ष, कलैक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन विशेष सचिव, इलाहाबाद राजस्व बोर्ड के सदस्य, बरेली प्रमाग के अधीन आयुक्त के पद पर कार्यरत रहे।

आप फरवरी, 2005 से सितंबर, 2006 तक उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लि. और उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर भी कार्यरत रहे। आप भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन उर्वरक विभाग के संयुक्त सचिव थे। वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव, सिंचाई के पद पर कार्यरत हैं।

श्री संजय अग्रवाल को 28 अगस्त, 2014 से टीएचडीसी इंडिया लि. में उ.प्र. सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। आपने आईआईटी, कानपुर से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक एवं एम.टेक की डिग्री प्राप्त की है। आपने भारतीय प्रशासनिक सेवा 1984 बैच के अधिकारी के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यभार ग्रहण किया। आप जुलाई, 1988 से जुलाई, 1993 तक मेरठ की सीडीओ थे। आप विभिन्न जिलों के कलैक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के पदों पर कार्यरत रहे। आपको मई, 2001 से मार्च, 2002 तक उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री के सचिव के रूप में महत्वपूर्ण एवं जिम्मेदारी का कार्य सौंपा गया था। आप

यूपीएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक के पद पर भी कार्यरत रहे। जनवरी, 2005 से अगस्त, 2010 तक आप भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे।

प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर आप उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव रहे तथा अगस्त, 2010 से मई, 2013 तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव (ऊर्जा) तथा मई, 2013 से उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लि. के अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे हैं।

श्री राजपाल, आर्थिक सलाहकार, विद्युत मंत्रालय में भारतीय आर्थिक सेवा से जुड़े हुए हैं। आपने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर के साथ मास्टर ऑफ फिलॉसफी डिग्री प्राप्त की है। आपने आर्थिक विकास संस्थान, टोक्यो, जापान से विकास अध्ययन में डिप्लोमा भी किया है। भारतीय आर्थिक सेवा के सदस्य होने के नाते, श्री राजपाल को विभिन्न मंत्रालयों जैसे वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, उद्योग मंत्रालय, श्रम मंत्रालय इत्यादि में कार्य करने का 25 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। आपने विद्युत मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व भारतीय दूरभाष विनियामक प्राधिकरण के आर्थिक विनियम में भी सलाहकार के रूप में कार्य किया है। श्री राजपाल, विद्युत मंत्रालय के नीति एवं नियोजन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान एवं समन्वय प्रभाग के संयुक्त सचिव प्रभारी हैं।

श्री डी.वी. सिंह ने दि. 12.05.2010 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। इससे पूर्व आप टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में बीसार और पटरी से उतर चुकी कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (4X100 मेगा वाट) को वापस पटरी पर लाने हेतु मार्च 2007 से मुख्य परियोजना अधिकारी (सीपीओ) का पद भार संभाल रहे थे। तीन वर्ष की अवधि में रिकॉर्ड प्रगति के साथ अत्यधिक मात्रा में सिविल / इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल के विभिन्न कार्यों का निष्पादन किया गया और परियोजना की दो इकाईयों से अप्रैल 2011 से उत्पादन आरम्भ हो गया। परियोजना ने त्वरित क्रियान्वयन एवं परियोजना प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार अर्जित किये हैं। श्री सिंह ने 1983 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), राउरकेला से ऑनर्स के साथ बी.एससी. इंजीनियरिंग (सिविल) की शिक्षा ग्रहण की है। जल विद्युत क्षेत्र में क्षमता को बढ़ाने के लिए श्री सिंह, कैलिफोर्निया (यूएसए) में "हाइड्रो विजन–2008" पर आयोजित सेमिनार में सम्मिलित हुए तथा आपको मास्को विश्वविद्यालय, रूस के माध्यम से हाइड्रो प्रोजेक्ट इंस्टिट्यूट (एच.पी.आई.) मास्को द्वारा संचालित बांध तथा विद्युत गृह के सिविल कार्यों के डिजाइन में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। श्री सिंह को पास भूमिगत कार्यों, विद्युत गृह कार्यों, स्पिलवे, सांचिदा, सामग्री प्रबंधन, पुनर्वास तथा भारी सिविल भवन निर्माण में 31 वर्षों का व्यापक अनुभव है। आप पिछले 22 वर्षों से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। आपके टिहरी विद्युत गृह के प्रभारी इंजीनियर रहने की अवधि में टिहरी एच.पी.पी. (4X250 मेगा वाट) की सारी इकाईयाँ चालू की

गई थी। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आपने एल एंड टी के साथ कार्य करते हुए कोल हैंडलिंग प्रोजेक्ट, उर्वरक परियोजना तथा दिल्ली में बहुमंजिला भवन परियोजना पर कार्य किया। वर्ष 2012 में सिविल इंजीनियरिंग तथा परियोजना प्रबंधन के क्षेत्र में आपके कार्य कौशल एवं कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना निष्पादन में आपके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए "इंस्टिट्यूसन्स ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया)" के एक राष्ट्रीय सम्मेलन में "एमिनेंट इंजीनियर" की उपाधि से विभूषित किया गया था। आपको "इंस्टिट्यूसन्स ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया)" द्वारा "चार्टर्ड इंजीनियर" की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है।

श्री एस.के. बिस्वास ने 01.11.2012 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) में निदेशक (कार्मिक) का पदभार ग्रहण किया है। आपको मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में 30 वर्ष का व्यापक अनुभव है। श्री बिस्वास ने 01.11.2007 को महाप्रबंधक (कार्मिक और प्रशासन) के रूप में टीएचडीसीआईएल में कार्यभार संभाला था। इससे पूर्व आपने सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न अन्य प्रतिष्ठित उपक्रमों (पीएसयूएस) अर्थात सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई), सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) में विभिन्न पदों पर अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। श्री बिस्वास साइंस स्ट्रीम में स्नातक हैं एवं एक्सआईएसएस से कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंधों में स्नातकोत्तर तथा हिमाचल विश्वविद्यालय से एलएल.बी. और इंडियन सोसायटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से प्रशिक्षण और विकास में डिप्लोमा धारक हैं।

श्री श्रीधर पात्रा ने 02.08.2013 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में निदेशक (वित्त) का कार्यभार संभाला है। आपको सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों जैसे ओडिशा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड और मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (ओएनजीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) में 27 वर्षों का व्यापक अनुभव है। श्री पात्रा उत्कल विश्वविद्यालय से वाणिज्य के स्नातक और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। आपने विद्यासागर विश्वविद्यालय से एम.बी.ए. (मानव संसाधन विकास) किया है। आपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपने व्यावसायिक रोजगार के अतिरिक्त एक शिक्षाविद के रूप में योगदान किया है।

प्रोफेसर एस. सी. सक्सेना को भारत सरकार द्वारा 17.11.2011 को 3 वर्ष की अवधि के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉ. सक्सेना एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद हैं। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बी.ई. इलैक्ट्रिकल (1970), आईआईटी, रुड़की (तत्कालीन रुड़की विश्वविद्यालय) से एम.ई. इलैक्ट्रिकल (मेजर, एंड इंस्ट्रु.) (1973) और पीएचडी इलैक्ट्रिकल (बायोमेडिकल इंजी.) (1977) की है। आपने 1973 में आईआईटी, रुड़की के विद्युत इंजीनियरिंग विभाग के फैकल्टी के रूप में पद भार ग्रहण किया

और बाद में प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष और संकायाध्यक्ष तक के स्तर तक पहुंचे। इस समय आप जेआईआईटी, नोएडा में उप–कुलपति (कार्यवाहक) के रूप में कार्यरत हैं। आपने निदेशक, थापर विश्वविद्यालय (पूर्व टीआईईटी) तथा थापर सेंटर फार इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कार्य किया है। प्रो. सक्सेना ने उत्कृष्ट एवं राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में प्रबंधन, तकनीकी और वित्तीय प्रगति के क्षेत्र में अपनी इंजीनियरिंग उत्कृष्टता को स्थापित किया है। उन्होंने 24 अध्येताओं को पीएच. डी. में मार्गदर्शन दिया तथा उनके 200 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपने विभिन्न प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आप अनेक स्वायत्त शैक्षिक संस्थानों और आयोगों में भी पदभार संभाले हुए हैं।

श्री राजीव शेखर साहू को भारत सरकार द्वारा 09.11.2011 को तीन वर्ष की अवधि के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में नियुक्त किया गया। आप एक प्रैक्टिसिंग सनदी लेखाकार हैं। आप मेसर्स एसआरबी एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार के एक प्रमुख भागीदार हैं। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अतिरिक्त आप एनटीपीसी लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी है तथा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में निदेशक हैं।

आप वर्ष 2011–12 और 2012–13 के लिए लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के समझौता ज्ञापन की टास्कफोर्स के सदस्य हैं। आप श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति, पुरी के एक सदस्य हैं जहां आपको एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में ओडिशा सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। आपको ओडिशा सरकार द्वारा, ओडिशा शहरी और संरचना विकास निधि (ओयूआईडीएफ) के एक स्वतंत्र न्यासी के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको वर्ष 2007 से सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में जारी किए गए उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा संस्थान संबंधी शुल्क निर्धारण समिति, ओडिशा का सदस्य नियुक्त किया गया है। आप इंडस इंटरप्रेन्योर (टीआईई) के कोषाध्यक्ष हैं जिसका मुख्यालय सिलिकॉन वैली, यू. एस. ए. में है।

आप वर्ष 2008–10 के दौरान पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी थे। आप जुलाई, 2008 से जुलाई, 2011 तक आंध्र बैंक में निदेशक थे। आंध्र बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान आप लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष और जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य थे। आप वर्ष 2009–10 के लिए इंडो–अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष थे। इस समय वे एनटीपीसी लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में निदेशक हैं।

श्री ओ. पी. गहरोत्रा को 16.03.2012 से 3 वर्ष की अवधि के लिए टीएचडीसी लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। आपने जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तथा बर्मिंघम विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम से वित्तीय प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधियां प्राप्त की हैं।

वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1969 बैच के अधिकारी हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात आप रेवास पोर्ट्स लिमिटेड के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में जुड़े जहां पर आप ग्रीन फील्ड पोर्ट परियोजना के समग्र प्रबंधन और स्थापना के प्रति उत्तरदायी थे। इस समय आप सिनर्जी ली पावर रिर्सोसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं जहां आप महाराष्ट्र में 2000 मैगावाट के गैस आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना में सहायता कर रहे हैं।

आपने सरकार में अनेक जिम्मेदार पदों को संभाला। सितम्बर, 2004 से दिसम्बर, 2006 तक की अवधि के दौरान आपको महाराष्ट्र सरकार के वित्त विभाग में अपर मुख्य सचिव के रूप में नामोदिष्ट किया गया था, जहां पर आप महाराष्ट्र सरकार के समग्र बजटिंग, आयोजना और राजकोष प्रबंधन के प्रति उत्तरदायी थे। श्री गहरोत्रा मई, 2001 से नवम्बर, 2004 तक राज्य सरकार के एक उपक्रम महाराष्ट्र स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन में अपर प्रमुख सचिव तथा प्रबंध निदेशक थे।

आप सेबी में फरवरी, 1996 से लेकर अप्रैल, 2001 तक वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक थे, जहां पर आप भारत की प्रमुख बाजारों में विनियमनों को देखने के साथ–साथ विदेशी संस्थागत निवेशकों के विनियमन, कारपोरेट टेकओवर्स, प्रौद्योगिकी, बाह्य समन्वय और इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन ("आईओएससीओ") के सदस्यों के साथ बातचीत के लिए उत्तरदायी थे।

इस समय श्री गहरोत्रा ओनांग मैनेजमेंट एडवाइजरी सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, इलैन वैस्क्यूलर टेक्नॉलोजीज़ प्राइवेट लिमिटेड, कल्पतरु लिमिटेड, ट्राइमैक्स आई टी इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड तथा उत्तम गाल्वा स्टील्स लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक हैं।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC India Limited

कारपोरेट सुशासन के संबंध में अनुपालन प्रमाण-पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

1. हमने दिनांक 31.3.2014 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा कारपोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है।

2. कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा स्वीकार की गई प्रक्रियाओं तथा उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरण के संबंध में न तो लेखापरीक्षा है और न ही राय की अभिव्यक्ति।

3. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कारपोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

4. हमारा यह भी कथन है कि इस प्रकार का अनुपालन, कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में न तो आश्वासन है और न ही यह कार्यकुशलता या कारगरता है जिससे साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संपन्न किया है।

ह०/-
(पी. एस. आर. मूर्ति)
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
एफसीएस-5660
सी.पी.नं. 13390

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 10 जुलाई, 2014

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–III

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

पृष्ठभूमि:

देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए विद्युत ऊर्जा प्रमुख आदान (इनपुट) है। ऊर्जा की कुल खपत की दृष्टि से भारत का विश्व में छठा स्थान है और इसके विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्षेत्र (सेक्टर) के विकास को गति देने की आवश्यकता है।

सरकार का प्रयास है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और घरेलू परिवारों को वहनीय दर पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। भारत सरकार ने प्रतिस्पर्धी माहौल में विद्युत क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सुधार और नीतियां प्रारंभ की हैं। 12वीं योजना के दौरान 75785 मेगावाट (जल विद्युत–9204 मेगावाट) और 13वीं योजना के दौरान 93456 मेगावाट (जल विद्युत–12006 मेगावाट) क्षमता वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। विगत में विद्युत क्षेत्र ने कुछ सफलता की कहानियां देखी हैं परंतु वृद्धि अभी भी लक्ष्य से पीछे है। एक मिनी रत्न केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम के रूप में कंपनी विद्युत परियोजनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के प्रति वचनबद्ध है जिसका उद्देश्य सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करना तथा राष्ट्रीय विकास में योगदान करना है।

1400 मेगावाट की संस्थापित क्षमता सहित टीएचडीसीआईएल बहु परियोजना वाला संगठन है जिसकी विभिन्न विद्युत परियोजनाएं, कार्यान्वयन के भिन्न–भिन्न स्तर पर चल रही हैं। वर्तमान में कंपनी की 15 परियोजनाएं हैं जिनकी विकास के विभिन्न स्तरों पर संस्थापित क्षमता 6211 मेगावाट है।

दिनांक 31.03.2014 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 4000 करोड़ रु. है और प्रदत्त पूंजी 3473.09 करोड़ रु. है और भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार की इक्विटी सहभागिता 3:1 के अनुपात में है। कंपनी ने उत्तर प्रदेश राज्य के खुर्जा नामक स्थान पर 1320 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट तथा विभिन्न परंपरागत/गैर परंपरागत और नवीकरणीय विद्युत परियोजनाएं प्रारंभ करने के लिए रणनीतिक व्यापारिक विविधीकरण योजना के रूप में कार्रवाई शुरू की है।

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण:

मजबूती और कमजोरी की तुलना में अवसर तथा कठिनाइयों का अध्ययन विश्लेषण द्वारा किया जाना है। टीएचडीसीआईएल का एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण नीचे दिया गया है:

(क) मजबूती

- **मजबूत तकनीकी कौशल आधार:**

  टीएचडीसीआईएल ने एशियाई क्षेत्र के सबसे ऊंचे तथा विश्व के पांचवे सबसे ऊंचे अर्थ और रॉकफिल बांध (260.5 मीटर ऊंचा) को शामिल कर तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण टिहरी जल विद्युत परिसर (2400 मेगावाट) के कार्यान्वयन के लिए मजबूत तकनीकी आधार प्राप्त किया।

- **जटिल हिमालयन भूविज्ञान में भूमिगत कार्यों में इंजीनियरिंग तथा निर्माण संबंधी कौशल:**

  टिहरी परियोजना में 27 सुरंगें हैं जिनका अधिकतम व्यास 11 मीटर तथा कुल लंबाई लगभग 16 कि.मी. है तथा 18 शाफ्ट हैं जिनका अधिकतम व्यास 12 मीटर तथा अधिकतम ऊंचाई 220 मीटर है और कुल लंबाई लगभग 2.27 कि.मी. है।

- **जल विद्युत उत्पादन संयंत्र के कार्यान्वयन में शामिल पर्यावरण और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से जुड़े जटिल मुद्दों को संभालने करने के लिए योग्यता:**

  टिहरी परियोजना में लगभग 15,000 परिवारों का सफल पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) टिहरी बांध से गंगोत्री तक के जलागम क्षेत्र का उपचार तथा पारिस्थितिकीय सुधार के अतिरिक्त अन्य उपाय शामिल थे।

- **सक्षम और प्रतिबद्ध कार्यबल:**

  कंपनी के पास मजबूत और सक्षम प्रबंधन टीम है तथा 805 कार्यपालकों, 124 पर्यवेक्षकों तथा 1134 कामगारों से युक्त सहायक स्टाफ की टीम है।

- **अच्छी वित्तीय स्थिति**

  कंपनी, वित्त वर्ष 2006–07 से लगातार मुनाफा कमा रही है जिससे संगठन का वित्तीय आधार सुदृढ़ बन गया है।

(ख) कमजोरियां

- वर्तमान में जल विद्युत क्षेत्र तक ही सीमित है।
- मुख्य रूप से राज्य विशिष्ट परियोजनाएं–जो केवल एक राज्य अर्थात उत्तराखंड में केन्द्रित हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व के साथ जुड़ी प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयां।

(ग) अवसर

- **भारत में अप्रयुक्त जल विद्युत संभाव्यता है:**

  जल विद्युत क्षेत्र में भारी संभाव्यता है। जल–कोयला मिश्रण से स्थिति बदतर हुई है। अधिक आवश्यकता

डाले समय में बिजली की कमी बढ़ने के कारण नीति निर्माता जल संसाधनों पर अपना ध्यान देने तथा जल विद्युत विकसित करने के लिए बाध्य हुए हैं।

- **पड़ोसी देशों में जल विद्युत संभाव्यता:**

  भारत के बाहर विशेषकर नेपाल और भूटान जैसे क्षेत्र में व्यापार के विकास की संभाव्यता है जहां भारत सरकार द्विपक्षीय सहयोग प्रदान करती है।

- **परामर्श:**

  कंपनी ने अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों/राज्यों/निजी क्षेत्र द्वारा चलाई जा रही अपनी जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में परामर्श/परियोजना कार्यान्वयन सेवाएं प्रदान करने की अपनी विशेषज्ञता और कौशल का प्रयोग किया। परंपरागत/गैर-परंपरागत ऊर्जा के अन्य स्रोत विविधीकरण के लिए संभाव्यता उपलब्ध करवाते हैं।

(घ) कठिनाइयां

- **अनुमति प्राप्त करने में समय लगना**

  पर्यावरण और वन संबंधी अनुमति तथा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (जहां लागू हो) से अनुमति प्राप्त करने के मानदंड कठिन और प्रक्रिया बोझिल होने के कारण परियोजनाओं के लिए अनुमति प्राप्त करने में विलंब होता है जिससे क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ सकता है।

  पर्यावरण तथा धार्मिक आधार पर जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध किए जाने के कारण परियोजना मंजूरी तथा उनके कार्यान्वयन में विलंब होता है।

- **भूमि अधिग्रहण**

  आवसंरचना संबंधी कार्य तथा जलमग्नता सहित परियोजना के घटकों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अत्यंत बोझिल है और उसमें काफी समय लगता है।

- **भूवैज्ञानिक अनिश्चितताएं**

  विशेषकर युवा हिमालय क्षेत्र में भूवैज्ञानिक अजूबों से समय और लागत में काफी बढ़ोत्तरी हो जाती है।

- **प्राकृतिक आपदाएं**

  चूंकि अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं, इसलिए भू-स्खलन, पर्वतीय ढलानों के ढहने और सड़कें अवरुद्ध होने, बाढ़ और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निर्माण अवधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा समय और लागत बढ़ जाती है।

- **विनियामक बोझिल**

  इस बात की पूरी संभावना रहती है कि विनियामक प्राधिकरण प्रशुल्क (टैरिफ) के लिए परियोजना की पूरी लागत पर विचार न करें। टैरिफ विनियमों में आगे और परिवर्तन किए जाने से नगदी प्रवाह प्रबालन परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। वर्ष 2016 से लागू टैरिफ नीति में वितरण संस्थाओं द्वारा प्रतिस्पर्धी आधार पर बिजली खरीदने की अनुमति है। इस प्रकार, कंपनी वर्तमान टैरिफ विनियम के तहत किए गए संरक्षण से वंचित हो जाएगी।

  जल विद्युत तथा पंप भंडारण परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण लाभ अधिक आवश्यकता वाले समय (पीकिंग पावर) में बिजली उपलब्ध करवाने तथा सिस्टम को अनुषांगिक सेवाएं उपलब्ध करवाने की उनकी क्षमता है। वर्तमान मूल्य निर्धारण व्यवस्था में इन लाभों को भलीभांति मान्यता प्राप्त नहीं है विशेषकर इसलिए कि वितरकों को सेवा की गुणवत्ता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन बहुत कम है।

भावी दृष्टिकोण

क्षमता वृद्धि

मानव की समृद्धि का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज सामना की जा रही ऊर्जा संबंधी चुनौतियों को हम कितनी सफलतापूर्वक सुलझाते हैं। कंपनी का भावी दृष्टिकोण सतत विकास पर केन्द्रित है जिसमें निम्नलिखित पर बल दिया गया है:

- पर्यावरण की रक्षा करने तथा भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए ग्रीन, नवीकरणीय विद्युत का उत्पादन;
- मांग में कमी लाने के लिए ऊर्जा का कार्यकुशल ढंग से प्रयोग; और
- कार्यकुशल, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए अभिनव प्रयास (नवाचार)।

परियोजनाओं के विकास के विभिन्न चरणों पर विचार करते हुए 12वीं योजना में कंपनी का संभावित अंशदान 24 मेगावाट होगा।

कंपनी स्वयं या राज्य सरकारों के संयुक्त उपक्रमों/भारत और विदेश स्थित अन्य सार्वजनिक उपक्रमों तथा संगठनों के माध्यम से विभिन्न राज्यों/देशों में जल संसाधनों के विकास में अपनी क्षमता को प्रयोग में लाने का प्रयास करेगी।

कंपनी, कोयला तथा नवीकरणीय अर्थात सौर और पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के अन्य संसाधनों को प्रयोग में लाना चाहती है। कंपनी अन्य सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/जल विद्युत विकास के विभिन्न भागों से जुड़े हुए विकासकर्ताओं (डेवलपरों) को सर्वेक्षण और अन्वेषण, योजना और विकास परियोजना प्रबंधन तथा प्रचालन और अनुरक्षण में परामर्श देना चाहती है।

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
ऋषिकेश-249201
उत्तराखंड

4000 करोड़ रु. की प्राधिकृत शेयर पूंजी सीआईएन नं.यू 45203 यू आर 1988 जीओआई 009822

मैंने मैसर्स टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (इसके बाद इसे कंपनी कहा जाएगा) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छी सुशासन पद्धतियों के पालन की सचिवालयी लेखा परीक्षा की है। सचिवालयी लेखा परीक्षा ऐसी रीति से की गई जिससे मुझे कार्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उन पर अपनी राय व्यक्त करने का आधार प्रदान किया।

कंपनी की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाएँ, फार्मों तथा दायर की गई विवरणी और कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों के वास्तविक सत्यापन और सचिवालयी लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, इसके कार्यालयों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर मैं एतद्द्वारा रिपोर्ट करता हूं कि मेरी राय में कंपनी ने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष की अवधि की लेखा परीक्षा के दौरान इसके अंतर्गत सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह भी रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन तंत्र है जो नीचे दी गई रिपोर्टिंग की सीमा, रीति के अनुसार और इसके अध्यधीन है।

मैंने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बहियों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों तथा दायर विवरणी तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच पड़ताल की है:

1. कंपनी अधिनियम, 1956 तथा उस अधिनियम के तहत बनाए गए नियम।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उस अधिनियम के तहत बनाए गए नियम लागू होने की सीमा तक।
3. कंपनी का संगम ज्ञापन तथा अंतर्नियम।
4. लोक उद्यम विभाग द्वारा मई, 2010 में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए जारी कारपोरेट सुशासन के संबंध में दिशानिर्देश।
5. लोक उद्यम विभाग द्वारा अप्रैल, 2010 में जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जारी कारपोरेट सामाजिक दायित्व के संबंध में दिशानिर्देश।
6. बोर्ड की बैठकों तथा आम बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानक।

प्रस्तुत किए गए रजिस्टरों, रिकार्डों और दस्तावेजों की जांच और सत्यापन के आधार पर तथा कंपनी द्वारा मुझे उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार मैं इस प्रकार रिपोर्ट देता हूं:

1. वित्त वर्ष के दौरान कंपनी एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनी रही है.
2. कंपनी किसी अन्य कंपनी की होल्डिंग या सहायक कंपनी नहीं रही है। यह कंपनी, वित्तीय कंपनी भी नहीं रही है.
3. कंपनी का निदेशक मंडल विधिवत गठित है। समीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों का विधिवत अनुपालन करते हुए किए गए थे.
4. 31 मार्च, 2014 के अनुसार भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच शेयर धारण का हिस्सा क्रमशः 72.08 प्रतिशत और 20.82 प्रतिशत था, संगम ज्ञापन तथा अंतर्नियम के अनुसार होल्डिंग के वास्तविक प्रतिशत से होल्डिंग के प्रतिशत में भिन्नता होना समय-समय पर संबंधित साझेदारों द्वारा इक्विटी में अंशदान के कारण है.
5. निदेशकों ने उनकी नियुक्ति की अर्हता, उनके स्वतंत्र होने, शक्तियों और प्रमुखों में रुचि और निदेशक शेयरहोल्डिंग (अंशधारण) तथा दूसरी कंपनियों में निदेशक का पद धारण करने तथा अन्य संस्थाओं में

हित के संबंध में प्रकटन की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है;

6. कंपनी द्वारा बैंक (बैंकों)/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) तथा अन्य से ऋण के रूप में ली गई राशि कंपनी द्वारा उधार ली जाने वाली राशि के भीतर थी, कंपनी ने लागू नियमों का अनुपालन करते हुए ऐसे ऋण लिए;

7. कंपनी ने सार्वजनिक जमा आमंत्रित नहीं किया है;

8. कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों के संबंध में प्रभार सृजित एवं संशोधित किए हैं;

9. कंपनी ने अपनी सभी प्रतिभूत परिसंपत्तियों का बीमा करवाया है;

10. कंपनी नियमित रूप से अपनी सभी सांविधिक देनदारियों का भुगतान करती रही है।

आगे मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि:

(क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम,1956 तथा उस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों का कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों का लागू सीमा तक तथा कंपनी के बहिर्नियम तथा अंतर्नियम का पालन किया है।

(ख) कंपनी ने लोक उद्यम विभाग द्वारा मई, 2010 में जारी केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए कारपोरेट सुशासन के संबंध में दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

(ग) कंपनी ने लोक उद्यम विभाग द्वारा मई, 2010 में जारी केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए कारपोरेट सुशासन के संबंध में दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

(घ) कंपनी ने बोर्ड की बैठकों और वार्षिक आम बैठकों के संबंध में आमतौर पर भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालयी मानकों का अनुसरण किया है।

हस्ता./–
(पी.एस.आर. मूर्ति)
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
एसीएस–5880
सी.पी. नं. 13080

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 जुलाई, 2014

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–V

टीएचडीसीआईएल व्यापार दायित्व रिपोर्ट 2013–14

खंड–क: कंपनी के बारे में सामान्य सूचनाएं

1. कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) : यू45203यूआर1988जीओआई009822
2. कंपनी का नाम : टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
3. पंजीकृत पता : टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, भागीरथी भवन, भागीरथीपुरम टॉप टेरेस, टिहरी गढ़वाल
4. वेबसाइट : www.thdc.gov.in
5. ई–मेल आईडी : cmd@thdc.gov.in
6. जिस वित्त वर्ष से रिपोर्ट संबंधित है : 2013–14
7. जिस सेक्टर/जिन सेक्टरों के साथ कंपनी जुड़ी है (औद्योगिक गतिविधि कोड वार) : विद्युत

*समूह	वर्ग	उप वर्ग	विवरण
351	3510	35101	जल विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन

* राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के वर्गीकरण के अनुसार।

8. उन तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं को सूचीबद्ध करें जिनका कंपनी विनिर्माण करती है/प्रदान करती है (तुलन–पत्र में दिए गए अनुसार)
   1. जल विद्युत
   2. अभियांत्रिकी परामर्श
9. उन स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यापारिक गतिविधियां चलाई जाती हैं
   1. अंतरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या 01 (बुनाखा एचईपी (180 मेगावाट) भूटान)
   2. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या–14

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	जिला	राज्य
प्रचालनाधीन परियोजनाएं				
1.	टिहरी बांध एवं एचपीपी	1000	टिहरी गढ़वाल	उत्तराखंड
2.	कोटेश्वर एचईपी	400	टिहरी गढ़वाल	उत्तराखंड
निर्माणाधीन परियोजनाएं				
3.	टिहरी पीएसपी	1000	टिहरी गढ़वाल	उत्तराखंड
4.	विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी	444	चमोली	उत्तराखंड
5.	कुकवां एसएचपी	24	झांसी	उत्तर प्रदेश

डीपीआर की तैयारी/सर्वेक्षण और अन्वेषण के अधीन परियोजनाएं				
6.	झेलम तमक एचईपी	108	चमोली	उत्तराखंड
7.	मलेरी झेलम एचईपी	85	चमोली	उत्तराखंड
8.	करमोली एचईपी	140	उत्तरकाशी	उत्तराखंड
9.	जडगंगा एचईपी	50	उत्तरकाशी	उत्तराखंड
10.	बोकांग बेलिंग एचईपी	330	पिथौरागढ़	उत्तराखंड
11.	गोहाना ताल एचईपी	50	चमोली	उत्तराखंड
12.	मलशेज घाट पीएसएस	700		महाराष्ट्र
13.	डुम्बर्ली पीएसएस	400		महाराष्ट्र
14.	खुर्जा एसटीपीपी	1320	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश
	कुल	6211		

इसके अतिरिक्त टीएचडीसीआईएल के निम्नलिखित कार्यालय हैं:

(i) कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश

(ii) एनसीआर कार्यालय, कौशाम्बी, गाजियाबाद

(iii) संपर्क कार्यालय, चंडीगढ़

(iv) संपर्क कार्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

(v) संपर्क कार्यालय, नैनीताल, उत्तराखंड

10. कंपनी की सेवा प्राप्त करने वाले बाजार:

टीएचडीसीआईएल निम्नलिखित लाभग्राही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बिजली उपलब्ध कराता है:

(i) उत्तराखंड

(ii) उत्तर प्रदेश

(iii) हरियाणा

(iv) पंजाब

(v) हिमाचल प्रदेश

(vi) जम्मू और कश्मीर

(vii) राजस्थान

(viii) दिल्ली

(ix) चंडीगढ़

खंड ख: कंपनी के वित्तीय ब्यौरे

1. प्रदत्त पूंजी : 3473.09 करोड़ रु.
2. कुल कारोबार (सकल आय) : 2182.40 करोड़ रु.
3. करोपरांत कुल लाभ (पीएटी) : 596.30 करोड़ रु.

4. करोपरांत लाभ के प्रतिशत के रूप में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल खर्च: सीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार 2012–13 के करोपरांत लाभ का 2 प्रतिशत।

5. उन मुख्य गतिविधियों की सूची जिनके लिए सीएसआर के संदर्भ में व्यय किया गया है:

कंपनी ने वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान मोटे तौर पर निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के संबंध में सीएसआर व्यय किया है:

क. शैक्षिक विकास

ख. आर्थिक और सामुदायिक विकास

ग. स्वास्थ्य और पशु देखभाल

घ. पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

ङ. अवसंरचना विकास

च. महिला सशक्तिकरण और बाल देखभाल

छ. आपातकालिक जरूरत/राहत उपाय

ज. अन्य समाज कल्याण गतिविधियां

खंड ग: अन्य ब्यौरे

1. क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/ कंपनियां हैं ?
नहीं

2. क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती है/लेती हैं? यदि हां तो ऐसी सहायक कंपनी/कंपनियों की संख्या का उल्लेख करें ?

लागू नहीं

3. क्या कोई अन्य इकाई/इकाइयां (अर्थात आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिनके साथ कंपनी व्यापार करती है, कंपनी के बीआर पहलों में भाग लेते हैं? यदि हां, तो ऐसी इकाई/इकाइयों के प्रतिशत का उल्लेख करें (30 प्रतिशत से कम, 30–60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत से अधिक) ?

नहीं

खंड घ: बीआर संबंधी सूचना

1. बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकगण

क) बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा:

- डीआईएन नं. – 00171820
- नाम – श्री आर.एस.टी. शाई
- पदनाम – अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

बीआर शीर्ष का ब्यौरा

1. बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक

सिद्धांत संख्या	विवरण	नीति/ नीतियां	उत्तरदायी निदेशक/ निदेशक गण
सिद्धांत 1 (पी 1)	व्यापार, नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ चलाए जाएं	• आचरण अनुशासन और अपील नियम • कामगारों के लिए स्थायी आदेश	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त)

		• कारपोरेट आचार नीति • व्यापारिक और नैतिक आचार संहिता • सचेतक नीति • सत्यनिष्ठा समझौता	
सिद्धांत 2 (पी 2)	व्यापारों द्वारा ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूरे जीवन काल के दौरान सततता में योगदान करें	सुरक्षा नीति, सीएसआर और सततता नीति	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 3 (पी 3)	व्यापार जगत द्वारा सभी कर्मचारियों के हित को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए	• मानव संसाधन (एच आर) नीति	निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 4 (पी 4)	व्यापारों द्वारा सभी पणधारियों विशेषकर वंचित, कमजोर तथा सीमांत पणधारियों के हितों का सम्मान किया जाना चाहिए तथा उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।	पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर एंड आर) नीति	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 5 (पी 5)	व्यापारों द्वारा मानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए तथा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।	विजन, मिशन और मान्यताएं	निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 6 (पी 6)	व्यापारों द्वारा पर्यावरण का सम्मान और उसका संरक्षण किया जाना चाहिए तथा पर्यावरण को बहाल करने के प्रयास करने चाहिए	पर्यावरण नीति	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 7 (पी 7)	व्यापार जब जनता और विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों तो उन्हें उत्तरदायी रीति से यह कार्य करना चाहिए।	प्रमुख मान्यताएं (कोर वैल्यू)	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त)
सिद्धांत 8 (पी 8)	व्यापार जगत द्वारा समावेशी विकास तथा समतामूलक विकास का समर्थन किया जाना चाहिए	सीएसआर और सततता नीति सीएसआर संचार रणनीति	निदेशक(तकनीकी)
सिद्धांत 9 (पी 9)	व्यापार जगत को अपने ग्राहकों व उपभोक्ताओं के साथ संलग्न होना चाहिए तथा उन्हें उत्तरदायी रूप में महत्व देना चाहिए	निदेशक (कार्मिक)	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (वित्त)

सिद्धांतवार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (उत्तर हां/नहीं में)

क्र. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या.... के लिए आपकी कोई नीति/नीतियां है	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
2.	क्या संगत पणधारियों से परामर्श करने के उपरांत नीति तैयार की गई है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
3.	क्या नीति राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
4.	(i) क्या नीति को बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
	(ii) यदि हां, तो क्या प्रबंध निदेशक/मालिक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/समुचित बोर्ड निदेशक ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं?	नहीं	नहीं			नहीं				नहीं

5.	क्या नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कंपनी में बोर्ड/निदेशक/कार्मिकों की विशिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
6.	नीति (पालिसी) को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक का उल्लेख करें*	*	*	वेब पर नहीं	*	वेब पर नहीं	*	वेब पर नहीं	*	हां
7.	क्या सभी संगत आंतरिक और बाहरी पणधारियों को नीति के बारे में औपचारिक रूप से सूचित किया जा चुका है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	
8.	क्या नीति/नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी के पास आंतरिक ढांचा है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	
9.	क्या नीति/ नीतियों से जुड़ी पणधारियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए कंपनी का नीति/नीतियों से जुड़ा कोई शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	
10.	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी से इस नीति के कार्यकरण का स्वतंत्र लेखा परीक्षा मूल्यांकन कराया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	

पर्यावरण नीति thdc.gov.in/English/Scripts/EnvironmentPolicy.aspx पर उपलब्ध है।

- पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है: thdc.gov.in/English/Scripts/EnvironmentRandH.aspx
- सीएसआर और सततता नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है : thdc.gov.in/writereaddata/English/pdf/CSR
- टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संभार रणनीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है : http://thdc.gov.in/writereaddata/english/pdf/CSR_CommoStrategy.pdf.

कारपोरेट आचार संहिता नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है: thdc.gov.in/writereaddata/english/pdf/CorporateETHICSPolicy.pdf.

सचेतक नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है:

सचेतक नीति के लागूकर्ता केवल कंपनी के कर्मचारी हैं। इसलिए सचेतक नीति केवल इंट्रानेट अर्थात कर्मचारियों के लॉगइन पर उपलब्ध है।

व्यापार आचार संहिता और नैतिक आचार संहिता निम्नलिखित पर उपलब्ध है: thdc.gov.in/writereaddata/english/pdf/BusinessConductandEthics.pdf.

अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है: thdc.gov.in/writereaddata/english/R&D_Policy-Publish.pdf.

सुरक्षा नीति निम्नलिखित पर उपलब्ध है thdc.gov.in/writereaddata/english/pdf/safetymanual.pdf.

प्रश्न. यदि किसी सिद्धांत के लिए क्र.सं. 1 का उत्तर "नहीं" है तो कृपया कारण बताएं (दो विकल्पों पर निशान लगाएं)

सिद्धांत 9: टीएचडीसीआईएल द्वारा सिद्धांत–9 के अंतर्गत चिह्नित सभी बातों का अपनी वाणिज्यिक प्रक्रिया के माध्यम से पालन किया जाता है। तथापि, टीएचडीसीआईएल महसूस करती है कि निम्नलिखित कारणों से सिद्धांत के बारे में अलग नीति की आवश्यकता नहीं है।

- टीएचडीसीआईएल बड़ी मात्रा में खरीदारी करने वाले ग्राहकों अर्थात राज्य विद्युत वितरण कंपनियों को आपूर्ति करती है। इनमें से अधिकांश कंपनियां संबंधित राज्य सरकार के स्वामित्व में होती हैं,

- विद्युत का आवंटन विद्युत मंत्रालय द्वारा निश्चित नीतियों और दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाता है।
- विद्युत प्रशुल्क (पावर टैरिफ) का निर्धारण सभी पणधारियों को शामिल कर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा किया जाता है।
- यदि कोई मुद्दा हो तो उस पर क्षेत्रीय समितियों जैसे सामान्य मंच पर चर्चा कर उसका समाधान किया जाता है जिसमें ग्राहकों के संगठन और उत्पादक सदस्य होते हैं।
- ग्राहकों की जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने के लिए उनसे (लाभार्थियों से) अलग से प्रतिपुष्टियां (फीडबैक) प्राप्त की जाती है।

3. कारोबार से संबंधित सुशासन

- जिस अंतराल पर निदेशक मंडल, बोर्ड की समितियां या मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) कंपनी के कारोबार निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं, उसका उल्लेख करें–छमाही
- क्या कंपनी कारोबार या सततता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? कितने समय के अंतराल पर इसका प्रकाशन किया जाता है?

  टीएचडीसीआईएल वर्ष 2008–09 से हर वर्ष सततता रिपोर्ट प्रकाशित करती है। टीएचडीसीआईएल की सततता रिपोर्ट निम्नलिखित पर उपलब्ध है:

1. सततता रिपोर्ट 2012–13 –thdc.gov.in/writereaddata/Sustainability Report 12-13.pdf
2. सततता रिपोर्ट 2011–12 –thdc.gov.in/writereaddata/English/pdf/Sustainability 11-12.pdf
3. सततता रिपोर्ट 2010–11 –thdc.gov.in/writereaddata/English/pdf/Sustainability 10-11.pdf
4. सततता रिपोर्ट 2009–10 –thdc.gov.in/writereaddata/English/pdf/Sustainability 09-10.pdf

खंड ङ: सिद्धांतवार निष्पादन

सिद्धांत 1

1. क्या आचार नीति, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति के दायरे में केवल कंपनी ही आती है? हां/नहीं। क्या यह समूह/संयुक्त उपक्रमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/ गैर सरकारी संगठनों पर लागू है?

   कारपोरेट सुशासन के संबंध में टीएचडीसीआईएल के दर्शन की बुनियाद निष्पक्ष, नैतिक और पारदर्शी सुशासन पद्धतियों की समृद्ध विरासत पर रखी गई है। कारपोरेट सुशासन में कंपनी के प्रबंधन, इसके बोर्ड, इसके अंशधारकों और पणधारियों के बीच संबंधों का सेट शामिल होता है।

   टीएचडीसीआईएल ने कंपनी अधिनियम/डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत कारपोरेट सुशासन की सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने का प्रयास किया है। सुशासन में कंपनी के सभी कार्मिकों की जवाबदेही शामिल होती है तथा यह निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई कंपनी की नीतियों पर आधारित होता है। इन नीतियों में उल्लिखित सिद्धांतों को दिशानिर्देशों और आचार संहिता के माध्यम से परिभाषित किया जाता है।

   आचार नीति, सचेतक नीति, कार्यपालकों और पर्यवेक्षकों के लिए आचरण, अनुशासन और अपील नियम तथा कामगारों के लिए स्थायी आदेश पहले ही प्रचलन में है जिनका उद्देश्य भ्रष्टाचार से जुड़े जोखिम को कम करना है।

   जल विद्युत क्षेत्र में परियोजनाओं के निर्माण में कार्यकलापों की प्रकृति के आधार पर बड़ी मात्रा में धनराशि शामिल होती है। टीएचडीसीआईएल द्वारा अवार्ड किए गए सभी प्रमुख कार्य अनुबंधों (1000.0 मिलियन से अधिक अनुमानित लागत) तथा आपूर्ति और सेवा कार्यों (300.00 मिलियन से अधिक अनुमानित लागत) के लिए अनिवार्य रूप में सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है ताकि प्रापण (खरीददारी) और संविदा प्रबंधन में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सके और उसे सुदृढ़ किया जा सके।

   इस प्रकार यह नीति ठेकेदारों पर भी लागू होती है।

2. पत्त वित्त वर्ष के दौरान पणधारियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा प्रबंधन द्वारा इनमें से कितने प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया गया है? यदि हां तो 50 शब्दों में उसका ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।

   पूर्ववर्ती वर्ष की कोई बकाया शिकायत नहीं है।

दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014 तक की अवधि के बीच सचेतक नीति के तहत दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं। नीति के तहत गठित की गई जांच समिति ने इस मामले को सतर्कता जांचकर्ता के पास जांच/छानबीन के लिए भेज दिया है।

सिद्धांत 2

1. **अपने 03 उत्पादों या सेवाओं की सूची उपलब्ध कराएं जिनकी डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंता जोखिम और/या अवसर उपस्थित हुए हैं।**

सभी विद्युत उत्पादन पद्धतियों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। जल विद्युत क्षेत्र में होने के कारण प्रभाव न्यूनतम है क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। कंपनी संवेदनशील अपने प्रचालनों का प्रभाव सीमित करने के लिए पर्यावरण का प्रबंधन सावधानीपूर्वक करती है।

एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में कंपनी अपनी गतिविधियों द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। पर्यावरण में उत्सर्जन में कमी लाना (विशेष रूप से ग्रीन हाउस गैसें), मृदा और जल संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपाय, जैव विविधता संरक्षण, परिवेश के साथ सुविधाओं का समेकन, ऊर्जा पर कमी लाना, पुनः प्रयोग, पुनर्चक्रण आदि ऐसे प्रयास हैं जो पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने वाले सभी पहलुओं पर लागू होते हैं।

जिन निर्माण परियोजनाओं से जैव भौतिक और मानवीय पर्यावरण प्रभावित होने की संभावना होती है उनके लिए पर्यावरण प्रभाव अध्ययन किया जाता है। तदनुसार, प्रतिपूर्ति और अनुपालन से जुड़े उपाय भी विकसित किए जाते हैं। टीएचडीसीआईएल की कार्रवाई व्यापक है, यह सुनिश्चित करने के लिए यह संगठन ठोस पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणालियों का निर्माण करता है। टिहरी एचपीपी, टिहरी पीएसपी तथा विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी नामक तीन परियोजनाओं के लिए आईएसओ 14001:2004 (ईएमएस) प्राप्त किया गया है। पर्यावरण प्रबंधन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तृतीय पक्ष मानीटरिंग भी लागू की गई है।

2. **ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए संसाधन के प्रयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा उपलब्ध कराएं। उत्पाद की प्रति इकाई (वैकल्पिक).**

i. **पिछले वर्ष की तुलना में पूरी वैल्यू चेन के दौरान स्रोत/उत्पादन/वितरण में प्राप्त की गई कमी कितनी है?**

ii. **पिछले वर्ष की तुलना में उपभोक्ताओं (ऊर्जा, जल) द्वारा प्रयोग में की गई कमी क्या है?**

जल विद्युत परियोजनाएं जल का बिना उपभोग किए बिजली उत्पादन करती हैं और यह पानी पीने और सिंचाई के प्रयोजन हेतु छोड़ दिया जाता है।

3. **क्या सतत स्रोत (परिवहन सहित) के लिए कंपनी की कोई प्रणाली है ?**

i. **यदि हां, तो आपके आदान (इनपुट)का कितना प्रतिशत दीर्घकालिक रूप से प्राप्त (स्रोत) किया गया? साथ ही लगभग 50 शब्दों में उसका ब्यौरा उपलब्ध कराएं।**

बिजली के उत्पादन के लिए प्रयुक्त नदी का पानी प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है और इस प्रक्रिया में इसकी मात्रा और गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती है।

4. **क्या कंपनी ने कार्यस्थल के आस-पास स्थित समुदाय के छोटे सहित स्थानीय और लघु उत्पादकों से माल और सेवाएं प्राप्त करने के लिए कंपनी ने कदम उठाएं हैं? यदि हां तो स्थानीय और छोटे वेंडरों की क्षमता और योग्यता बढ़ाने लिए क्या कदम उठाए गए हैं?**

माल की खरीदारी ई-टेंडर के जरिए की जाती है और इसे टीएचडीसीआईएल टेंडर विजार्ड पोर्टल अर्थात www.tenderwizard.com/THDC तथा सीपीपीपोर्टल अर्थात www.eprocure.gov.in पर प्रकाशित किया जाता है ताकि व्यापक प्रचार किया जाए। सभी टेंडर सभी वेंडरों के लिए खोले जाते हैं जिनमें स्थानीय वेंडर भी शामिल होते हैं। टेंडर स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जाते हैं ताकि उनमें अधिक से अधिक स्थानीय और लघु उत्पादक भाग ले सकें।

स्थानीय/छोटे वेंडरों/ठेकेदारों को सहभागी बनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्थानीय/छोटे वेंडरों को ई-टेंडरिंग प्रक्रिया सीखने का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटे-मोटे कार्य स्थानीय ठेकेदारों को अवार्ड किए जाते हैं। विशेषज्ञतायुक्त कार्यों में संलग्न ठेकेदारों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे स्थानीय ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को छोटे मोटे कार्य शिकमी ठेकेदार के नाते दें।

परियोजनाओं/व्यापारिक संस्थानों के लिए वाहन स्थानीय लोगों से किराये पर लिए जाते हैं।

5. क्या उत्पादों और अपशिष्ट को पुनर्चक्रण (रिसाइकिल) करने का कोई तंत्र कंपनी के पास है? यदि हां, तो उत्पादों और अपशिष्ट को पुनर्चक्रण (रिसाइकिल) करने का प्रतिशत क्या है (अलग–अलग <5 प्रतिशत, 6–10 प्रतिशत, >10 प्रतिशत) लगभग 60 शब्दों में उनका ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।

हमारे उत्पाद अर्थात बिजली की पूरी की पूरी खपत हो जाती है और इसलिए पुनर्चक्रण (रिसाइकिल) की कोई गुंजाइश नहीं है। ई–अपशिष्ट का निपटान सरकार द्वारा अनुमोदित पक्षों के माध्यम से किया जाता है।

सिद्धांत 3

1. कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं: 2083 (31.03.2014 तक की स्थिति के अनुसार)
2. कृपया अस्थायी/संविदा/ तथा आकस्मिक आधार पर मेहनताने के एवज में रखे गए कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं

कंपनी मेहनताने के एवज में अस्थायी/संविदा/नैमित्तिक आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त नहीं करती। तथापि, कंपनी के बिज़नेस मॉड्यूल में विभिन्न क्रियाकलापों जैसे निर्माण, उत्खनन, विशेषज्ञतायुक्त परामर्शी सेवाओं के लिए आउटसोर्सिंग का प्रावधान किया गया है जिससे बड़ी मात्रा में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होते हैं।

3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें 121 (दिनांक 31.03.2014 के अनुसार)
4. कृपया स्थायी विकलांग कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें 28 (दिनांक 31.03.2014 तक की स्थिति के अनुसार) (कार्यपालक–9, पर्यवेक्षक–2, कामगार–17)
5. क्या आपकी कंपनी में ऐसी कोई कर्मचारी एसोसिएशन है जिसे प्रबंधन ने मान्यता प्रदान की हो।

टीएचडीसीआईएल में निम्नलिखित कर्मचारी एसोसिएशन है जिन्हें प्रबंधन ने मान्यता प्रदान की है:

- टीएचडीसी आफीसर्स एसोसिएशन
- टीएचडीसी डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन
- टीएचडीसी सुपरवाइजर एसोसिएशन
- टीएचडीसी चालक/हेल्पर कर्मचारी यूनियन
- टीएचडीसी कामगार यूनियन
- टीएचडीसी श्रमिक संघ
- टीएचडीसी वर्कर्स यूनियन
- टीएचडीसी आईटीआई तकनीकी कर्मचारी संघ
- टिहरी जल विकास निगम लिमिटेड कर्मचारी यूनियन
- टीएचडीसी एम्पलाईज यूनियन

6. आपके कितने प्रतिशत स्थायी कर्मचारी इस मान्यताप्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्य हैं?

वर्तमान में 1736 (83.96 प्रतिशत) कर्मचारी इन एसोसिएशनों/यूनियनों के सदस्य हैं।

7. कृपया पिछले वित्त वर्ष के दौरान बाल श्रम, बेगार, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों की संख्या तथा वित्त वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या का उल्लेख करें।

क्र. सं.	श्रेणी	वित्त वर्ष के दौरान की गई शिकायतों की सं.	वित्त वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.
1.	बाल श्रम/बेगार/अनिच्छापूर्वक किया गया श्रम	शून्य	लागू नहीं
2	यौन उत्पीड़न	शून्य	लागू नहीं
3	रोजगार में भेदभाव	शून्य	लागू नहीं

2. आपके निम्नलिखित कितने प्रतिशत कर्मचारियों को गत वर्ष सुरक्षा और कौशल में सुधार संबंधी प्रशिक्षण दिया गया ?

	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या		प्रशिक्षित कर्मचारियों का प्रतिशत	
	सुरक्षा में प्रशिक्षण	कौशल स्तर में सुधार	सुरक्षा में प्रशिक्षण	कौशल स्तर में सुधार
स्थायी कर्मचारी	300	206	14.50%	9.96%
स्थायी महिला कर्मचारी	4/121	6/121	3.31%	4.96%
आकस्मिक / अस्थायी / संविदा कर्मचारी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विकलांग कर्मचारी	-	5/28	-	17.86%

सिद्धांत 4

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक तथा बाहरी पणधारियों की गणना की है?

   हां

2. क्या कंपनी ने उपर्युक्त में से वंचित, कमजोर और सीमांत पणधारियों की पहचान की है?

   हां

3. क्या वांचित, कमजोर और सीमांत पणधारियों को नियुक्त करने के लिए कोई विशेष पहल की गई है। यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।

   कंपनी, वंचित, कमजोर और सीमांत पणधारियों के उत्थान के लिए तत्पर रहती है। शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्व-सहायता समूह के गठन तथा रिवाल्विंग फंड प्रदान करने के रूप में दी गई सतत सहायता और समर्थन के कारण उनकी जीवन शैली में सुधार हुआ है। उनके लिए स्वास्थ्य जागरूकता और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए गए है।

सिद्धांत 5

1. क्या मानव अधिकार से संबंधित कंपनी की नीति के दायरे में केवल कंपनी आती है या यह समूहों / संयुक्त उपक्रमों / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / गैर सरकार संगठनों / अन्यों पर भी लागू है?

   टीएचडीसीआईएल की सभी कार्मिक नीतियां इकाइयों, कार्यालयों और परियोजनाओं में तैनात इसके सभी कर्मचारियों पर लागू होती हैं। कंपनी द्वारा एवार्ड किए गए ठेकों में मानवाधिकार से जुड़े प्रावधान शामिल होते हैं तथा विभिन्न श्रम कानूनों तथा देश के कानूनों का सख्ती से अनुपालन किया जाता है।

2. पिछले वित्त वर्ष के दौरान पणधारियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उनमें से कितने प्रतिशत शिकायतों का समाधान प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से किया गया?

   वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न की शिकायत सहित मानवाधिकार से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। लोक शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिस पर कार्रवाई की जा रही है।

सिद्धांत 6

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति के दायरे में केवल कंपनी आती है या यह समूहों / संयुक्त उद्यमों / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / गैर-सरकारी संगठनों / अन्यों पर भी लागू है।

   टीएचडीसीआईएल की पर्यावरण नीति इसके सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। ठेकों में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े खंड हैं ताकि हमारे ठेकेदार, शिकमी ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता और परामर्शदाता उनकी गतिविधियों से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने पर पर्याप्त ध्यान दे सकें।

2. क्या जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ताप (ग्लोबल वार्मिंग) आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए कंपनी ने कोई रणनीति तैयार की है / पहले की है, यदि हां, तो वेब पेज आदि के लिए हाइपर लिंक दें

हां, टीएचडीसीआईएल पर्यावरण नीति का वेब लिंक है :
http://www.thdc.gov.in/writereaddata/english/pdf/envpolicyeng.pdf

3. **क्या कंपनी पर्यावरण जोखिम से जुड़े बड़े खतरों की पहचान कर उनका मूल्यांकन करती है? हां/नहीं**

हां। परियोजना की तैयारी के स्तर पर विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आंकलन किया जाता है और पर्यावरण योजना तैयार की जाती है जिसे प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाता है।

4. **क्या कंपनी की क्लीन डेवलपमेंट मेकैनिज्म से जुड़ी कोई परियोजना है? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में उसका ब्यौरा उपलब्ध करवाएं। साथ ही यदि हां तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई है?**

वर्तमान में कंपनी की क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एक्जीक्यूटिव बोर्ड के साथ पंजीकृत कोई परियोजना नहीं है।

5. **क्या कंपनी ने क्लीन टेक्नोलॉजी, ऊर्जा कार्यकुशलता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के बारे में कुछ अन्य पहलें शुरू की हैं। हां/नहीं। यदि हां, तो वेब पेज आदि के लिए हाइपर लिंक दें।**

कंपनी जल विद्युत उत्पादन करती है जो अपने आप में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा है। तथापि, कंपनी, ऊर्जा के अन्य नवीकरणीय स्रोतों जैसे पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए भी पहल कर रही है।

6. **क्या आलोच्य वित्त वर्ष के दौरान सीपीसीबी /एसपीसीबी द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार कंपनी द्वारा किया गया उत्सर्जन/अपशिष्ट निर्धारित सीमा के भीतर है?**

हां

7. **वित्त वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त लंबित कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या (अर्थात संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं किए गए थे)**

शून्य

सिद्धांत 7

1. **क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड चैम्बर या एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां तो केवल उन प्रमुख संस्थाओं के नाम बताएं जिनके साथ आपका व्यापारिक संबंध है।**

क. आल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए)

ख. स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज (स्कोप)

2. **क्या आपने अपनी एसोसिएशन के माध्यम से लोक हित को आगे बढ़ाने या उसमें सुधार लाने का समर्थन किया है? हां/नहीं, यदि हां तो प्रमुख क्षेत्रों का विशेष उल्लेख करें (व्यापक क्षेत्र: सुशासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा सतत व्यापारिक सिद्धांत अन्य)**

जिम्मेदार केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते टीएचडीसीआईएल, देश के कानूनों, नियमों, विनियमों और सार्वजनिक नीतियों का अनुपालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। समिति अपनी नीतियां तैयार करते समय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नीतियों और दिशानिर्देशों तथा सांविधिक निर्देशों को ध्यान में रखती है।

जब कभी भी मौजूदा नीतियों और दिशानिर्देशों में समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की जाती है, प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय को मत/सुझाव दिए जाते हैं ताकि वह उन पर विचार कर सके। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तुत किए गए मत/सुझाव कंपनी या समाज के किसी वर्ग विशेष को ध्यान में रख कर न तैयार किए गए हों बल्कि समग्र जनता और संपूर्ण देश के व्यापक लाभ के लिए तैयार किए गए हों।

सिद्धांत 8

1. **क्या सिद्धांत 8 से जुड़ी नीति के बारे में कंपनी के विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/पहलें/ परियोजनाएं हैं ? यदि हां तो उसका ब्यौरा दें।**

कंपनी, भारत सरकार के नियमों और निर्देशों के अनुसार एक प्रशिक्षित और समर्पित टीम के सदस्यों के माध्यम से सीएसआर तथा सततता परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। इस टीम के अध्यक्ष महाप्रबंधक (सामाजिक और

पर्यावरण) है। कंपनी टीएचडीसीआईएल प्रचालन स्टेशनों तथा ग्राहकों की अधिकता वाले स्थानों अर्थात विशेष रूप से उत्तर भारत में अ.जा./अ.ज.जा. अ.पि.व. महिलाओं, बच्चों विकलांग व्यक्तियों और उम्रदराज लोगों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सामुदायिक विकास कर रही है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान अपने प्रचालन क्षेत्रों और व्यापारिक क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों का कार्यान्वयन करने के लिए सीएसआर नीति, 2013 तैयार की है। सीएसआर सूचना रणनीति संबंधित पणधारियों के साथ दो तरीके से लगातार संचार करती है। एक ओर तो यह सीएसआर तथा सततता परियोजनाओं/गतिविधियों का चयन करती है और दूसरी ओर यह सतत विकास के संबंध में जागरूकता बढ़ाती है।

2. **क्या कार्यक्रम/परियोजनाएं आंतरिक टीम/अपने प्रतिष्ठान/बाहरी गैर–सरकारी संगठन/सरकारी संस्था/किसी अन्य संगठन द्वारा भी लिए जाते हैं?**

कंपनी की सीएसआर परियोजनाओं को कंपनी द्वारा प्रायोजित गैर–सरकारी संगठनों, सेवा-टीएचडीसी तथा टीएचडीसी शिक्षा सोसाइटी (टीईएस) द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं जो सोसाइटी अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हैं। सीएसआर गतिविधियों के निष्पादन के लिए प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाओं तथा गैर सरकारी संगठनों को भी संलग्न किया जाता है।

3. **क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव आंकलन किया है?**

हां

4. **सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है–भारतीय रुपये में खर्च की गई राशि तथा शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?**

- सरकार के निर्देशों के अनुसार कंपनी ने वित्त वर्ष 2013–14 में सीएसआर तथा सततता बजट के लिए करोपरांत लाभ (पीएटी) का 2 प्रतिशत निर्धारित किया था जो 1082.76 लाख रु. है। सीएसआर तथा सततता बजट विभिन्न सीएसआर स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए आबंटित किया जाता है तथा इसे व्यपगत न होने वाली सीएसआर निधि के रूप में अलग रखा जाता है, कुछ सीएसआर गतिविधियां निम्नानुसार हैं:
- तीन शैक्षिक संस्थाओं अर्थात एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, के.एम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय और पीडीएफएसआर, कोटीपुरम को पारिस्थितिकीय पुनर्बहाली तथा परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और सतत आजीविका के लिए संलग्न किया गया है।
- टिहरी में अ.जा./अ.ज.जा का छात्रावास निर्मित किया गया है।
- आईआईटी, रुड़की में स्थित मूक–बधिर विद्यालय में सेवा–टीएचडीसी की शाखा का निर्माण किया गया।
- छात्रों के लिए चम्बा में आईटीआई छात्रावास का निर्माण करवाया गया।
- टीएचडीसी द्वारा निर्माण करवाया गया टिहरी स्थित इंजीनियरिंग कालेज, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जा रहा है।
- टिहरी और उत्तरकाशी में तीन होम्योपैथिक औषधालय तथा एक एलोपैथिक औषधालय की स्थापना की गई है तथा प्रतिमाह लगभग 4000 लोग इन औषधालयों से लाभ उठा रहे हैं।
- क्षेत्र में चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। लगभग 3,600 मरीजों ने इससे लाभ उठाया है।
- ऋषिकेश और टिहरी के दो स्कूलों (लगभग 800 छात्र) को सेवा–टीएचडीसी द्वारा धन प्रदान किया जाता है।

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय के लोगों ने सामुदायिक विकास से जुड़ी पहल को सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया है? कृपया लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।**

हां। कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय के लोगों ने सामुदायिक विकास से जुड़ी पहल को सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया जाता है। सामुदायिक विकास के लिए तीन शैक्षिक संस्थाओं को संलग्न किया गया है। आवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं जिससे समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ तथा राइटअप के रूप में रिकार्ड सुरक्षित किए जाते हैं। समुदाय के लोगों को नवीनतम सूचना और प्रौद्योगिकी की जानकारी देने के लिए समय–समय पर किसान गोष्ठी तथा कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सतत

आजीविका और सामुदायिक विकास ऋषिकेश में बाहरी तथा आंतरिक पणधारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तथा उन्हें समुदाय तथा सीएसआर एवं विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यकलापों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है।

सिद्धांत 9

1. वित्त वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/ग्राहक मामले लंबित पड़े हैं?

समीक्षा अवधि के दौरान कोई ग्राहक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

2. क्या कंपनी स्थानीय कानूनों द्वारा दिए गए अधिदेश के अतिरिक्त उत्पाद लेबल पर उत्पाद संबंधी सूचनाओं का प्रदर्शन करती है? हां/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणी (अतिरिक्त सूचनाएं)

टिहरी एचपीपी तथा कोटेश्वर एचईपी के प्रचालन के दौरान निम्नलिखित एहतियाती उपाय किए गए हैं

अलार्म सिस्टम: निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सावधान करने के लिए टिहरी तथा कोटेश्वर दोनों परियोजनाओं में अलार्म सिस्टम लगाया गया है जिन्हें विद्युत संयंत्र की मशीनों को शुरू करने या बाढ़ के दौरान पानी छोड़ने के लिए स्पिलवे का प्रचालन करने से पूर्व बजाया जाता है।

टिहरी में मशीनों के प्रचालन के दौरान: टर्बाइन शुरू करने से 15 मिनट पूर्व, बांध के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थापित किए गए सीआईएसएफ नियंत्रण कक्ष तथा विद्युत संयंत्र की मुख्य सुरंग के आउटलेट को सूचना दी जाती है ताकि वे लोगों को चेतावनी देने के लिए सायरन बजाएं। जब एक से अधिक टर्बाइन शुरू की जानी हों तो प्रत्येक मशीन 15–15 मिनट के अंतराल पर शुरू की जाती है।

कोटेश्वर में मशीनों के प्रचालन के दौरान: यदि चार इकाइयों में से पहली इकाई शुरू की जाती है तो इकाई शुरू की जाने से 15 मिनट पहले सायरन बजाया जाता है और उसके बाद 5–5 मिनट के अंतराल पर इसका प्रचालन दोहराया जाता है।

यदि कोई इकाई शुरू की जा चुकी हो और दूसरी इकाई शुरू की जाती है तो इसके शुरू होने से 5 मिनट पूर्व सायरन एक बार बजाया जाता है। जब एक से अधिक मशीनें शुरू की जानी हों तो प्रत्येक दूसरी मशीन 15 मिनट के अंतराल पर शुरू की जाती है।

टिहरी में स्पिलवेज के प्रचालन के दौरान: स्पिलवेज का प्रचालन शुरू करने से पूर्व नदी के आस–पास स्थित निचले हिस्सों में रहने वाले लोगों को चेतावनी देने के लिए सायरन बजाया जाता है। जब कभी स्पिलवेज के जरिए पानी छोड़ने की आवश्यकता महसूस होती है तो बांध के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को जागरूक बनाने तथा उन्हें चेतावनी देने के लिए घोषणा की जाती है।

कोटेश्वर में स्पिलवेज के प्रचालन के दौरान: स्पिलवेज रेडियल गेटों के प्रचालन से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाता है कि लगातार एक मिनट तक सायरन बजाया जाए तथा 5–5 मिनट के अंतराल पर तीन बार दोहराया जाए। जब कभी स्पिलवेज के जरिए पानी छोड़ने की आवश्यकता महसूस होती है तो बांध के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को चेताने तथा उन्हें चेतावनी देने के लिए घोषणा की जाती है।

नोट: स्पिलवेज का प्रचालन करते समय पानी छोड़ने में हर प्रकार की सावधानी बरती जाती है। स्पिलवे गेट धीरे–धीरे, बारी–बारी से खोले जाते हैं और एक बार में लगभग 100 मि.मी. का एक ही गेट खोला जाता है ताकि निचले क्षेत्रों में कोई अप्रिय घटना न घटे।

3. क्या किसी पणधारी द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी के विरुद्ध अनुचित व्यापारिक परिपाटी, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापन और या प्रतिस्पर्धी व्यवहार के लिए कोई मामला दायर किया गया है तथा ऐसा मामला वित्त वर्ष के अंत में लंबित है। यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में उसका ब्यौरा उपलब्ध करवाएं।

नहीं

4. क्या आपकी कंपनी किसी प्रकार का ग्राहक सर्वेक्षण/ग्राहक संतुष्टि का रुझान देखती है।

हां, फीडबैक सर्वेक्षण के रूप में ग्राहक सर्वेक्षण किए जाते हैं। प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण किया जा रहा है ताकि ग्राहकों की अपेक्षाएं पूरी की जा सकें।

वर्ष 2013-14 के
वार्षिक लेखे

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 2013–14

1. सामान्य

संलग्न वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 के सांविधिक प्रावधानों तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गये विवरणों, मानकों तथा मार्गदर्शी टिप्पणियों के अनुरूप पारंपरिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान सूचित की गई परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और व्यावहारिक आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम मूर्त रूप लेकर दिखाई देते हैं।

3. सहायता अनुदान

पूंजीगत व्यय के लिए केन्द्र/राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त सहायता अनुदान के साथ–साथ उपभोक्ता अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार से टिहरी एचईपी चरण–I के लिए परियोजना लागत के सिंचाई घटक के लिए प्राप्त अंशदान को शुरू में आरक्षित पूंजी के रूप में माना जाता है तथा बाद में उसी अनुपात में आय के रूप में समायोजित किया जाता है, जितना कि इस अंशदान/सहायता अनुदान में अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डाला गया है।

4. अचल परिसंपत्तियां

i. अमूर्त परिसंपत्तियों सहित अचल परिसंपत्तियां उनके अधिग्रहण/निर्माण लागत पर बताई गई हैं। एक से अधिक उत्पादन इकाइयों की साझा परिसंपत्तियां और प्रणालियां अभियांत्रिकी प्राक्कलनों/मूल्यांकनों के आधार पर पूंजीकृत की जाती हैं। लेकिन खासतौर से निर्माण के लिए अधिग्रहीत / निर्मित अचल परिसंपत्तियों को जिन्हें मुख्य अचल परिसंपत्ति के साथ विलय कर दिया जाएगा अथवा जो निर्माण अवधि के बाद उपयोगी नहीं रहेंगी, उनके साथ पूंजीकृत किए जाने के लिए अचल परिसंपत्तियां मुख्य मद के चालू पूंजीगत कार्य के भाग के रूप में ली जाती हैं।

ii. भूमि पर सृजित अचल परिसंपत्तियां, जो कंपनी की नहीं है, अचल परिसंपत्तियों में शामिल की जाती हैं।

iii. विशेष भू–अर्जन अधिकारी (एसएलएओ)/पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भू–भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी भूमि से बेदखल किए गये व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी व्यय को लागत के परिकलन में शामिल नहीं किया जाता। पट्टे पर मिली जमीन को भुगतान की गयी पट्टे की राशि के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

iv. उस मामले में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान करना बाकी है, लेकिन परिसंपत्तियां पूर्ण हैं और उपयोग के लिए तैयार हैं, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

5. चल रहा पूंजीगत कार्य

i. पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों हेतु क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास, नई टाउनशिप के निर्माण, वनीकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रखरखाव और

अन्य सुविधाओं पर हुए खर्चे) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्ट पूर्व शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पूंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन के शुरू हो जाने पर उसे भू–अवर्गीकृत में पूंजीकृत किया जाएगा।

ii. निक्षेप निर्माण कार्य संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

iii. आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर मिली आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

iv. ठेकों के मामले में मूल्य अंतर के लिए दावों को स्वीकार कर लिए जाने पर हिसाब में शामिल किया जाता है।

v. कारपोरेट ऑफिस के प्रशासन एवं सामान्य शिरोपरि खर्चों/सेवा केन्द्रों के व्यय को अचल परिसंपत्ति के निर्माण में डाल दिया जाता है और नियमबद्ध आधार पर भिन्नित कर इन्हें निर्माण परियोजनाओं को आवंटित कर दिया जाता है। कॉरपोरेट आफिस/सेवा केन्द्रों के प्रशासन और सामान्य शिरोपरि खर्चों सहित वर्ष के दौरान निर्माण व्यय (निवल) को चल रहे पूंजीगत कार्य में उसमें वर्षों के आधार पर जोड़ लिया जाता है और जब तक वे इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक उन्हें परिसंपत्तियों की लागत में शामिल कर लिया जाता है।

vi. परियोजना के पुनर्वास कार्यों के संबंध में निर्माण कार्य के दौरान प्रासंगिक व्यय (ईंसीसी) को अग्रेनीत कर नीति संख्या–5 (i) के अनुसार संव्यवहृत किया जाता है।

6. ऋण लागत

i. विशिष्ट अर्हं परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा निर्माण से सीधी जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

ii. सामान्यतः उधार ली गयी निधियों एवं जिन्हें अर्हता प्राप्त परिसंपत्ति लेने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है, की ऋण लागत जो, विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों से सीधे जुड़ी न हों, को उनके निर्माण के दौरान पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी ऋण लागतों को वर्ष के लिए चालू पूंजीकृत कार्य के औसत शेष के अनुसार विभाजित किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उनके व्यय होने की अवधि में खर्चों के रूप में माना जाता है।

7. विदेशी मुद्रा लेन–देन

i. विदेशी मुद्रा में किए गए सौदों का हिसाब–किताब उन दरों पर किया जाता है, जिन पर सौदा किया गया था।

ii. तुलन–पत्र की तारीख पर विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मदें उस तारीख की बन्द दर पर प्रयोग की जाती है। गैर मुद्रा मदों का हिसाब–किताब उस विदेशी मुद्रा दर पर किया जाता है जो सौदे की तारीख पर थी।

iii. 01.04.2004 से पहले किए गये लेन–देन से उत्पन्न ऋणों/जमा राशियों/अचल परिसंपत्तियों से संबंधित देय राशियों/प्रगति पर पूंजीगत कार्यों में विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/प्रगति पर पूँजीगत कार्य से समायोजित किया जाता है। तथापि 01.04.2004 को या बाद में किए गए लेन–देन से उत्पन्न विनिमय दरों को एएस–11 (संशोधित 2003) 'विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव' के अनुसार लेखाबद्ध किया जाता है।

iv. अन्य विनिमय अंतर दरों को उस अवधि के दौरान, जिनमें वे उत्पन्न होते हैं, आय एवं व्यय के द्वारा पर मान्यता दी जाती है।

8. मूल्यह्रास

i. मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के

बारे में सीईआरसी ने दर अधिसूचित नहीं किया है, उनमें मूल्यह्रास का कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दरों के अंतर्गत सीधी रेखा विधि से प्रावधान किया जाता है। विनिमय दरों में घट-बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बड़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में बढ़ोत्तरी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

ii. 1500/- रुपये तक की कम लागत वाली सामग्री जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन्हें राजस्व से वसूला जाता है।

iii. 1500/- रुपये से अधिक पर 5000/-रुपये तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

iv. परिसंपत्तियों को उपयोग के लिए तैयार होने की तिथि से प्रभारित किया जाता है।

v. लीज होल्ड जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

vi. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या पांच वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है। मशीनों के कल-पुर्जों जिनका प्रयोग अचल परिसंपत्ति के मामले में अनियमित रूप से किया जाना अपेक्षित हो, को पूंजीकृत किया गया है तथा संबंधित संयंत्र और मशीनरी की बाकी उपयोगिता अवधि के दौरान मूल्यह्रासित किया गया है।

8. भंडार तथा अतिरिक्त कल-पुर्जे

i. भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों को भारित औसत आधार या निवल वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर निर्धारित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

ii. अप्रचलित तथा अप्रयोज्य सामग्री तथा कल-पुर्जों के मूल्य में गिरावट समीक्षा के बाद निर्धारित की जाती है और उनके लिए प्रावधान किया जाता है।

10. आय तथा व्यय

आय की मान्यता

i. सर्जा बिक्री का लेखाकरण केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम प्रशुल्क के अनुसार रखा जाता है। उधा पावर स्टेशन के मामले में, जहां अंतिम टैरिफ अधिसूचित नहीं की गयी है, राजस्व की मान्यता समुचित प्राधिकरण अर्थात सीईआरसी द्वारा बनाए गये लागू विनियमों में दी गई विधि और मापदंडों के आधार पर की जाती है। राजस्व की स्वीकृति सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभारों' की अधिसूचना लंबित होने तक वसूली के लिए अपनायी गयी अनंतिम दर पर निर्भर नहीं होगी। विदेशी मुद्रा वाले ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विनिमय के प्रति वसूली/वापसी का हिसाब वर्ष-दर-वर्ष आधार पर रखा जाता है।

ii. प्रोत्साहन/हतोत्साहन राशि का हिसाब केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित लागू मानदंडों या लाभार्थियों के साथ हुए करारों के आधार पर रखा जाता है। जिन विद्युत स्टेशनों के मामले में इसे अधिसूचित/अनुमोदित नहीं किया गया है/ लाभार्थियों के साथ करार नहीं किया गया है, उनके लिए प्रोत्साहन/हतोत्साहन राशियों का हिसाब अनंतिम आधार पर रखा जाता है।

iii. सर्जा बिक्री तथा परिनिर्धारित नुकसानी/ वारंटी दावों के लिए विविध लेनदारों से वसूल किए जाने वाले अभिभार को वसूली/स्वीकृति की अनिश्चितता के कारण प्रोद्भूत नहीं माना जाता तथा इसकी बाद की आधार के सुनिश्चित होने पर इसे हिसाब में शामिल किया जाता है।

iv. परामर्शी कार्य से प्राप्त आय का हिसाब निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति / तकनीकी मूल्यांकन आधार पर या संबंधित

परानशी अनुबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाने वाली लागत के आधार पर किया जाएगा।

v. ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गये अग्रिमों पर मिले ब्याज को संबंधित चालू पूंजीगत कार्य के खाते में क्रेडिट कर संबंधित परिसंपत्ति के निर्माण पर लगी लागत में से घटा दिया जाता है।

vi. कबाड़ के मूल्य का हिसाब उसकी बिक्री के समय किया जाता है।

vii. बीमाकर्ता द्वारा सुनिश्चित वसूली के लिए बीमा दावों की प्राप्ति/स्वीकृति का हिसाब वर्ष में किया जाता है।

व्यय

viii. मरम्मत और अनुरक्षण के काम में इस्तेमाल की गई सामग्री और कल-पुर्जों की लागत मरम्मत एवं अनुरक्षण खाते को प्रभारित की जाती है।

ix. प्रत्येक मामले में 10,000/- रुपये या उससे कम की मदों के पहले दिए गये खर्च या पूर्वावधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

x. वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले हुई निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

xi. व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्चे राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

xii. पूर्ववर्ती वर्ष के लाभ का विनिर्दिष्ट प्रतिशत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अलग रख दिया जाता है ताकि निगम की सामाजिक जिम्मेदारियों, सततता विकास और अनुसंधान एवं विकास के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके।

11. कर्मचारियों के हितलाभ

i. कर्मचारियों को उपदान (ग्रैच्युटी) के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों एवं अवकाश नगदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को मोमेन्टो, मृत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार खर्च के लिए देनदारी, जैसा कि एएस-15 में परिभाषित किया गया है, का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर वर्ष के अंत में निर्धारित वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ii. कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक ट्रस्ट स्थापित किया है और इस कोष में कंपनी के अंशदान को हर साल व्यय से प्रभारित किया जाता है। निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

12. विविध व्यय

आस्थगित राजस्व व्यय को पूरी तरह से व्यय के वर्ष में प्रभारित किया जा रहा है।

13. आय पर कर

चालू अवधि के लिए आय पर लगने वाले कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आधार पर किया जाता है। आस्थगित कर को आय का हिसाब लगाने और वर्ष की कर योग्य आय जोड़ने के बीच समय में अंतर से मान्यता दी जाती है और कर की दरों और तुलन-पत्र की तारीख तक पारित किये गये कानूनों के आधार पर होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस युक्तिसंगत निश्चितता की सीमा तक मान्यता दी जाती है और अग्रेनीत किया जाता है कि भविष्य में ऐसी कर योग्य पर्याप्त आय उपलब्ध हो जाएगी जिसमें से इन आस्थगित कर संपत्तियों की वसूली संभव हो सकेगी। आस्थगित कर वसूली समायोजन खाते उस हद तक करों के रूप में होने वाले खर्चों में जोड़े/घटाए जाते हैं जिस हद तक उन्हें भविष्य में लाभार्थियों से वास्तविक अदायगी आधार पर प्रभारित किया जा सकता है।

14. नगदी प्रवाह विवरण

नगद प्रवाह विवरण लेखाकरण मानक (एएस)-3 के "नगदी प्रवाह विवरण" से संबंधित निर्धारित प्रारूप तरीके से तैयार किया जाता है।

तुलन–पत्र 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	
इक्विटी एवं देयताएं					
शेयर धारकों की निधियां					
क) शेयर पूंजी	1	3,47,309		3,44,309	
ख) प्रारक्षित निधि और अतिरिक्त राशि	2	3,85,815	7,33,124	3,32,840	6,77,149
गैर चालू देनदारियां					
क) दीर्घकालिक ऋण	3	3,07,082		3,46,624	
ख) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	4	23,302		23,364	
ग) दीर्घकालिक प्रावधान	5	22,338	3,52,722	20,305	3,90,293
चालू देनदारियां					
क) अल्पकालिक ऋण	6	63,359		1,25,512	
ख) व्यापार देयताएं	7	24		34	
ग) अन्य चालू देनदारिया	8	69,917		72,086	
घ) अल्पकालिक प्रावधान	9	16,175	1,49,475	13,031	2,13,963
योग			12,35,321		12,81,405
परिसंपत्तियां					
गैर–चालू परिसंपत्तियां					
क) अचल परिसंपत्तियां					
(i) मूर्त परिसंपत्तियां	10	8,43,416		8,79,498	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	10	74		109	
(iii) प्रगति पर पूंजीगत कार्य	11	1,11,712	9,55,202	78,519	9,58,126
ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	12		38,108		25,188
ग) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	13		57,702		59,744
घ) अन्य गैर– चालू परिसंपत्तियां	14		162		49

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	
चालू परिसंपत्तियां					
क) वस्तु सूचियां	15	3,351		2,558	
ख) प्राप्य व्यापार	16	1,72,416		2,30,701	
ग) नकदी तथा नकदी समकक्ष राशियां	17	7,742		1,509	
घ) अल्पकालिक ऋण तथा अग्रिम	18	5,537		2,745	
ङ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	19	1,171	1,90,147	685	2,38,298
योग			12,35,721		12,61,405

महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण तथा संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. वसु अहमद)
कंपनी सचिव

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते गाटिया एंड गाटिया
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(अनंत गाटिया)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 507632

दिनांक : 27.06.2014
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि का विवरण

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	20		2,06,870		1,95,614
अन्य आय	21		11,568		7,039
कुल राजस्व			2,18,438		2,02,653
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	22		18,854		19,323
वित्त लागत	23		53,027		60,510
मूल्यह्रास और परिशोधन	10		48,132		47,435
सामान्य प्रशासन और अन्य व्यय	24		15,370		15,158
प्रावधान	25		0		24
प्रशुल्क समायोजन (विनियामक देनदारी)			15,192		0
कुल व्यय			1,50,585		1,42,450
पूर्वावधि मदों और कर पूर्व लाभ			67,673		60,173
पूर्वावधि व्यय (आय)–निवल	26		1,076		422
कर पूर्व लाभ			66,597		59,751
कर व्यय	27				
वर्तमान कर					
आयकर		13,952		11,953	
संपत्ति कर		33	13,985	32	11,985
आस्थगित कर–परिसंपत्ति		(6,920)	(6,920)	(5,372)	(5,372)
वर्ष के लिए लाभ			59,532		53,138

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
प्रति इक्विटी शेयर आय					
मूल (₹)			172.88		157.86
तनूकृत (₹)			172.88		157.86

महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण तथा संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. डब्ल्यू. अहमद)
कंपनी सचिव

(श्रीधर पात्रा)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भाटिया एंड भाटिया
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(अनंत भाटिया)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 507832

दिनांक : 27.08.2014
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नगदी प्रवाह विवरण

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के हैं)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ तथा पूर्वावधि समायोजन:–		67,673		60,173
निम्नलिखित के लिए समायोजन				
मूल्यह्रास	49,028		47,622	
प्रावधान	-		24	
आस्थगित मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम	(1,619)		(5,441)	
ऋणों पर ब्याज	53,027		60,510	
पूर्वावधि समायोजन	(1,076)	99,360	(422)	1,02,493
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ		1,67,033		1,62,666
निम्नलिखित के लिए समायोजन:–				
माल सूची	(823)		(820)	
प्राप्य व्यापार	58,285		(39,804)	
अन्य परिसंपत्तियां	(586)		(185)	
ऋण और अग्रिम (वर्तमान + गैर वर्तमान)	(3,555)		(648)	
व्यापार देय और देनदारियां	1,711		835	
प्रावधान (वर्तमान + गैर वर्तमान)	5,177	60,209	(24,325)	(64,996)
प्रचालनों से प्राप्त नगदी		2,27,242		97,669
भुगतान किया गया प्रत्यक्ष कर		(13,985)		(11,985)
प्रचालनों से निवल नगदी (क)		2,13,257		85,683
ख. निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
निम्नलिखित में परिवर्तन:–				
अचल परिसंपत्तियां तथा सीडब्ल्यूआईपी	(52,661)		(35,204)	
निर्माण स्टोर	(13)		459	
पूंजी अग्रिम	2,905		(1,102)	
विविध व्यय (समायोजन की सीमा तक)	-		10	
निवेश गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह (ख)		(49,769)		(35,837)

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के हैं)

विवरण	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
ग. वित्तीय गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आवंटन सहित)	3,000		10,051	
उधारियां	(1,07,328)		(11,585)	
ऋणों पर ब्याज	(53,027)		(60,510)	
लाभांश तथा लाभांश पर कर	0		0	
वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह (ग)		(1,57,355)		(62,044)
घ. वर्ष के दौरान निवल नगदी प्रवाह (क+ख+ग)		6,133		(12,175)
ङ आरंभिक नगदी तथा नगदी समकक्ष		1,609		13,787
च. अंतिम नगदी तथा नगदी समकक्ष (घ+ङ)		7,742		1,609

टिप्पणी :

1. नगदी और नगदी समकक्ष राशियों में 60 लाख ₹ (पूर्ववर्ती वर्ष में 60 लाख ₹) का बैंक शेष शामिल है जो निगम द्वारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. पिछले वर्ष के आंकडों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहबद्ध / पुनर्व्यवस्थित / पुनः वर्गीत किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)	(श्रीधर मात्रा)	(आर. एस. टी. शाह)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भाटिया एंड भाटिया
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(अनंत भाटिया)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 507832

दिनांक : 27.08.2014
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी :– 1

शेयर पूंजी

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
प्राधिकृत					
1000/–रु. के इक्विटी शेयर		4,00,00,000	4,00,000.00	4,00,00,000	4,00,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी 1000/–रु. प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर		3,47,30,917	3,47,309	3,44,30,917	3,44,309
कुल		3,47,30,917	3,47,309	3,44,30,917	3,44,309

टिप्पणी :– 1.1

शेयरों की संख्या तथा बकाया शेयर पूंजी का समायोजन

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
प्रारंभिक		3,44,30,917	3,44,309	3,29,75,817	3,29,758
निर्गत		3,00,000	3,000	14,55,100	14,551
घटौती		0	0	0	0
अंतिम		3,47,30,917	3,47,309	3,44,30,917	3,44,309

टिप्पणी :– 1.2

कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के ब्यौरे

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारक					
I. भारत सरकार		2,53,81,517	73.06	2,50,81,517	72.80
II. उत्तर प्रदेश सरकार		93,49,400	26.93	93,49,400	27.15
कुल		3,47,30,917	100.00	3,44,30,917	100.00

टिप्पणी :- 2

आरक्षित एवं अधिशेष

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	
आरक्षित पूंजी					
उ.प्र.सरकार से सिंचाई क्षेत्र के प्रति देय अंशदान		1,44,134		1,44,134	
घटाएं:					
बकाया अंशदान		15		15	
प्राप्त अंशदान		1,44,119		1,44,119	
घटाएं:					
मूल्यह्रास में समायोजन		40,916	1,03,203	34,359	1,09,760
अन्य आरक्षित पूंजी					
विश्व बैंक से पीएचआरडी अनुदान (वीपीएचईपी परियोजना के लिए)					
आरंभिक शेष		472		472	
वर्ष के दौरान प्राप्त		0		0	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित		0	472	0	472
उप जोड़ "क"			1,03,675		1,10,232
लाभ और हानि लेखे में अधिशेष					
आरंभिक शेष		2,22,608		1,69,470	
जोड़ें: लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार वर्ष का लाभ		69,532		53,138	
विनियोजन के लिए कुल लाभ			2,92,140		2,22,608
उप जोड़ "ख"			2,92,140		2,22,608
उप जोड़–"ग" (क+ख)			3,95,815		3,32,840
विविध व्यय (बट्टे खाते न डाले गए या समायोजित न किए गए की सीमा तक)					
आरंभिक शेष		0		10	
वर्ष के दौरान वृद्धि		0		0	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित		0	0	(10)	0
उप जोड़ "घ"			0		0
कुल (ग–घ)			3,95,815		3,32,840

2.1 कंपनी ने वित्त वर्ष 2013–14 और 2012–13 के किसी लाभांश का प्रस्ताव/घोषणा नहीं की है और न ही भुगतान किया है।

टिप्पणी :– 3

दीर्घकालिक ऋण

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	
क. प्रतिभूत					
मावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी) –78302001 (टिहरी एचपीपी के लिए)*					
(15 जुलाई, 2005 से 15 अप्रैल, 2015 तक 10 वर्षों में तिमाही किस्तों में प्रतिदेय, जिस पर 9.75 प्रतिशत से 10.75 प्रतिशत के बीच फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है।)			3,015		15,075
मावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी) –78302003 (टिहरी एचपीपी के लिए)*					
(15 अक्तूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक 15 वर्षों में तिमाही किस्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 12.75 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है)			76,736		85,764
मावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (पीएफसी)–78302002 (केएचईपी के लिए)#					
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्तूबर, 2021 तक 10 वर्षों में तिमाही किस्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 12.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है)			75,975		90,675
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी) (केएचईपी के लिए)# (यूए– जीई–पीएसयू–033 –2010– 3754)					
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 10 वर्षों में तिमाही किस्तों में प्रतिदेय 10.75 से 12.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			50,804		57,611
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी)–330001 (टिहरी एचपीपी के लिए)*					
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक 15 वर्षों में तिमाही किस्तों में प्रतिदेय फ्लोटिंग ब्याज दर 11.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के बीच)			71,221		83,007

राशि लाख रु में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	
स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआई)– 32677062247 (टिहरी पीएसपी के लिए)##					
स्टेट बैंक आफ इंडिया (अगस्त 2016 से मई 2028 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय) वर्तमान में फ्लोटिंग ब्याज दर @ आधार दर +1.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष अर्थात 11.2 प्रतिशत)			17,000		15,500
कुल (क)			2,97,751		3,45,732
ख. अप्रतिभूत					
विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा)					
विश्व बैंक ऋण–8078–आईएन (बीपीएचईपी के लिए)$					
(15 नवम्बर, 2017 से 15 मई, 2040 तक 23 वर्षों छमाही किश्तों में प्रतिदेय ब्याज दर @ एलआईबी ओआर+भिन्नता विस्तार प्रतिवर्ष अर्थात 0.63 प्रतिशत)			9,331		802
कुल (ख)			9,331		802
कुल (क+ख)			3,07,082		3,46,534

* टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियों अर्थात बांध, पावर हाउस सिविल निर्माण, अन्य ऋणों में शामिल न किए गए पावर हाउस इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल उपस्करों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण, अन्य उधारियों के अंतर्गत नहीं आते हैं टिहरी बांध एवं एचपीपी की परियोजना टाउनशिप पर सभी अधिकारों के साथ उससे संबंध रखती है।

\# कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण।

\#\# टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण।

$ संबंधित ऋण रीकिंग समरूप के तहत वित्त पोषित उपस्करों पर नकारात्मक लिएन सहित ।

इसमें वर्ष के दौरान किसी ऋण या उस पर ब्याज चुकाने में कोई चूक नहीं हुई है।

टिप्पणी :– 4

अन्य दीर्घकालिक देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के बाबत आस्थगित राजस्व					
पिछले तुलन पत्र के अनुसार		22,890		28,331	
जोड़ें: वर्ष के दौरान आस्थगित राजस्व		0		0	
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजित		1,619	21,271	5,441	22,890
देनदारियां					
पूंजी व्यय के लिए		8		15	
सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिए		0		0	
अन्यों के लिए		4	12	1	16
ठेकेदारों आदि से जमा, प्रतिधारण राशि आदि		2,019		455	
अन्य देनदारियां		0	2,019	3	458
कुल			23,302		23,364

4.1 मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी) के तहत दिखाई गई राशि टैरिफ अवधि 2004–09 के दौरान एकत्रित कर ली गई है। सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2009–2014 में एएडी का प्रावधान वापस ले लिया गया है। तदनुसार परवर्ती वर्षों में एएडी के लिए उपयुक्त समायोजन किया जाएगा।

टिप्पणी :– 5

दीर्घकालिक प्रावधान

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित हैं)

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष लिए			31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
			वृद्धि	समायोजन	प्रयोग	
I. कर्मचारियों से संबंधित		20,078	5,624	(3,158)	(454)	22,090
II. अन्य		227	21	0	0	248
कुल		20,305	5,645	(3,158)	(454)	22,338
पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े		18,532	4,456	(2,351)	(332)	20,305

कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में एएस–15 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 29.15 में कर दिया गया है।

टिप्पणी :– 6

अल्पकालिक उधारियां

राशि लाख रु में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	
बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालिक ऋण					
क. प्रतिभूत ऋण :					
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (फ्लोटिंग ब्याज दर 13 प्रतिशत की दर से)			0		2,500
बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)* पंजाब नेशनल बैंक (फ्लोटिंग ब्याज दर @आधार दर + 0.25 प्रतिशत प्रति वर्ष अर्थात 10.5 प्रतिशत)			63,359		71,312
कुल (क)			63,359		73,812
ख. अप्रतिभूत ऋण:					
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमि. (12.75 प्रतिवर्ष फ्लोटिंग ब्याज दर)			0		25,000
केनरा बैंक (फ्लोटिंग ब्याज दर @आधार दर प्रति वर्ष अर्थात 10.25 प्रतिशत)			0		30,000
कुल (ख)			0		55,000
कुल (क+ख)			63,359		1,28,812

* कंपनी की परिसंपत्तियों के ब्लॉक पर द्वितीय प्रभार के 63359 लाख रु. का ओडी सुरक्षित है।
वर्ष के दौरान किसी भी ऋण या उसके ब्याज को चुकाने में कोई चूक नहीं हुई है। इन अल्पकालिक ऋणों को एक वर्ष के भीतर चुकाना है।

टिप्पणी :– 7

व्यापार देय

राशि लाख रु में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	
व्यापार देय–एमएसएमईडी			0		0
व्यापार देय–एमएसएमईडी से इतर			24		34
कुल			24		34

टिप्पणी :– 8

अन्य वर्तमान देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार	
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता क. प्रतिभूत* (भारतीय मुद्रा में ऋण)			52,490		52,480
कुल (क)			52,480		52,480
ख. अप्रतिभूत** भारतीय मुद्रा में ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटी शुदा)			0		2,333
कुल (ख)			0		2,333
कुल (क+ख)			52,480		54,813
देनदारियां					
पूंजीगत व्यय के लिए		5,598		6,377	
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए		0		0	
अन्य के लिए		934	6,532	1,147	7,524
ठेकेदारों आदि से जमा प्रतिधारण राशि अन्य देनदारियां		2,671 2,987	5,658	2,496 1,107	3,603
ब्याज उपार्जित पर देय नहीं					
वित्तीय संस्थाएं		5,047		6,146	
अन्य देनदारियां		0	5,047	0	6,146
कुल			17,437		17,273
कुल देनदारियां			69,917		72,086

*ऊपर दिए गए प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की ब्याज दर एवं वर्तमान परिपक्वता को चुकाने की शर्तों के संबंध में ब्यौरे टिप्पणी–3 में दिए गए हैं।

**संबंधित ऋण रैकिंग समरूप के अंतर्गत वित्त पोषित उपस्करों पर नकारात्मक लिएन सहित ।

टिप्पणी :– 9

अल्पकालिक प्रावधान

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित हैं)

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष लिए			31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
			वृद्धि	समायोजन	प्रयोग	
I. निर्माण कार्य		1,256	296	(103)	(155)	1,294
II. कर्मचारियों से संबंधित		10,009	8,851	(4,301)	(1,287)	13,372
III. अन्य		1,766	5,853	(22)	(6,068)	1,509
कुल		13,031	15,100	(4,426)	(7,530)	16,175
पिछले वर्ष के आंकड़े		39,130	15,174	(13,483)	(27,810)	13,031

कर्मचारियों के हित लाभ के संबंध में एएस–15 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 29.16 में कर दिया गया है।

टिप्पणी :– 19

अचल परिसंपत्तियां

राशि लाख रु में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2013 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री /समायोजन	31 मार्च 2014 के अनुसार	1 अप्रैल, 2013 के अनुसार	1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च 2014 की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री /समायोजन	31 मार्च, 2014 के अनुसार	31 मार्च, 2014 के अनुसार	31 मार्च, 2013 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियां										
लीज होल्ड परिसंपत्तियां										
1. लीज होल्ड भूमि	543	348	-	891	36	12	-	48	843	509
अन्य परिसंपत्तियां										
2. फ्री होल्ड भूमि	3,453	300	-	3,753	-	-	-	-	3,753	3,453
3. आवंटित भूमि	1,43,842	5,030	(3)	1,48,869	26,741	4,952	16	31,718	1,17,177	1,17,101
4. भवन	72,094	883	3,837	76,714	6,220	2,803	998	9,085	67,629	65,874
5. अस्थायी भवन आदि	966	3	(3)	966	621	-	-	966	-	-
6. सड़क, पुल तथा पुलिया	9,873	3,185	(1)	13,057	946	366	5	1,317	11,680	8,926
7. जल निकासी, मल निकासी व्यवस्था तथा जलापूर्ति	1,350	30	-	1,380	279	69	-	348	1,032	1,071
8. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	1,819	226	-	2,045	1,071	47	-	1,118	927	748
9. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	2,32,462	438	(1,930)	2,30,970	40,521	18,539	(139)	61,321	1,69,379	1,82,941
10. ई.डी.पी. मशीनें	1,253	35	(11)	1,307	881	116	(6)	931	376	462
11. विद्युत संस्थापनाएं	816	43	-	859	156	52	-	207	652	660
12. परिवहन वाहन	1,815	57	-	1,872	443	98	-	541	1,331	1,372
13. कार्यालय तथा अन्य उपकरण	3,762	259	(5)	4,016	1,167	243	(1)	1,409	2,606	2,595
14. फर्नीचर तथा फिक्सचर	1,532	214	(3)	1,743	457	108	(1)	536	1,206	1,062
15. वाहन	1,096	88	(15)	1,168	481	84	(19)	543	625	597
16. रेलवे साइडिंग	128	-	-	128	20	4	-	24	96	108
17. हाइड्रोलिक कार्य– बांध एवं स्पिलवे	5,03,226	16	7,002	5,10,226	1,13,280	26,904	740	1,40,924	3,69,302	3,89,959
18. हाइड्रोलिक कार्य– टनल, पेनस्टॉक, कैनाल्स इत्यादि	1,37,456	-	348	1,37,804	35,411	7,276	39	42,726	95,078	1,02,045
19 निवल बही मूल्य या निवल वसूलनीय मूल्य, जो कम हो, में धारणीय/अप्रचलित आस्तियां	55	-	(32)	23	-	-	-	-	23	55
20. ऐसी आस्तियों पर पूंजीगत व्यय, जो कम्पनी के स्वामित्व में नहीं है।	2,815	-	(2,815)	-	2,412	40	(2,452)	-	-	403
कुल योग	11,19,949	10,980	6,656	11,37,586	2,40,442	55,248	(1,576)	2,94,113	8,43,416	8,79,498
पिछले वर्ष के आंकड़े	11,06,869	14,079	(906)	11,19,949	1,96,879	34,843	216	2,40,442	8,79,498	9,20,991
अमूर्त परिसंपत्तियां										
1. अमूर्त परिसंपत्तियां सॉफ्टवेयर	337	-	-	337	228	35	-	263	74	109
कुल योग	337	-	-	337	228	35	-	263	74	109
पिछले वर्ष के आंकड़े	325	12	-	337	186	42	-	228	109	139
मूल्य ह्रास का ब्यौरा					Current Year		Previous Year			
ई.डी.सी. को हस्तांतरित मूल्यह्रास					602		491			
लाभ हानि लेखा को हस्तांतरित मूल्यह्रास					46,125		47,635			
उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई घटक–आवंटित पूंजी में मूल्यह्रास समायोजन					8,507	55,851	6,794	54,680		
वर्ष के दौरान रु.1000.00 से अधिक परंतु रु. 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उनका मूल्यह्रास किया गया					18		19			

19.1 कोटेश्वर जलविद्युत परियोजना (400 मेगावाट) के लिए [illegible] 14.37 एकड़ भूमि [illegible] किया गया है।

टिप्पणी :– 11

पूंजीगत कार्य प्रगति पर

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष लिए				
		01 अप्रैल, 13 की स्थिति अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकरण	31 मार्च, 2014 की स्थिति अनुसार
निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		4,563	2,229	(23)	(2,133)	4,636
सड़क, पुल तथा पुलिया		3,089	926	-	(3,091)	924
जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		35	9	-	-	44
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी		8,673	16,650	-	(468)	24,855
जलीय कार्य, बांध, स्पिलवे, जल मार्ग, वियर्स, सर्विस द्वार अन्य जलीय कार्य		47,070	16,689	(3)	-	63,756
जलागम क्षेत्र वनीकरण		8	173	-	-	181
विद्युत संस्थापना तथा उपकेन्द्र उपकरण		1,264	1,055	(2)	(57)	2,260
ऐसी परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय जो कम्पनी के स्वामित्व में नहीं है।		-	-	-	-	-
अन्य		402	-	-	(19)	383
आबंटन होने तक व्यय						
सर्वेक्षण तथा विकास खर्च		9,816	179	-	-	10,005
विनिमय भिन्नता		-	-	-	-	-
ब्याज लंबित आबंटन	23	-	-	-	-	-
निर्माण के दौरान व्यय	11.1	977	1,833	(977)		1,833
पुनर्वास पुनर्वास व्यय (सांकेतिक लागत तथा किराए की नियत वसूलियां)		2,522	706	-	(283)	2,945
योग		78,519	40,249	(1,005)	(6,051)	1,11,712
पिछले वर्ष के आंकड़े		57,051	25,473	(2,216)	(1,817)	78,519

टिप्पणी :– 11.1

निर्माण के दौरान व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
व्यय					
कर्मचारियों के लाभ पर होने वाला व्यय	22				
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		9,531		7,794	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		643		486	
पेंशन निधि		515		385	
उपदान		527		520	
कल्याण		113	11,329	124	9,319
अन्य व्यय	24				
किराया					
कार्यालय हेतु किराया		91		75	
कर्मचारी आवास हेतु किराया		365	456	343	418
दर एवं कर			6		4
विद्युत एवं ईंधन			360		419
बीमा			8		5
संभार			129		98
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
भवन		141		92	
अन्य		178	320	146	238
यात्रा एवं वाहन			374		350
वाहन भाड़े पर लेना एवं चलाना			198		157
सुरक्षा			192		133
प्रचार तथा जनसंपर्क			51		64
अन्य सामान्य व्यय			1,719		535
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			5		3
बट्टे खाते में डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय			0		1
मूल्यह्रास	10		602		491
कुल व्यय (क)			15,749		12,235
प्राप्तियां					
अन्य आय	21				
ब्याज					
बैंक जमा से		5		10	
कर्मचारियों से		101		71	
अन्य से		4	110	3	84

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
मशीन किराया प्रभार			1		0
किराया प्राप्तियां			64		77
विविध प्राप्तियां			37		143
प्रावधान की गई अधिक राशि को हटाना			121		160
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			0		1
कुल प्राप्तियां (ख)			333		485
पूर्वावधि समायोजन	26		33		4
कराधान से पूर्व निवल व्यय			15,449		11,774
कराधान के लिए प्रावधान	27				
सम्पत्ति कर		9	9	6	6
कराधान सहित निवल व्यय			15,458		11,780
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष			977		1,159
कुल ईडीसी			16,435		12,939
घटाएं :					
सीडब्लूआईपी को आवंटित ईडीसी/परिसम्पत्ति		14,229		11,199	
अनुमोदनाधीन परियोजना की ईडीसी जो लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित है।		573	14,802	763	11,962
सीडब्लूआईपी को अग्रेषित शेष			1,633		977

टिप्पणी :– 12

आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2014 के अनुसार		31 मार्च, 2013 के अनुसार	
आस्थगित कर देयता		(2,975)		(2,975)	
आस्थगित कर परिसंपत्ति		41,396	38,421	34,476	31,501
आस्थगित कर समायोजन			(6,313)		(6,313)
कुल			32,108		25,188

टिप्पणी :– 13

दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2014 के अनुसार		31 मार्च, 2013 के अनुसार	
पूंजीगत अग्रिम					
अप्रतिभूत					
i) बैंक गारंटी के बाबत		12,430		4,208	
ii) पुनर्वास और पुनर्स्थापन (उत्तराखंड सरकार/एसएलएओ)		8,054		10,757	
iii) अन्य		23,173		23,154	
iv) अग्रिमों पर उपार्जित ब्याज		2	43,659	5,445	46,564
उप जोड़–पूंजीगत अग्रिम			43,659		46,564
कर्मचारियों को ऋण					
प्रतिभूत		2,313		2,670	
अप्रतिभूत		1,542	3,855	812	3,482
कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूत		2,055		1,988	
अप्रतिभूत		172	2,227	59	2,047
निदेशकों को ऋण					
प्रतिभूत		2		0	
अप्रतिभूत		0	2	0	0
निदेशकों को दिए गए ब्याज पर उपार्जित ऋण					
प्रतिभूत		3		4	
अप्रतिभूत		0	3	0	4
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत) (नकद या वस्तु रूप में या निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य में वसूलनीय अग्रिम)					
कर्मचारियों को		212		182	
खरीददारों को		0		1	
अन्यों को		7,161	7,373	6,982	7,165
जमा					
प्रतिभूति जमा		191		190	
सरकार/न्यायालय के पास जमा		391		300	
अन्य जमा		1	583	1	491
उप–जोड़			14,043		13,189
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			0		9
उप जोड़– अग्रिम			14,043		13,180
कुल ऋण और अग्रिम			57,702		59,744
नोट: निदेशकों द्वारा देय					
मूल			2		0
ब्याज			3		4
योग			5		4
अधिकारियों द्वारा देय					
मूल			4		1
ब्याज			5		5
योग			9		6

टिप्पणी :– 14

अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2014 के अनुसार		31 मार्च, 2013 के अनुसार	
निर्माण भंडार (भारित औसत मूल्य आधार पर या निवल वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर)					
अन्य सिविल और भवन निर्माण सामग्री		2		0	
अन्य		17		6	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0	19	0	6
उप जोड़			19		6
पूर्व प्रदत्त व्यय		143		43	
आज उपार्जित है पर देय नहीं है		0	143	0	43
उप जोड़			143		43
योग			162		49

टिप्पणी :– 15

वस्तु सूचियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2014 के अनुसार		31 मार्च, 2013 के अनुसार	
वस्तु सूचियां (भारित औसत आधार पर या निवल वसूलनीय मूल्य जो भी कम हो)					
अन्य सिविल एवं भवन निर्माण सामग्री		185		176	
अन्य (भंडारण और कल पुर्जों सहित)		3,492		2,653	
मार्गस्थ सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		8		0	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		6	3,691	41	2,870
घटाएं : अन्य संकरणों के लिए प्रावधान			310		312
योग			3,381		2,558

टिप्पणी :– 16

व्यापार प्राप्य

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2014 के अनुसार		31 मार्च, 2013 के अनुसार	
छः माह से अधिक बकाया ऋण					
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		1,03,285		1,09,890	
संदिग्ध समझे गए		0	1,03,285	0	1,09,890
अन्य ऋण					
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		69,131		1,20,711	
संदिग्ध समझे गए		0	69,131	0	1,20,711
कुल			1,72,416		2,30,701

16.1 व्यापार प्राप्य में ₹ 108082 लाख (पूर्व वर्ष ₹ 112272 लाख) का विनियामक आस्थगित परिसंपत्ति शामिल है।

टिप्पणी :– 17

नगदी एवं बैंक शेष

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2014 के अनुसार		31 मार्च, 2013 के अनुसार	
नगदी एवं नगदी समतुल्य					
बैंकों में शेष (बैंकों में आदेश–स्वीप, फ्लैक्सी किस्म की जमाराशियाँ सहित)			7,690		1,556
हस्तगत नकदी			2		3
अन्य बैंकों के पास शेष					
अन्य (लिएन के तहत बैंकों में शेष जो कंपनी द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए उपलब्ध नहीं है)			50		50
योग			7,742		1,609

टिप्पणी :– 18

अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2014 के अनुसार		31 मार्च, 2013 के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
प्रतिभूत		620		553	
अप्रतिभूत		155	788	58	611
कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूत		129		86	
अप्रतिभूत		2	131	1	87
निदेशकों को ऋण					
प्रतिभूत		3		0	
अप्रतिभूत		0	3	0	0
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
प्रतिभूत		1		1	
अप्रतिभूत		0	1	0	1
अन्य					
अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए		0	0	16	16
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नगद या वस्तु रूप में या वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)					
कर्मचारियों के लिए		351		275	
सप्लीदारों के लिए		404		344	
अन्य के लिए		967	1,722	388	1,021
जमा राशियां					
प्रतिभूति जमा		145		79	
जमा किया गया कर		2,446		720	
सरकार/न्यायालय में जमा राशियां		209		210	
अन्य जमा राशियां		0	2,800	0	1,009
उप जोड़			5,445		2,745
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			8		0
कुल अग्रिम			5,437		2,745
कुल ऋण और अग्रिम			5,437		2,745
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन			3		0
ब्याज			1		1
कुल			4		1
टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन			2		1
ब्याज			0		0
योग			2		1

टिप्पणी :– 19

अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2014 के अनुसार		31 मार्च, 2013 के अनुसार	
पूर्व प्रदत्त व्यय			1,168		654
उपार्जित ब्याज			3		1
योग			1,171		655

टिप्पणी :- 20

प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
विद्युत बिक्री		3,02,077		1,87,741	
जोड़ें:					
मुल्यह्रास के बाबत अग्रिम		1,819		8,441	
घटाएं :					
मुल्यह्रास के प्रति अग्रिम–वापसअनित		0	3,03,896	0	1,96,182
लाभार्थियों से एफईआरवी वसूली			934		576
यूआई/संतुलन प्रभार			1,359		1,770
परामर्श से आय			481		86
योग			3,06,670		1,98,614

20.1 कंपनी ने टिहरी एचईपी 2009–14 के लिए माननीय सीईआरसी के समक्ष टैरिफ याचिका दायर की है। अंतिम टैरिफ निर्धारण लंबित होने के कारण टैरिफ राजस्व निर्धारण 2009–14 की अवधि के लिए लागू टैरिफ विनियम, 2009 के अनुसार निर्धारित अनंतिम एएफसी के आधार पर बिक्री राजस्व का निर्धारण किया गया है।

माननीय सीईआरसी ने 16.4.2013 के आदेश द्वारा टिहरी एचईपी के लिए 2008–09 की अवधि का अंतिम टैरिफ आदेश जारी किया है। कंपनी ने विभिन्न मुद्दों पर संशोधन की अपेक्षा से पुनर्विचार याचिका दायर की। सीईआरसी ने अपने दिनांक 07.01.2014 के आदेश द्वारा टैरिफ याचिका का निपटान कर दिया है और कंपनी के कुछ विवादों का समाधान कर दिया है।

व्यथित होकर कंपनी ने एपीटीईएल के समक्ष अपील दायर की है। समीक्षा आदेश में अनुमति दी गई 3578 लाख रु. की राशि के प्रभाव को 1819 लाख रु. की एएडी पर विचार कर बिक्री राजस्व के रूप में लेखांकित किया गया है।

20.2 कंपनी ने वर्ष 2011–14 की अवधि के लिए कोटेश्वर एचईपी के टैरिफ निर्धारण के लिए सीईआरसी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है। कंपनी ने पहली उत्पादन इकाई की सीओडी सहित पूंजी लागत के रूप में सामान्य सुविधाओं की लागत का दावा किया था। सीईआरसी 2011–14 की अवधि के लिए अनंतिम टैरिफ की अनुमति देते हुए कोटेश्वर एचईपी के लिए 16.06.2014 (तुलन पत्र की तारीख के बाद) को टैरिफ आदेश जारी किया था।

सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2009 के अनुसार निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए विधिवत लेखापरीक्षित और प्रमाणित दायर किए जाने वाले फार्मों सहित टैरिफ याचिका को दिनांक 30.03.2012 को माननीय सीईआरसी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। परियोजना का वाणिज्यिक प्रचालन शुरू हो जाने पर टैरिफ फार्मों में संशोधन कर सांविधिक लेखा परीक्षकों से विधिवत प्रमाणित करवा कर दिनांक 02.02.2013 को सीईआरसी के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे।

उक्त आदेश में उपयोगिता लागत चारों उत्पादन इकाइयों में बराबर–बराबर विभाजित कर दिया गया है जिन्होंने 2011–14 अवधि के लिए 22700 लाख रु. टैरिफ कम कर दिया है जिसे लेखांकित कर दिया है।

कम्पनी ने 18192 लाख रु. अर्थात 2011–14 की अवधि के दौरान परस्पर सहमत लाभग्राहियों से एकत्रित राशि तथा पूर्वोक्त आदेश में सीईआरसी द्वारा अनुमति दी गई राशि के अंतर को विनियामक देनदारी बना दिया है। उक्त विनियामक देनदारी फुटकर देनदारों के लिए समायोजित कर दी गई है।

टिप्पणी :– 21

अन्य आय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
ब्याज					
बैंक जमाराशि पर (इसमें टीडीएस 30559.00 रु. शामिल है, (पिछले वर्ष 27783.00 रु.)		26		48	
कर्मचारियों से		348		307	
अन्य		889	1,263	4,366	4,721
मशीन किराए पर लेने पर प्रभार			1		9
किराया प्राप्तियां			124		165
विविध प्राप्तियां			355		303
प्रावधान की गई अधिक राशि का पुनर्आंकन			276		630
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			35		55
विलम्ब भुगतान अधिभार			9,846		1,621
योग			11,901		7,504
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		333		465
योग			11,568		7,039

टिप्पणी :– 22

कर्मचारी प्रसुविधाएं व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ			24,777		23,559
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान			1,897		1,429
पेंशन निधि			1,397		1,061
उपदान			1,934		1,607
कल्याण व्यय			378		703
योग			30,183		28,648
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	11.1		11,329		9,319
योग			18,854		19,329

टिप्पणी :– 23

वित्तीय लागत

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
वित्त लागत					
ऋणों पर ब्याज			54,520		62,214
योग			54,520		62,214
घटाएं :					
अंतरित तथा सीडब्लूआईपी लेखा के साथ पूंजीकृत	11.1		1,483		1,704
योग			53,037		60,510

टिप्पणी :– 24

उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
किराया					
कार्यालय किराया		143		133	
कर्मचारी आवास किराया		724	867	710	843
दर एवं कर			175		106
विद्युत एवं ईंधन			1,379		1,507
बीमा			1,298		1,113
संचार			345		325
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		1,367		1,383	
भंडार एवं कल पुर्जों की खपत		617		549	
भवन		680		1,001	
अन्य		1,440	4,104	1,664	4,597
यात्रा एवं वाहन			886		888
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			889		1,019
सुरक्षा			2,101		1,885
प्रचार तथा जनसंपर्क			179		208
अन्य सामान्य व्यय			4,788		1,766
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			17		195
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण खर्चे			576		806
अनुसंधान और विकास			241		397
परामर्शी परियोजना/अनुबंधों पर व्यय			35		51
बट्टे खाते में डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय			0		10
निगम की सीएसआर एवं एसडी गतिविधियों पर व्यय			1,063		1,726
ग्राहकों को छूट			252		173
योग			19,188		17,613
घटाएं :–					
ईडीसी को अंतरित	11.1		3,818		2,455
योग			15,370		15,158

टिप्पणी :– 25

प्रावधान

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
असाध्य ऋणों, ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान			0		0
भण्डारों तथा कल–पुर्जों के लिए प्रावधान			0		24
योग			0		24
घटाएं :–					
ईडीसी को अंतरित	11.1		0		0
योग			0		24

टिप्पणी :– 26

पूर्वावधि आय/व्यय–(शुद्ध)

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
विविध प्राप्ति		1	1	0	0
व्यय					
कार्मिक व्यय		6		1	
मरम्मत एवं अनुरक्षण		178		0	
अन्य सामान्य व्यय		1		0	
मूल्यह्रास		911		384	
विज्ञापन और प्रचार		5		0	
विविध – अन्य		9	1,110	41	426
उप–जोड़			1,109		426
घटाएं :–					
ईडीसी को अंतरित	11.1		33		4
योग			1,076		422

टिप्पणी :– 27

कराधान के लिए प्रावधान

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए	
आयकर					
चालू वर्ष			13,952		11,953
उप जोड़			13,952		11,953
कुल			13,952		11,953
संपत्ति कर					
चालू वर्ष			42		38
उप जोड़			42		38
घटाएं :–					
ईडीसी को अंतरित	11.1		9		6
योग			33		32

29. आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों का अनुपालन निम्नानुसार किया गया है :

एएस सं.	नामावली	विवरण
एएस 1	लेखांकन नीतियों का प्रकटन	• वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुतीकरण में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, वित्तीय विवरणों में दी गई हैं। • वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी के स्वामित्व में न आने वाले व्यय नीति और कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा सतत विकास के संबंध में लेखांकन नीतियों में परिवर्तन कर दिया है। नोट 29.17 में इस प्रकार के परिवर्तनों को प्रकट कर दिया गया है।
एएस 2	वस्तुओं का मूल्यांकन	• कंपनी जल विद्युत का उत्पादन करने में लगी हुई है। इस प्रकार इसमें माल कच्चा माल/डब्ल्यूआईपी नहीं है। उत्पादन प्रक्रिया/आपूर्ति के लिए धारित भंडार, अतिरिक्त कल पुर्जे और उपभोज्य वस्तुओं तथा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाली लागत का मूल्यांकन भारित औसत आधार पर या निवल वसूलनीय मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
एएस 3	नकदी प्रवाह विवरण	• नकदी प्रवाह विवरण, प्रयोज्य लेखांकन नीति संख्या 14 में प्रकाशित किए गए अनुसार एएस-3 के पैरा 18 (ख) के अनुसार अप्रत्यक्ष रीति का प्रयोग कर वित्तीय विवरण के भाग के रूप में तैयार किया जा रहा है।
एएस 4	तुलन पत्र की तारीख के बाद होने वाली आकस्मिकताएं और घटनाएं	• सीईआरसी ने तुलन पत्र की तारीख के बाद यद्यपि लेखाओं के अनुमोदन से पूर्व क्रमशः कोटेश्वर तथा टिहरी एचपीपी के लिए दिनांक 19.06.2014 और 06.06.214 को आदेश जारी किए हैं। उपर्युक्त आदेशों के प्रभाव को लेखांकित किया गया है।
एएस 5	अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन	• ऐसी कोई अतिरिक्त सामान्य आय/ व्यय नहीं है जिसके लिए एएस-5 के तहत प्रकटन आवश्यक है। पूर्व अवधि की मदें (आय और व्यय) नोट 29 में प्रकट कर दी गई हैं।
एएस 6	मूल्यह्रास लेखांकन	• लेखांकन नीति सं. 8 में कहे गए अनुसार सीईआरसी विनियमों के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है। एएस 6 के तहत यथावश्यक ऐतिहासिक लागत वर्ष के लिए मूल्यह्रास, संचित मूल्यह्रास आदि जैसे आवश्यक प्रकटन नोट सं. 10- अचल परिसंपत्ति में प्रकटित कर दिए गए हैं।
एएस 7	निर्माण संविदाओं के लिए लेखांकन	• आलोच्य अवधि के दौरान कंपनी ने निर्माण संबंधी कोई अनुबंध शुरू नहीं किया है। इस प्रकार यह लागू नहीं है।
एएस 8	अनुसंधान और विकास के लिए लेखांकन	• एएस वापस ले लिया गया है।
एएस 9	राजस्व की मान्यता	• कंपनी, सीईआरसी द्वारा जारी किए जाने वाले लंबित अंतिम आदेश के लंबित होने पर टैरिफ विनियमन के आधार पर निर्धारित सीईआरसी और एएफसी (वार्षिक स्थिर लागत) द्वारा अनुमत अंतिम टैरिफ के आधार पर अपनी बिक्री राजस्व की मान्यता देती रही है।

एएस नं.	नामावली	विवरण
		उल्लेखनीय लेखांकन नीति संख्या 10(i) से 10(iv) केन्द्रीय कंपनी द्वारा अपनाए गए बिक्री राजस्व तंत्र के बारे में जानकारी दी गई है।
एएस 10	अचल परिसंपत्तियां के लिए लेखांकन	• खरीदी गई/स्वयं निर्मित स्थिर परिसंपत्तियों की लागत का लेखांकन एएस–10 के अनुसार कर दिया गया है। • लेखांकन अवधि के शुरू और अंत में परिसंपत्तियों के सकल/निवल खाता मूल्य के संबंध में आवश्यक प्रकटन, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जिसमें की गई वृद्धि परित्यक्त/बेची गई परिसंपत्तियों का ब्यौरा दिया गया होता है।
एएस 11	विदेशी मुद्रा के विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभावों का लेखांकन	• महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ संख्या 7(i) से 7 (iv) के तहत विदेशी लेन–देन से संबंधित लेखांकन नीतियों का प्रकटन किया गया है।
एएस 12	सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन	• कंपनी ने वीपीएचईपी परियोजना के लिए विश्व बैंक से सिंचाई घटक और पीएफआरडी अनुदान के लिए जीओयूपी से खपत अंशदान प्राप्त किया है। एएस– 12 के अनुसार लेखांकन व्यवहार किया गया है और महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 5 में प्रकटन किया गया है।
एएस 13	निवेशों के लिए लेखांकन	• कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है इसलिए यह एएस लागू नहीं है।
एएस 14	समामेलन के लिए लेखांकन	• लागू नहीं
एएस 15	कर्मचारी प्रसुविधाएं	• कंपनी ईपीएफओ द्वारा घोषित नीति के तहत परिभाषित अंशदान योजना के अनुसार मूल वेतन और महंगाई भत्ते के निश्चित प्रतिशत का अंशदान करती है। साथ ही उपदान (ग्रैच्युटी), छुट्टी वेतन परिभाषित हितलाभ योजना के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा के लिए अंशदान करती है। वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर बहियों में उपयुक्त राशि का प्रावधान किया जाता है। • विद्युत मंत्रालय (एमओपी) का अनुमोदन लंबित होने की स्थिति में प्रस्तावित सेवानिवृत्ति पेंशन स्कीम के तहत मूल वेतन और महंगाई भत्ते की 10 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।
एएस 16	उधारी लागत	• कंपनी ने वर्ष के दौरान वीपीएचईपी लागत के लिए 1403 लाख रु. उधारी लागत स्वीकार की है। उधारी लागत की मान्यता की लेखांकन नीति संख्या 6(i) व 6(ii) में स्पष्ट किया गया है।
एएस 17	खंड रिपोर्टिंग	• वर्तमान में कंपनी उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित टिहरी और कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना से जल विद्युत बनाने में कार्यरत है। इसलिए खंड रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
एएस 18	सम्बद्ध पक्ष का प्रकटन	• वर्ष के दौरान संबंद्ध पक्ष का कोई लेन–देन नहीं हुआ है। तथापि कार्यरत से जुड़े प्रमुख कार्मिकों के पारिश्रमिक के नोट संख्या 29.8 द्वारा प्रकट किया गया है।

एएस नं.	सामग्री	विवरण
एएस 19	पट्टे	• वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई वित्तीय पट्टा कार्यान्वित नहीं किया है। नोट संख्या 29.15 के अनुसार प्रचालन पट्टा लेन–देन का प्रकटन किया गया है।
एएस 20	प्रति शेयर आय	• कंपनी ने कोई महत्वपूर्ण इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है, इसलिए बुनियादी और तनूकृत दोनो ईपीएस पूर्ववत रहते है तथा उन्हें लाभ और हानि के विवरण में प्रकट किया गया है।
एएस 21	समेकित वित्तीय विवरण	• टीएचडीसीआईएल की कोई सहायक/धारक कंपनी नहीं है इसलिए यह एएस 21 लागू नहीं है।
एएस 22	आय पर लगने वाले करों का लेखांकन	• वर्ष 2013–14 के दौरान 6920 लाख रु. की आस्थगित कर परिसंपत्ति लेखांकित की गई है।
एएस 23	समेकित वित्तीय विवरणों कंपनी की सहायक कंपनियों में निवेशों का लेखांकन	• कंपनी की कोई सहायक कंपनी नही है, इसलिए यह एएस लागू नहीं है।
एएस 24	प्रचालन बंद करना	• वर्ष के दौरान न तो प्रचालन/न ही कोई गतिविधियां बंद हुई है इसलिए प्रकटन की जरूरत नहीं है।
एएस 25	अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग	• हालांकि कंपनी सूचीबद्ध नहीं है, फिर भी यह अच्छी प्रशासन प्रणाली के रुप में अंतरिम वित्तीय विवरण तैयार करती रही है।
एएस 26	अमूर्त परिसंपत्तियां	• कंपनी कंप्यूटर अनुप्रयोग साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति मानती रही है तथा कुछ समय से उनका परिशोधन करती रही है जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 8(vi) में स्पष्ट किया गया है।
एएस 27	संयुक्त खातों में ब्याज की आंतिन रिपोर्टिंग	• कंपनी की कोई कोई संयुक्त उद्यम परियोजना नहीं है। इसलिए यह एएस लागू नहीं है।
एएस 28	परिसंपत्ति का इम्पेयरमेंट	• वर्ष के दौरान परिसंपत्ति का किसी प्रकार कोई इम्पेयरमेंट नहीं हुआ है।
एएस 29	प्रावधान आकस्मिक दैनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां	• कंपनी, कंपनी पर वित्तीय जिम्मेदारियों की संभावना/निश्चितता तथा तदनुसार नगदी प्रवाह जैसे भिन्न कारकों को ध्यान में रख कर सर्वोत्तम मूल्यांकन करती है। अन्य मामलों पर आकस्मिक दैनदारी के रूप में विचार किया जाता है।
एएस 30	वित्तीय लिखत, मान्यता और मापन	• संबंधित मानक वित्तीय लिखतों के मापन, करार और प्रकटन के संबंध में है इसलिए ये एएस लागू नहीं है।
एएस 31	वित्तीय लिखत करार	
एएस 32	वित्तीय लिखत प्रकटन	

टिप्पणी सं. – 29 लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां :

1. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बची संविदाओं की अनुमानित राशि तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) 328584 लाख रु. (गत वर्ष 178918 लाख रु.) है।

2. आकस्मिक देयताएं

		2013–14	2012–13
			(लाख ₹ में)
(i)	कंपनी के प्रति दावे, जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है : माध्यस्थम/अदालती मामले	199281	228245
(क)	कंपनी द्वारा दी गई बैंक गारंटी 3778 लाख रु. है (गत वर्ष 29 लाख रु.)।		
(ख)	विभिन्न माध्यस्थमों/श्रम अदालती मामलों में कंपनी के विरुद्ध डिक्री की गयी 351 लाख रु. (गत वर्ष 280 लाख रु.) की राशि शामिल है, जिनमें कंपनी ने पैसे जमा किए लेकिन जो विवादित है और अपीलों के अंतर्गत हैं।		
(ii)	विवादित आयकर, व्यापार कर, वाणिज्य कर, प्रवेश कर जिसमें कंपनी द्वारा जमा किए गए 179 लाख रुपये (गत वर्ष 179 लाख रु.) शामिल हैं। कंपनी ने इनके बारे में अपील की हुई है।	180	722
(iii)	अन्य (ठेकेदारों के दावे आदि)	218	207

3. कंपनी ने 1047 लाख रुपये (गत वर्ष 940 लाख रुपये) की एफडीआर/सीडीआर, ईएमडी/ प्रतिभूति जमा के रूप में भी स्वीकार की है। इसके अलावा टिप्पणी 4 एवं 8 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से 4880 लाख रुपये (गत वर्ष 2851 लाख रुपये) "जमा, प्रतिधारण राशि" के रूप में रखा है।

4. उत्तराखंड सरकार के कार्यालयीय प्रयोग के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध करवाने के एवज में कंपनी द्वारा उत्तराखंड सरकार से 7800 लाख रु. की राशि वसूल की जानी है। जिलाधीश ने 5449 लाख रु. की मांग की जिसमें 3820 लाख रु. की रायल्टी तथा उस पर ब्याज की शेष राशि शामिल थी। रायल्टी के रूप में पहले मांगी गई 3820 लाख रु. की राशि में से 1900 लाख रु. का भुगतान नकद रूप में किया गया तथा शेष 1920 लाख रु. का समायोजन कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाए गए अतिरिक्त स्थान के लिए वसूल की जाने वाली राशि के बाबत किया गया। उक्त 3820 लाख रु. को परियोजना की पूंजीगत परिसंपत्ति माना गया था। जिलाधीश ने पहले ही भुगतान की जा चुकी राशि तथा अतिरिक्त स्थान के लिए किए गए दावे का समायोजन करने के बाद टिहरी और कोटेश्वर एचईपी के निर्माण में प्रयुक्त कुल राशि के बाबत और 17002 लाख रु. तथा 2829 लाख रु. की देय रॉयल्टी के मांग नोट को उठाया।

   इससे व्यथित होकर कंपनी ने माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की जिनमें इन मांगों को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अनुसार उत्तराखंड सरकार को 3749 लाख का बीजी प्रस्तुत किया गया था और उत्तराखंड सरकार के पक्ष में 16082 लाख रु. के बॉड पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्तमान में माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 26.05.2014 के आदेश द्वारा दोनों याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है जिसमें उन्होंने पूरी की पूरी मांग खारिज कर दी है तथा बीजी/बॉड वापस करने तथा भुगतान, यदि कोई हो, वापस करने के निदेश दिए है। भुगतान की गई राशि तथा बीजी वापस प्राप्त करने के संबंध में कार्यवाई शुरू की जा चुकी है। चूंकि अपील की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए आगे और लेखांकन समायोजन नहीं किया गया है।

5. वर्ष के दौरान उधार ली गई अधिशेष धनराशियों पर अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए शून्य राशि/(गत वर्ष शून्य राशि) के समायोजन के बाद पूंजीकृत उधारी लागत की राशि 1495 लाख रु. (गत वर्ष 1794 लाख रु.) है।

6. निदेशक मंडल ने परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम, 2007 को अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए औपचारिक प्रस्ताव विद्युत मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया है। अभी अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की दर से पेंशन निधि के रूप में 1421 लाख रु. का प्रावधान खातों में कर दिया गया है।

7. (i) भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय नई दिल्ली के दिनांक 17/23 अक्तूबर, 2002 के आदेश सं. एफ. सं. 8-3/99-एफसी के तहत उत्तरांचल सरकार ने अपने 30 अक्तूबर, 2002 के कार्यालय आदेश संख्या जी आई-186/7-1-2002-300 (400)/99 के तहत कोटेश्वर में 338.832 हेक्टेयर सिविल सोयम और वन भूमि के विपथन (डायवर्जन) का आदेश जारी किया है। 338.832 हेक्टेयर भूमि में से 337.037 हेक्टेयर पट्टे पर दी गई भूमि का विलेख कार्यान्वित कर दिया गया है तथा शेष 1.875 हेक्टेयर वन भूमि के संबंध में विधिक औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं। इसी प्रकार टीएचडीसीआईएल ने पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ने अपने दिनांक 29.04.08 के आदेश संख्या 08 बी/यूसीपी/06/312/2008 एफसी/144 के तहत पट्टे पर 8.75 हेक्टेयर वन भूमि मंजूर की है जिसके लिए विधिक औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं।

(ii) विभिन्न परियोजना स्थलों पर फ्री होल्ड भूमि सहित निवासीय, परियोजना कार्य, कालोनियों, विविध कार्यों आदि के लिए कंपनी द्वारा अधिग्रहीत प्राइवेट भूमि 3058.11 हेक्टेयर है जिसमें से 1388.29 हेक्टेयर भूमि का हक विलेख अभी कंपनी के नाम किया जाना है।

(iii) टिहरी हाइड्रो कॉम्प्लेक्स की शुरूआत उत्तर प्रदेश के रूप में तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 9 जून, 1987 के पत्र संख्या 8-32/86-एफसी द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिज़र्व वन भूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के 24/25 जून, 2004 के पत्र सं. 8-32/86-एफसी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव, वन, उत्तरांचल सरकार को निदेश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिज़र्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित करें। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कंपनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिज़र्व फारेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रूप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिज़र्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में जलमग्न होने दिया जा रहा जिसे रिज़र्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के तहत टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रूप में भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.06.1990 के कार्यालय आदेश संख्या 685/टिहरी डैम प्रोजेक्ट/23-सी-4/टी-18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने के लिए जारी) कंपनी उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। औपचारिक पत्र की प्रतीक्षा है।

8. कंपनी द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि पर निर्मित किए गए 43 फ्लैट (गत वर्ष 42 फ्लैट) विभिन्न लोगों के अनधिकृत कब्जे में हैं। फ्री होल्ड भूमि में कोटिगाड़ गांव में स्थित 0.456 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिसे अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

9. (क) सम्बद्ध पक्षकार – प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

पूर्णकालिक निदेशक

1.	श्री आर.एस.टी. साई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री डी. वी. सिंह	निदेशक (तकनीकी)
3.	श्री एस.के. बिस्वास	निदेशक (कार्मिक)
4.	श्री श्रीधर पात्रा	निदेशक (वित्त)
5.	श्री पी. पी. सिंह	पूर्व निदेशक (वित्त)

(ख) संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन का सारांश (अनुबंधित जिम्मेदारियों को छोड़ कर) – शून्य

(ग) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों को दिया जाने वाले पारिश्रमिक और भत्ते भविष्य निधि में अंशदान तथा अन्य लाभ और व्यय तथा स्वतंत्र निदेशकों की फीस तथा व्यय 248 लाख रु. (गत वर्ष 212 लाख रु.) है।

(घ) संयुक्त उपक्रम कंपनियां– शून्य

10. प्रति शेयर आय (ईपीएस) – मूल और तनुकृत

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (मूल और तनुकृत) इस प्रकार है:

	2013-14	2012-13
करोपरांत निवल लाभ जिसका प्रयोग न्यूमरेटर के रूप में हुआ है (लाख रुपये)	₹ 59632.43	₹ 53137.70
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जिनका प्रयोग डिनोमीनेटर के रूप में हुआ है	मूल : 34435027 तनुकृत : 34435027	मूल : 33660524 तनुकृत : 33660524
प्रतिशेयर आय रुपये मूल तनुकृत	172.88 172.88	157.86 157.86
प्रति शेयर अंकित मूल्य	1000	1000

11. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "आय पर करों का लेखांकन" के लेखांकन मानक 22 के अनुपालन में 6820 लाख रुपये (गत वर्ष 5372 लाख रुपये) जो कि आस्थगित कर परिसंपत्ति में वृद्धि दर्शाता है, को लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया गया है। 31 मार्च, 2009 तक की आस्थगित कर परिसंपत्तियां लाभग्राहियों को वापस की जाएंगी, उसके पश्चात यह सीईआरसी विनियम 2009–2014 के अनुसार वर्तमान कर की भाग हैं तथा वापस नहीं की जा सकती है। संभावी आस्थगित कर देयताओं/परिसंपत्तियों का ब्यौरा निम्नवत है:

₹ लाख में

क्र. सं.		31.03.2014	31.03.2013
	आस्थगित कर देयता (क)		
i)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	0	0
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (ख)		
ii)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	26631	19650
iii)	मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए	7309	7859
iv)	भंडारों के लिए प्रावधान	166	166
v)	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	0	0
vi)	कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	4315	3826
	शुद्ध आस्थगित कर देयता (परिसम्पत्तियां) (क–ख)	(35421)	(31501)

12. (i) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप कंपनी के लिए आवश्यक है कि वह वर्ष 2013–14 के दौरान 2012–13 के कर पूर्व लाभ के 2% लाभ की दर से कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधि के लिए व्यय करे तदनुसार 1063 लाख रु. का खाते में प्रावधान किया गया है।

(ii) भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप कंपनी के लिए अपेक्षित है कि वह वर्ष 2013–14 के दौरान वर्ष

2012–2013 के लिए कर पश्चात लाभ का 0.5 प्रतिशत अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) पर न्यूनतम खर्च करें। व्यपगत न होने वाली अनुसंधान और विकास निधि के रूप में खर्च न की गई राशि का प्रावधान किया गया है। तदनुसार बोर्ड ने वर्ष 2013–14 के लिए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) योजना का अनुमोदन कर दिया था। वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास गतिविधि पर 299 लाख रु. का व्यय किया गया है।

13. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को भुगतान करने के लिए कोई राशि शेष नहीं है।

14. प्रबंधन ने संविदाकार मैसर्स पीबीएल–इंद्राटेक लेमहाइड्रो कंसोर्टियम के माध्यम से जोखिम और लागत तंत्र के तहत कोटेश्वर एचईपी का निर्माण कार्य कार्यान्वित करवाया ताकि परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके। कंपनी द्वारा संविदा के तहत भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक भुगतान की गई राशि जोखिम और लागत खाते में डेबिट की गई थी और उसे संविदाकार से वसूलनीय राशि के रूप में दर्शाया गया था। कंपनी ने जोखिम और लागत खाते की बकाया राशि पर 15 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज लगाया था। इस प्रकार लगाया गया ब्याज सीडब्ल्यूआईपी खाते में जमा कर दिया गया था। वर्तमान में संविदा को पहले ही समाप्त कर दिया गया है।

संविदाकार ने माध्यस्थम की गुहार लगाई है। माध्यस्थम अधिकरण ने दिनांक 17.12.2010 के एवार्ड के पैरा 207 में व्यापक विचार किया है तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कंपनी द्वारा लगाया गया ब्याज नहीं दिया जाना है। साथ ही, उन्होंने संविदाकार का दावा स्वीकार कर लिया है। कंपनी ने एवार्ड को त्रुटिपूर्ण और अवैध मानकर उसे चुनौती देते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एक रिट याचिका दायर की है। न्यायालय द्वारा उसे जब तक निरस्त न कर दिया जाए, एवार्ड लागू रहेगा। माध्यस्थम अधिकरण के आदेश को देखते हुए पिछले वर्षों में लगाया गया 11719 लाख रु. का ब्याज वापस कर दिया गया है और उसके लिए संगत खाते का रख–रखाव किया जाता है।

15. कंपनी ने कर्मचारियों/कार्यालयों/अतिथि गृहों/अस्थायी शिविरों और वाहनों के लिए परिसर पट्टे/किराए पर लिया है। पट्टे पर लिए गए ये प्रबंध आमतौर पर परस्पर सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं। पट्टे पर लिए गए स्थानों के भुगतान के लिए राशि में 801 लाख रु. (गत वर्ष 794 लाख रु.) शामिल है (निवल वसूलियां)।

16. (i) कंपनी पूर्व निर्धारित दरों पर एक पृथक न्यास को भविष्य निधि का निश्चित अंशदान अदा करती है जो इन निधियों का निवेश अनुमत्य प्रतिभूतियों में करता है। परिवार पेंशन स्कीम के अंशदान का भुगतान उचित प्राधिकारियों को किया जाता है। अवधि के लिए 129 लाख रु. (गत वर्ष 123 लाख रु.) के अंशदान को व्यय माना जाता है और इसे लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का यह दायित्व है कि ऐसे निश्चित अंशदान से सदस्य को न्यूनतम प्रतिफल दर सुनिश्चित करे जैसा कि भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, एएस15 (संशोधित) के अनुसार भविष्य निधि के लिए गारंटीशुदा सांविधिक ब्याज दरों के कारण हुई 31.03.2014 को देनदारी 128 लाख रु. (गत वर्ष 84 लाख रु.) बैठती है जबकि 103 लाख रु. का राजस्व अधिशेष (गत वर्ष 79 लाख रु.) था।

(ii) "कर्मचारियों को लाभ" के संबंध में एएस–15 के प्रावधानों के तहत प्रकटीकरण।

31.03.2014 को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के लाभ का प्रावधान किया गया है। तदनुसार "कर्मचारियों का लाभ" के संबंध में लेखांकन मानक 15 के प्रावधानों के तहत 31.3.2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है :

सारणी –1 निम्नलिखित पर बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमान

विवरण	31.03.2014	31.03.2013
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2006-08)	एलआईसी (1994-96) विधिवत संशोधित
छूट की दर	8.5%	9%
भावी वेतन वृद्धि	6.5%	6%

सारणी – 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

₹ लाख में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता/सेवानिवृत्ति एवार्ड/एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	9611	4267	2027	4594	654
ब्याज लागत	769	341	162	368	53
विगत सेवा लागत					
वर्तमान सेवा लागत	555	282	77	245	38
भुगतान किया गया लाभ	(479)	(919)	(58)	(76)	(27)
बीमांकिक (लाभ/हानि)	593	938	118	(467)	(86)
वर्ष के अंत में पीवीओ	11049	4909	2326	4664	632

सारणी –3 तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

₹ लाख में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता/सेवानिवृत्ति एवार्ड/एफबीएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	11049	4909	2326	4664	632
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य					
निधियों की स्थिति	(11049)	(4909)	(2326)	(4664)	(632)
चिन्हित न हुए बीमांकित लाभ/हानि					
तुलन–पत्र में चिन्हित शुद्ध देयता	(11049)	(4909)	(2326)	(4664)	(632)

सारणी– 4 लाभ और हानि खाते/ईबीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

₹ लाख में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	बैगेज भत्ता/सेवानिवृत्ति एवार्ड/एफबीएस
चालू सेवा लागत	555	282	77	245	39
ब्याज लागत	769	342	162	368	53
विगत सेवा लागत					
योजनागत परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिफल					
वर्ष के लिए चिन्हित निवल बीमांकित (लाभ)/हानि	593	938	118	(467)	(86)
वर्ष के लिए लाभ और हानि/ईबीसी में चिन्हित व्यय	1917	1562	357	146	5

17. लेखांकन नीति में परिवर्तन

क्र.सं.	नीति	प्रभाव
01	नीति संख्या 4 (v) जो परिसंपत्तियां कंपनी के स्वामित्व में नहीं हैं उन पर पूंजी व्यय को सीडब्ल्यूआईपी में तब तक अलग मद के रूप में दर्शाया जाता है जब तक कार्यभि पूरी न हो जाए और तत्पश्चात इसे अचल परिसंपत्तियों में दर्शाया जाता है।	अचल परिसंपत्तियों में 2618 लाख रु. की कमी तथा संचयी मूल्यह्रास में 2482 लाख रु. की कमी तथा व्यय/ईडीसी में 153 लाख की वृद्धि
02	नीति संख्या 8 (vi) परिसंपत्तियां कंपनी के स्वामित्व में नहीं है, उनके पूंजी व्यय के परिशोधन से संबंधित है।	
03	नीति संख्या 10 (xii) सीएसआर, एसडी और आर एंड डी से संबंधित है।	सीएसआर तथा एसडी व्ययों में 235 लाख रु. की कमी तथा कर पूर्व लाभ में तदनुरूपी 236 लाख रु. की वृद्धि

18. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441ए के तहत देय उप कर की दर को अधिसूचित नहीं किया है। इसलिए कंपनी ने कारोबार (टर्न ओवर) पर किसी उप कर का प्रावधान नहीं किया है।

19. लेखा परीक्षकों को भुगतान (सेवा कर सहित)

₹ लाख में

		2013-14	2012-13
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	6 *	6
II.	करधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	2	2
III.	कंपनी कानून मामलों के लिए	—	—
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	—	—
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	3	3
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	3	3

*वार्षिक आम सभा में अनुमोदन के अध्यधीन

20. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के अनुसार अपेक्षित अतिरिक्त सूचनाएं इस प्रकार है:

₹ लाख में

	विवरण	2013-14	2012-13
क	विदेशी मुद्रा में व्यय (नगद आधार पर)		
	यात्रा	15	11
	परामर्श और व्यावसायिक प्रभार	5060	2499
	प्रबंधन/प्रतिबद्धता शुल्क	0	0
	ऋण एवं ब्याज की चुकौती	2302	2504
	माल का आयात	341	207
	अन्य (अग्रिम)	2818	128
	सम्मेलन के लिए नामांकन		2
	सॉफ्टवेयर की खरीद		0
	कुल	11036.00	5351.00
ख	विदेशी मुद्रा में अर्जन (नगद आधार पर)	0	0.00
ग	सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य		
i)	पूंजीगत माल	470	265
ii)	अतिरिक्त पुर्जे		
	कुल	470.00	265.00
घ	प्रयुक्त घटकों, स्टोरों और अतिरिक्त पुर्जों का मूल्य		
i)	आयातित (लाख रुपए में)	1	54
	(%)	0.14	9.9
ii)	देशी (लाख रुपए में)	617	495
	(%)	99.86	90.1
च	निर्यात का मूल्य	0.00	0.00

प्रयुक्त कल-पुर्जों व घटकों का मूल्य

2013-14	आयातित		देशी	
	%	₹	%	₹
टिहरी जो एंड एग	0.16	1.00	99.84	535.00
ऋषिकेश मुख्य				
कोटेश्वर			100.00	82.00
वीपीएचईपी				
कुल		1.00		617.00
2012-13	आयातित		देशी	
	%	₹	%	₹
टिहरी जो एंड एग	9.90	54.00	90.10	495.00
ऋषिकेश मुख्य				
कोटेश्वर				
वीपीएचईपी				
कुल		54.00		495.00

21. लाइसेंसशुदा तथा संस्थापित क्षमताएं :

क्र.सं.	विवरण	2013-14	2012-13
(i)	लाइसेंसशुदा क्षमता (मे.वा.)	लागू नहीं**	लागू नहीं**
(ii)	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)	1400 मे.वा.	1400 मे.वा.
(iii)	अनुमोदित क्षमता (मे.वा.)- (सीसीईए द्वारा निवेश अनुमोदन पर आधारित)	2844 मे.वा.	2844 मे.वा.
(iv)	बिजली के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में मात्रात्मक (मिलियन यूनिटों में) सूचना		
(a)	पूर्व–वाणिज्यिक अवधि		
	उत्पादन	शून्य	शून्य
	बिक्री	शून्य	शून्य
(b)	वाणिज्यिक अवधि		
	उत्पादन	5582.2641620 मि.यू.	4266.03716 मि.यू.
	बिक्री (गृह राज्य को निःशुल्क विद्युत देने और अनुषंगी खपत एवं रूपांतरण के बाद निवल)	4887.0780941 मि.यू.	3735.06309 मि.यू.

** विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार कोई भी उत्पादक कंपनी, इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन स्थापित कर सकती है, प्रचालन कर सकती है, अनुरक्षित कर सकती है और उत्पादन कर सकती है। इसलिए लाइसेंसशुदा क्षमता लागू नहीं है।

22. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए यथावश्यक पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(एस. क्यू. अहमद)	(श्रीधर पात्रा)	(आर. एस. टी. साई)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भाटिया एंड भाटिया
सनदी लेखाकार
आईसीएआई का एफआरएन 003202एन

(अनंत भाटिया)
साझेदार
सदस्यता संख्या – 507632

दिनांक : 27.06.2014
स्थान : नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य गण

टीइएक्सीसी इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणों के संबंध में रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति के अनुसार टीइएक्सीसी इंडिया लिमिटेड तथा उसके साथ ही संलग्न उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13.9.2013 के परिपत्र संख्या 15/2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") की धारा 211 की उपधारा (3ग) में प्रतिनिर्दिष्ट तथा भारत में आम तौर पर प्रचलित लेखाकरण मानकों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन की सही और उचित दृश्य देते हैं। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरण, जो सही और उचित दृश्य देते हैं और समग्र गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, को तैयार और प्रस्तुतिकरण के लिए प्रासंगिक डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का रख-रखाव शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षा की गई है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और क्या वित्तीय विवरण समग्र गलतबयानी से मुक्त हैं के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादन करें।

4. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों की समग्र गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती हैं। उन जोखिम मूल्यांकनों को करने में लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उचित प्रस्तुतिकरण पर कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, तैयार की जा सकें। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा बनाए गए लेखाकरण अनुमानों की तर्कसंगति के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरणों का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी लेखा राय के लिए आधार देने के पर्याप्त और उपयुक्त है।

राय

5. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित, यथा अपेक्षित ढंग से, सूचना देते हैं और भारत में स्वीकार्य सामान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं।

क) तुलनपत्र के मामले में, कंपनी के कार्यों के संबंध में दिनांक 31 मार्च, 2014 को।

ख) हानि व लाभ लेखे के मामले में, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ के लिए, और

ग) नकद प्रवाह विवरण के मामले में, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का नकद प्रवाह।

अन्य मामले

6. अपनी रिपोर्ट पर अपनी राय दिए बिना हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं–

क. नोट संख्या 20.1– अनंतिम आधार पर की जा रही बिक्री के लेखाकरण के संबंध में जिसके टैरिफ (प्रशुल्क) का अंतिम निर्धारण सीईआरसी द्वारा लंबित है।

ख. नोट सं. 29(7) – विभिन्न परियोजनाओं में भूमि की स्थिति के संबंध में जिसके लिए औपचारिकताएं अभी लंबित हैं।

ग. नोट सं. 29(8)–विभिन्न व्यक्तियों तथा अनधिकृत दखलकारों द्वारा किए गए 43 फ्लैटों पर कब्जे (गत वर्ष 43 फ्लैटों) के संबंध में।

घ. नोट सं. 29(14) – कंपनी के पास रखी प्रतिभूति जमा के लिए के एचईपी ठेकेदारों के जोखिम और लागत (मैसर्स पीसीएल) के लिए ठेकेदारों के अग्रिम के समायोजन के संबंध में।

विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं के संबंध में रिपोर्ट

7. अधिनियम की धारा 227 की उपधारा (4क) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश 2003 द्वारा यथापेक्षित हम उक्त आदेशों के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामले के संबंध में विवरण संलग्न करते हैं।

8. अधिनियम की धारा 227 (3) द्वारा यथापेक्षित हमारी रिपोर्ट है कि:

(क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

(ख) हमारी राय में बहियों की छानबीन से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि की अपेक्षानुसार उपयुक्त लेखा बहियां रखी गई हैं।

(ग) इस रिपोर्ट में शामिल किया गया तुलनपत्र, लाभ हानि खाता और नगदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप है।

(घ) हमारी राय में इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलनपत्र, लाभ और हानि तथा नगदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में संदर्भित लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

(ङ.) निदेशक मंडल से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) के (छ) के अनुसार 31 मार्च, 2014 तक की स्थिति के अनुसार कोई भी निदेशक अनर्ह नहीं है।

भाटिया एंड भाटिया
सनदी लेखाकार
भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान का फर्म पंजीकरण सं. 003202 एन

(अनंत भाटिया) एफसीए
साझेदार
सदस्यता सं. 507832

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.08.2014

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का संलग्नक

(इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में संदर्भित अनुलग्नक)

1. इसकी अचल परिसंपत्तियों के संबंध में :

(क) कंपनी ने सामान्य रूप से अचल परिसंपत्तियों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकार्ड रखा है। लेकिन अचल परिसंपत्तियों की पहचान संख्या डालने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ मामलों को छोड़कर इन परिसंपत्तियों के संधारण के लिए रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं।

(ख) वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गयी है तथा सत्यापन के दौरान जानकारी में आई विसंगतियों को खाता बहियों में उचित प्रकार से दर्शाया गया है, हालांकि ये विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं हैं हमारी राय में आकार को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की कार्यनीति उचित है।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों के बड़े हिस्से का निपटान नहीं किया है।

2. इसकी वस्तु सूचियों के संबंध में :

(क) ठेकेदारों के पास पड़ी सामग्री को छोड़ कर वस्तु सूचियों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है। हमारी राय में वस्तु सूची की वास्तविक जांच प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर की गई है।

(ख) कंपनी के आकार तथा व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा अपनाई गयी वस्तुसूची की जांच की प्रक्रिया उचित तथा पर्याप्त है।

(ग) कंपनी ने वस्तु सूची का उचित रिकार्ड रखा है।

3. इसके ऋण के संबंध में:

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कंपनी ने न कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण लिया और न ही दिया है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ–4 का खंड–(iii) लागू नहीं है।

4. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार वस्तु सूची एवं अचल परिसंपत्तियों की खरीद के मामले में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां कंपनी के आकार और उसके व्यापार के प्रकृति के अनुरूप काफी है। लेखपरीक्षा के दौरान हमें न तो इस बात का कोई पता चला और न ही ऐसी कोई सूचना मिली कि अंतर्निहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में प्रमुख कमजोरियों को ठीक करने में लगातार असफल रही हो।

5. हमारे द्वारा प्रयोग में लाई गयी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर हमारे अधिकतम ज्ञान और विश्वास तथा दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–301 में संदर्भित ठेके या व्यवस्थाएं ऐसी नहीं थीं जिन्हें इस धारा के तहत अपेक्षित रजिस्टर में दर्ज करना जरूरी हो। वर्ष के दौरान 5,00,000 रु. से अधिक के लेन–देन के औचित्य का प्रश्न नहीं उठता।

6. कंपनी ने जनता से जमा राशियां स्वीकार नहीं की है, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–58–क, 58–कक तथा अन्य संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

7. कंपनी के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है, जिसमें कंपनी की विभिन्न इकाइयों की समय–समय पर लेखापरीक्षा करने के लिए बाहरी सनदी लेखाकार फर्मों को नियुक्त किया जाता है। हमारी राय में आंतरिक लेखापरीक्षा का क्षेत्र और व्यापकता इसके व्यवसाय के काम और प्रकृति के अनुरूप होती है।

8. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा – 209 (1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रखरखाव निर्धारित किया है। कंपनी लागत रिकार्डों का अनुरक्षण कर रही है। लेकिन वर्ष 2013–14 के लिए लागत लेखा परीक्षा प्रगति पर है।

9. (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अविवादित सांविधानिक देय राशियां उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से

जमा करती है। इनमें भविष्यनिधि, आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा अन्य सांविधानिक देय, जो कंपनी पर लागू है, शामिल हैं। देय तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित सांविधानिक देय राशि 31 मार्च, 2014 को बाकी नहीं थी। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पर राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर निम्नलिखित विवादित व्यापार कर जमा नहीं किए गए हैं।

निर्धारण वर्ष	धनराशि (₹ लाख में	देयताओं की प्रकृति	वर्तमान स्थिति
2007-08	1.02	व्यापार कर	टीएचडीसीआईएल ने दिनांक 28.02.2011 के निर्धारण आदेश में की गई मांग के विरुद्ध अपील दायर की है।

10. (क) कंपनी को वित्तीय वर्ष के अंत तक कोई संचयी हानियां नहीं हुई है तथा वित्त वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा के अंतर्गत और ठीक इसके पहले वाले वर्ष में भी कोई नगद हानियां नहीं हुई थीं।

(ख) कंपनी की चल रही परियोजनाओं के मामले में भी, जो निर्माणाधीन है, संचयी हानियों का यह खंड लागू नहीं होता।

11. कंपनी ने हमारे द्वारा अपनायी गयी लेखापरीक्षा पद्धति के आधार पर तथा अभिलेखों के अनुसार किसी वित्तीय संस्था या बैंक की देय राशियों को लौटाने में कोई चूक नहीं की है।

12. हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने प्रतिभूति के आधार पर शेयरों, डिबेन्चरों तथा अन्य प्रतिभूतियों को बंधक रखकर कोई ऋण तथा अग्रिम स्वीकृत नहीं किये हैं।

13. कंपनी चिट फंड या निधि/म्यूचुअल बेनीफिट फंड/सोसायटी नहीं है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड (xiii) कंपनी पर लागू नहीं होता।

14. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार यह कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेन्चरों तथा अन्य निवेश का कान नहीं कर रही है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड (xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता।

15. हमें दी गयी सूचना के अनुसार कंपनी ने दूसरे लोगों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने सावधि ऋण जिस काम के लिए थे, वर्ष के दौरान उसी काम के लिए उनका इस्तेमाल किया।

17. हमारी राय में तथा समग्र रूप में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अल्पावधि आधार पर इकट्ठा की गयी निधियों का इस्तेमाल दीर्घावधि निवेश के लिए नहीं किया है।

18. वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे जा रहे रजिस्टर में शामिल पार्टियों और कंपनियों को इस कंपनी के शेयरों का कोई अभिमानतः आवंटन नहीं किया है।

19. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेन्चर जारी नहीं किया है।

20. वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी प्रतिभूति का कोई सार्वजनिक निर्गम जारी नहीं किया है।

21. भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के लिए कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान हमें या कंपनी को धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं मिला है और न ही प्रबंधन द्वारा हमें इस तरह के मामले की कोई सूचना दी गयी है।

कृते गाटिया एंड गाटिया
सनदी लेखाकार
भारतीय के सनदी लेखाकार संस्थान का
एफआरएन: 003202 एन के लिए

(अनंत गाटिया) एफसीए
साझेदार
सदस्यता संख्या – 507632

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2014

गोपनीय

संख्या: No. MAB-III/Rep/01-68/Acts-THDC/2014-15/1124

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग
कार्यालय
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड–III
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE
PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT
& EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-III,
NEW DELHI

दिनांक / Dated 18 September 2014

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड,
ऋषिकेश

विषय: 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिये टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं, टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रही हूँ।
कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की सावती भेजी जाए।

संलग्नः यथोपरि।

भवदीया,

(तनूजा एस. मित्तल)
प्रधान निदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, एनेक्सी बिल्डिंग, 10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली–110002
6th & 7th Floor, Annexe Building, 10, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002
Tel : 011 - 23239227, Fax : 011 - 23239211; E-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की इन वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर उनको व्यावसायिक निकाय, इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षण एवं आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर विचार व्यक्त करने की जिम्मेदारी है। ऐसा उल्लेख किया गया है कि उन्होंने यह कार्य अपनी दिनांक 27 अगस्त, 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अंतर्गत 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यशील प्रपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह मुख्यत: सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्डों के चयनात्मक जांच-पड़ताल तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी उल्लेखनीय तथ्य नहीं आया है जिसके कारण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के तहत कोई टिप्पणी की जाए या सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कुछ जोड़ा जाए।

कृते भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक
की ओर से

(वनूजा एस. मित्तल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 सितम्बर, 2014

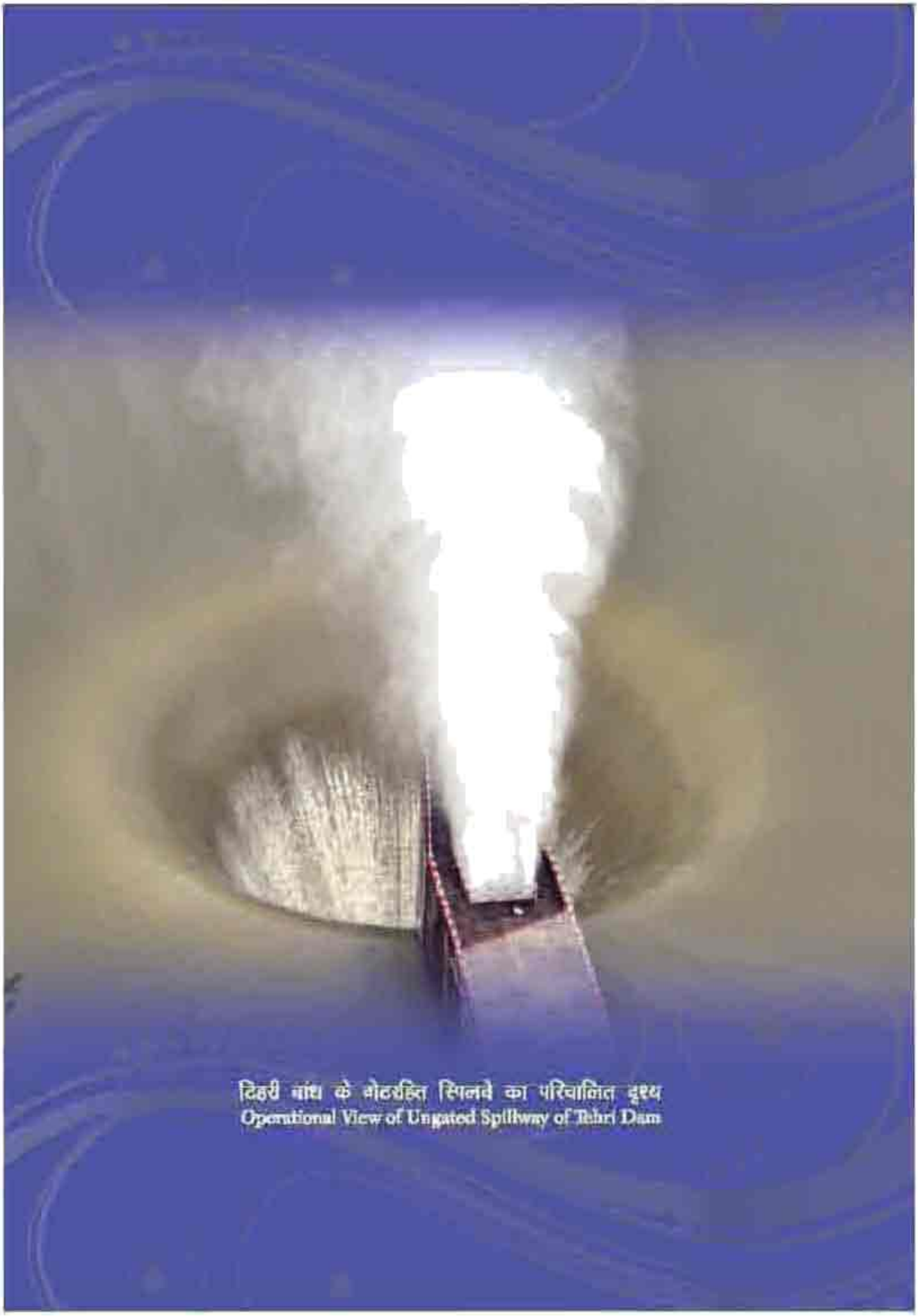

टिहरी बांध के गेटरहित स्पिलवे का परिचालित दृश्य
Operational View of Ungated Spillway of Tehri Dam

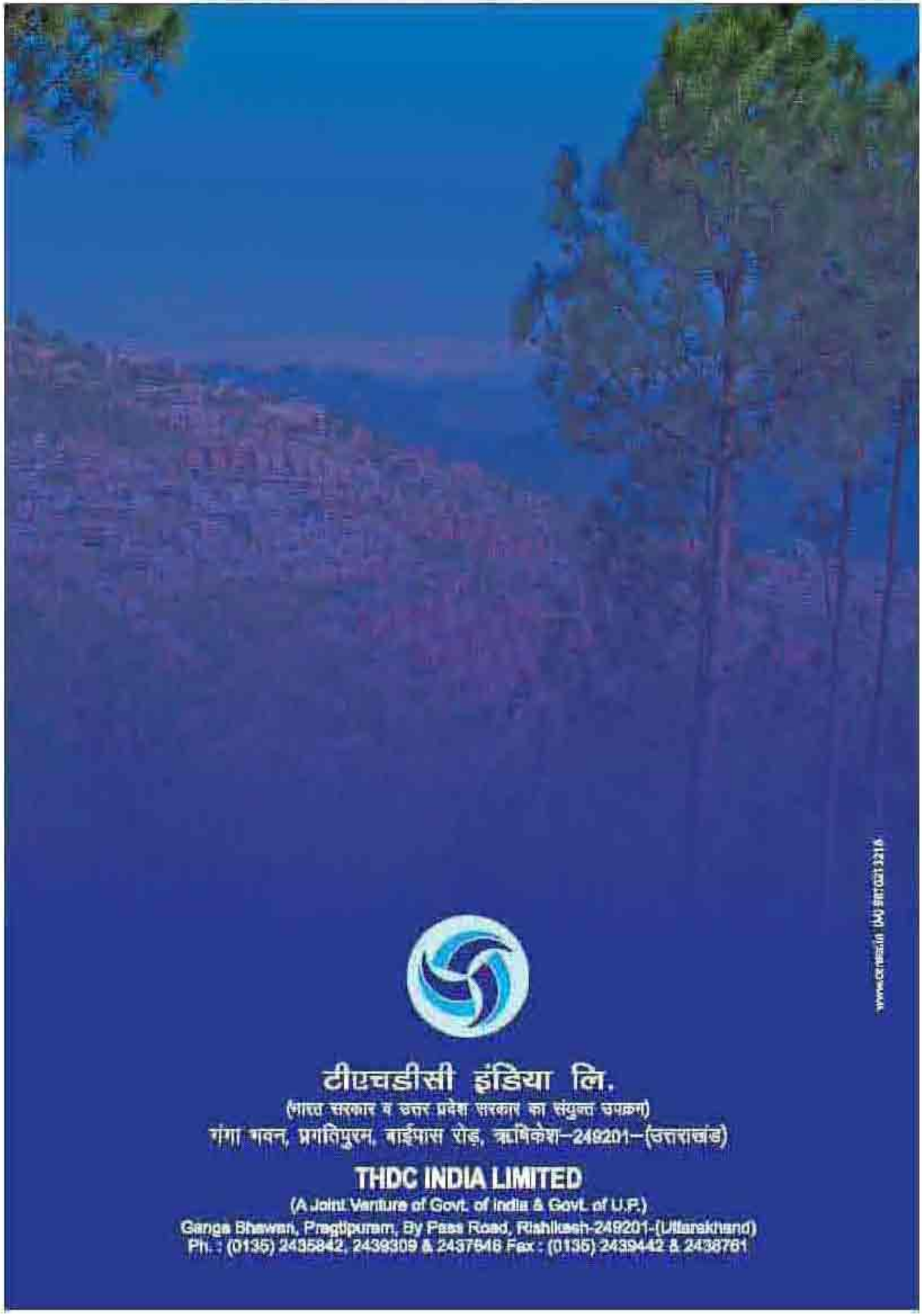

टीएचडीसी इंडिया लि.

(भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)

गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाईपास रोड, ऋषिकेश–249201–(उत्तराखंड)

THDC INDIA LIMITED

(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of U.P.)

Ganga Bhawan, Pragtipuram, By Pass Road, Rishikesh-249201-(Uttarakhand)

Ph. : (0135) 2435842, 2439309 & 2437648 Fax : (0135) 2439442 & 2438761